खण्ड-264, अंक-3
शुक्रवार, 13 फाल्गुन, शक संवत् 1887
(4 मार्च, 1966 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 264 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ४ मार्च, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६९

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री

कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनासिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण राय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद बर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री

डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज सिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री,
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान,
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरन सिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह, प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपाल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ी लाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूढ़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय, कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
राणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री

राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरणशाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री

लछपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द, शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री

सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सर्वासिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
साबिग्राम जैसवाल, श्री
सिद्धादुलारी, श्रीमती
सिवाराम गंगवार,डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल बुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--वित्त मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश तथा शिक्षा उप मंत्री डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ४ मार्च, १९६६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

जिला परिषद्, एटा के अध्यक्ष का चुनाव

**१--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी, (जिला बस्ती) (अनुपस्थित), श्री रामसिंह, (जिला एटा), श्री बेदराम, (जिला एटा) (अनुपस्थित), श्री गिरवरप्रसाद, (जिला एटा), श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा), श्री गंगा प्रसाद वर्मा (जिला एटा) तथा श्री लोकपाल सिंह (जिला एटा)--

क्या विकास मंत्री बतायेंगे कि जिला परिषद्, एटा के अध्यक्ष के चुनाव के लिये, जो ३१ जनवरी, १९६५ को विभाग से आदेश भेजा गया है, उस संबंध में जिलाधीश एटा ने क्या कार्यवाही की ? और अध्यक्ष के चुनाव के लिये क्या कार्य-क्रम निर्धारित किया है ? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पाण्डेय) --

जिलाधीश एटा कार्यक्रम विज्ञापित करने की कार्यवाही कर रहे है ।

श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या माननीय विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो कार्यक्रम प्रसारित किया गया है उसमें नामांकन की, विद्ड्राअल की और इलेक्शन की कौन कौन सी तारीखें भेजी हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय--

इसमें जो तिथियां भेजी गयी हैं वे इस प्रकार हैं --

(१) नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की तारीख	१२ अप्रैल, १९६६ पूर्वाह्न ११ बजे से अपराह्न ३ बजे तक
(२) नाम निदेशनों-पत्रों की जांच करने की तिथि	१२ अप्रैल, १९६६ अपराह्न ४ बजे से।
(३) उम्मेदवारी वापस लेने की तिथि	१५ अप्रैल, पू० १० बजे से अपराह्न ३ बजे तक ।
(४) मतदान यदि आवश्यक हो ..	३० अप्रैल, १९६६ को पूर्वाह्न ९ बजे से अपराह्न १ बजे तक

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो तारीखें विज्ञप्ति में भेजी गयी हैं, क्या उन्हीं पर चुनाव कराया जायगा ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राम मूर्ति)--

यह बड़ी ज्यादती की बात है। माननीय राजेन्द्र सिंह जी मुझसे मिले और मैंने ही कोशिश करके ये तारीखें निश्चित करायीं। मुझे अफसोस है कि उस पर भी मेरी नीयत पर शुबहा किया जा रहा है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम कनियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

लखनऊ विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियर के विरुद्ध जांच

*१--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियर द्वारा की गई अनियमितताओं की विवरणी, जिनके कारण विश्वविद्यालय को लगभग ४ लाख रुपये की हानि उठानी पड़ी है, प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक १५ फरवरी, १९६६ को दी है ? उस विवरणी के आधार पर सरकार ने क्या जांच की तथा जांच के क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पाण्डेय)--

जी हां। विवरणी प्राप्त हो गई है। तथा उस पर जांच की जा रही है।

*२--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय को वर्ष १९६५-६६ में कितना अनुदान दिया गया ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

लखनऊ विश्वविद्यालय को ६५-६६ में आज की तिथि तक कुल ३०,६८,०६५ रुपये का अनुदान दिया गया।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायक सचिव, शिक्षा विभाग (ग-१) के द्वारा श्री के० सी० मित्तल के एक्सटेन्शन के बारे में २२ फरवरी, को जो आदेश निकला कि वे २७ फरवरी, १९६६ से कार्य भार से मुक्त हो जायेंगे लेकिन फिर भी वे अभी तक कार्य-भर से मुक्त नहीं हुए हैं तो जो मेरी विवरणी पर आप जांच करा रहे हैं, उसके सिलसिले में इंजीनियर महोदय, उस जांच में अपना प्रभाव नहीं प्रयोग करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

अभी तो जांच हो रही है। उसमें उनका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच कब प्रारम्भ हुयी और कब समाप्त होगी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

इसके लिये माननीय सदस्य ने लिखा था। उसी के ऊपर यह जांच कमेटी बैठायी गई है। जांच प्रारम्भ कर दी गयी है। उसकी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आयी है। आने पर ही मैं कुछ निवेदन कर सकता हूं। जहां तक आरम्भ होने का प्रश्न है शुरू तो हो गयी १९६५ में जांच आरम्भ हो गयी है, लेकिन उसकी प्रोसीडिंग का मुझे कोई ज्ञान नहीं है।

श्री रघुनाथ (जिला बलिया)---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सिविल इंजीनियर द्वारा की गयी अनियमितताओं से जो इतनी बड़ी धनराशि की हानि हुयी उसकी सरकार को किस के माध्यम से सूचना मिली ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

अभी तो यह भी पता नहीं है कि हानि हुयी भी है या नहीं। जब यह मालूम हो जायगा तभी कुछ बताया जा सकता है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि सन् १९६५ में कमेटी बनी, तो इसके सदस्य कौन हैं और वे कार्य कब तक समाप्त करेंगे, इसका कोई आश्वासन देंगे मंत्री जी ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

डाक्टर वी० एन० शुक्ला, कानून विभाग के अध्यक्ष, श्री श्रीधर मिश्रा, ऐडवोकेट, श्री राज नारायण शुक्ला, ऐडवोकेट, श्री बी० के० धवन और श्री टी० पी० भल्ला, इस समिति के सदस्य हैं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

सिविल इंजीनियर के द्वारा जो अनियमिततायें बरती गई हैं वे किस सन् से प्रारम्भ हुई हैं जिनके संबंध में जांच हो रही है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

यह सन् १९६२ से आये हैं उसके बाद की ही अनियमितताओं की शिकायतें हैं जो माननीय सदस्य ने दी हैं, वे १९६४ और १९६३ की लिखी हुई हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

मंत्री जी बतायेंगे कि जिस वक्त आप के पास शिकायत माननीय सदस्य ने भेजी उसके बाद आपने अपने को संतुष्ट कर लिया था कि प्राइमाफेसी केस बनता है उसके बाद जांच के आदेश दिये, या संतुष्टि के बगैर ही जांच के आदेश जारी कर दिये ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय---

जब कोई माननीय सदस्य शिकायत देते हैं तो संतुष्टि की क्या बात है, उसको प्राइमाफेसी मान कर के प्रारम्भ करते हैं।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी---

मंत्री जी बतायेंगे कि मैंने विवरणी में ९ प्वाइन्ट्स लिख कर दिये और हाशिये पर नोट करके दे दिया है, और जैसा अभी मंत्री जी ने बताया है कि जांच के लिये कमेटी बन गई है जो विश्वविद्यालय के प्रस्ताव संख्या ७ के अनुसार ३०-१ ६५ को बनाई गई जो श्री के० सी० मित्तल ने १०,००० रु० का ऐक्सेस पेमेन्ट कर दिया था उसकी जांच के लिये यह कमेटी थी। लेकिन यह नहीं बताया कि जो विवरणी मैंने पेश की है उसकी जांच में किन-किन आदमियों को रखा है और यह कब से जांच शुरू होगी ?

श्री राममूर्ति—

माननीय सदस्य को इस बात का संतोष होना चाहिये कि उनकी शिकायत आने के बाद इन्क्वायरी इंस्टीट्यूट की गई और जो तथ्य बताये गये हैं वे भी सब-कमेटी के सामने ला दिये गये। चूंकि यूनिवर्सिटी एक अटोनामस बाडी है तो कोई बहुत ज्यादा जोर नहीं डाल पाते हैं। अगर कोई और फैक्ट्स माननीय सदस्य के पास हों तो हमारे पास भिजवा दें और जैसे ही कमेटी किसी निर्णय पर पहुंचे तो किसी कार्यवाही का सवाल पैदा होगा।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस प्रकार की शिकायत १९६१ से हो रही है, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब १९६१ से शिकायत हो रही है और अब १९६६ चल रहा है तो इतने दिनों के अन्दर कोई रपेशल आडिट कराया गया? और यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

मैंने यह नहीं कहा कि १९६१ से शिकायत है। १९६२ में तो उनका ऐप्वाइंटमेन्ट हुआ और ११ सितम्बर १९६४ को माननीय सदस्य ने पहले पहल एक पत्र दिया था, उस पर यह कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, इस तरीके के गबन के मामले विभिन्न जगहों के सरकार के सामने आते हैं और सरकार आश्वासन दे देती है कि हमने जांच करने के लिये कमेटी बना दी या बनावेंगे, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कमेटी जो बनाते हैं उसमें ऐसे ही लोगों को रख दिया जाता है जो सरकार के बाहर निर्णय नहीं दे सकते हैं, इसलिये जब कहीं ऐसी कमेटियां निर्मित हों तो कम से कम विरोधी दल ने नेताओं को भी उनमें सम्मिलित करने की कृपा करेंगे?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

यह तो कमेटी बनाती है यूनीवर्सिटी जो कि खुद मुख्तार है और जिसको रखना चाहे रख सकती है यह उन्हीं को अधिकार है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

लखनऊ विश्वविद्यालय को १९६५ तक ३० लाख ६८ हजार ६५ रुपए का अनुदान दिया जा चुका है, और मंत्री जी न बताया कि अटोनामस बाडी है, लेकिन मेरा मत है कि जब सरकार के द्वारा इतना अनुदान विश्वविद्यालय को दिया जाता है और उसमें ४, ४ लाख रुपए की अनियमितायें हो रही हैं तो इसके यह मानी नहीं है कि सरकार हस्तक्षेप न करे। इस बात को देखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि के० सी० मित्तल लगातार अनियमितायें करते चले जा रहे हैं और सन् ६५ तक उनका कार्यकाल था और राज्यपाल महोदय के आदेश थे कि किसी भी हालत में उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जायगा और २२ फरवरी, ६६ को आदेश भी गया है कि उनका कार्यकाल किसी भी प्रकार नहीं बढ़ाया जायगा तो क्या कारण है कि अब भी वह काम कर रहे हैं और उन्होंने चार्ज नहीं दिया है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

मैंने कार्यकाल नहीं बढ़ाया है यद्यपि विश्वविद्यालय ने अप्रैल तक का टाइम बढ़ाने के लिये लिखा है। उनसे चार्ज लेने के आदेश दिये जा चुके हैं लेकिन चार्ज नहीं लिया जा सका है इसलिये उन्होंने समय चाहा है लकिन हमने उसे बढ़ाया नहीं है।

*३-४---श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

[६ठें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

[४ मार्च, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-३---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

विधान सभा भवन की मरम्मत

*४---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के माननीय अध्यक्ष सचिव एवं सचिव विधान मंडल के कार्यालय के कक्षों की मरम्मत चालू वर्ष में कब प्रारम्भ हुई और कब पूर्ण हो गई ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)---

इन कमरों की मरम्मत १५-१०-६५ को प्रारम्भ हुई और १४-१-६६ को पूर्ण हो गई।

*५---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा भवन की मरम्मत में अब तक कुल कितना रुपया व्यय किया जा चुका है ? और कितन रुपये व्यय होंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

विधान सभा भवन की छतों की मरम्मत के कार्य में वित्तीय वर्ष १९६४-६५ में १,५०,००० रुपये व्यय हुये थे तथा वित्तीय वर्ष १९६५-६६ में इसी काम पर ४,००,००० रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस कार्य की कुल अनुमानित लागत ६,४३,५०० रुपये है तथा कार्य आगामी वर्ष में पूर्णतया समाप्त हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

इंजीनियर स्पष्ट रिपोर्ट देते हैं कि अगर यह भवन नहीं बनेगा या मरम्मत नहीं होगी तो इतनी मियाद के अन्दर गिर जायगा तोमें यह जानना चाहता हूं कि अगर मरम्मत नहीं हुई होती तो इंजीनियर ने इस संबंध में क्या रिपोर्ट भेजी है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

संयोग से इस छत की एक समय ऐसी स्थिति रही कि प्लास्टर गिरने लगा। जब कभी ऐसा होता है तो फि क्र होने लगती है कि क्या कारण है ? छत ईट तथा सरिया से बनी हुई थी। इंजीनियर की राय थी कि किसी वक्त कोई ऐसी आकस्मिक घटना घटित न हो जाय जिससे बाद में पछताना पड़े।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

यह जो रुपया छत बनाने में लगाया गया है अगर उसे शुरू से ही भवन बनाने में लगाया जाता तो जो आवाज यहां गूंज जाती है वह भी समस्या हल हो गयी होती ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

यह प्रश्न बहुत ही व्यंगात्मक है लेकिन यहीं दो पद्धतियां थीं। पहली पद्धति में करीब ७ लाख ५६ हजार रुपया खर्च होना था और दूसरी पद्धति में ६ लाख ४३ हजार रुपया खर्च होना था। तो १ लाख कुछ हजार रुपये की बचत हुई है। हर समय सिद्धहस्त मितव्ययता से काम करने की सोचत रहे और तभी इस निणय पर पहुच।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करेंगे कि जिन छतों की मरम्मत कराई गई है उनके संबंध में इंजीनियरों ने पहले क्या स्पष्ट रिपोर्ट दी थी कि वे किस्मी खराब हैं और उनसे कितना खतरा है ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कोई ब्योरा तो है नहीं कि क्या-क्या उन्होंने रिपोर्ट दी थी लेकिन जब प्लास्टर गिरने लगा तो यह अनुमान हुआ कि कहीं ऐसी घटना न हो जाय कि बाद को पछताना पड़े ।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि क्या बुनियाद के बारे में भी कुछ जांच-पड़ताल की गयी थी ?

(उत्तर के लिये मंत्रीजी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

माननीय मंत्रीजी ने कहा कि पहले प्लास्टर गिरा इसलिये उनको बड़ी आशंका हुई । मैं आपके जरिये बताना चाहता हूं कि इसकी छत की कोई मरम्मत नहीं हुई सिर्फ कोरीडार्स की मरम्मत हुई है । तो अब इस छत की स्थिति क्या होगी जबकि इसकी मरम्मत ही नहीं हुई है ? क्या इसकी फिर से मरम्मत कराने का विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्रीजी ने कहा कि प्लास्टर गिरने के परिणामस्वरूप उन्होंने इंजीनियरों द्वारा उसको दिखलवाया और राय ली ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

जो छतें बनी हैं उनमें कितनी मोटी सरिया डालने की योजना थी और कितनी चौड़ी सीमेंट की तह और गिट्टी देने की योजना थी तथा वास्तविक रूप से कितनी दी गयी ?

श्री रामकुमार शास्त्री—

अध्यक्ष महोदय, इसका ब्योरा मेरे पास सब लिखा हुआ है । माननीय सदस्य अगर चाहें तो उस ब्योरे को मेरे कार्यालय में आ कर देख सकते हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं उनके कार्यालय में जाने के लिये कोई सवाल नहीं पूंछता । यह मेरी समझ में नहीं आता कि आप मुझको आज्ञा दें कि मैं असेम्बली के बजाय कार्यालय में सवाल करूं । अध्यक्ष महोदय, आप सवाल न एलाऊ करें, वह दूसरी बात है लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि मैं उनके कार्यालय में जाऊं ।

श्री अध्यक्ष—

अगर ब्योरा लम्बा चौड़ा है .....

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

ब्योरा लम्बा चौड़ा नहीं है । मैंने तो सिर्फ सरिया और सीमेंट की मोटाई पूछी है ।

श्री अध्यक्ष—

तो आप ब्योरा देख लें ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इसकी छतों और गैलरी की मरम्मत के दौरान जितनी मात्रा में चीजें लगायी जानी चाहिये थीं उतनी न लगाकर ठेकेदार ने हजारों बोरे सीमेंट ब्लैक में बेचा है ? इसी प्रकार ५ सूत की सरिया न लगा कर ४ सूत की लगायी हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

इसकी जानकारी मुझे नहीं है ।

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)---

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि इस सदन की मरम्मत के लिये कितने रुपये रखे गये, कितनी सिक्यूरिटी रखी गई, कितनी मुद्दत रखी गई और कितना पेमेंट हो चुका है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

श्रीमन् कुल तीन महीने का समय लगा है और लाख रुपया रखा गया था। लेकिन खर्चा कितना होगा यह अभी नहीं बताया जा सकता है। इससे आगे भी बढ़ सकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अबकी बार जो मरम्मत की गई है उसकी आयु कितने वर्ष की होगी ? आप देखिये कि बनने के साथ ही सीमेंट गिरने लगी है ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

अध्यक्ष महोदय, जिस पद्धति से मरम्मत की गई है उसके बारे में सिद्धहस्त लोगों का कथन है कि यह बहुत ही पौष्टिक ढंग है । लेकिन सीमेंट कहां गिर रही है और कहां नहीं गिर रही है यह नहीं मालूम। ठीक ठीक कहीं के बारे में बतायेंगे तो जानकारी करा ली जायेगी यदि माननीय सदस्य लिखकर पूछेंगे ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इसकी मरम्मत के दौरान में दरवाजे आदि बदले गये हैं तो उनमें से पीतल के भारी कुंडों को निकाल लिया गया है और उनकी जगह पर दो-दो रुपये के कुंडे लगे हुये हैं ?

श्री अध्यक्ष---

उनकी शिकायत है कि कुंडे खराब क्यों लगे हुये हैं?

श्री रामकुमार शास्त्री---

अगर कहीं खराब लगे हुये हैं तो बतायें उसकी जानकारी करा ली जायेगी ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद---

अध्यक्ष महोदय अकाउंट आफिस में और रामप्रकाश जी के कमरे में तथा सब जगह बदले हुये हैं ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---

श्रीमन्, मैं एक निवेदन कर दूं कि हमें नत मस्तक हो जाना पड़ता है कि जहां हम बैठते हैं वहीं रुपया पानी की तरह बहाया जाता है तो उसके लिये हमारे पास कोई जवाब नहीं होता और प्रदेश के अन्य स्थानों पर क्या होता होगा इसके लिये सरकार को सचेत रहना चाहिये ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

श्रीमन्, लाखों रुपयों की चोरी हुई है ?

श्री अध्यक्ष—

हो गया ।

श्री ब्रह्मदत्त माथर—

श्रीमन्, आपने कहा कि यह बात हम लोग जानते है तो जब आप जानते हैं तो सरकार की ओर से जवाब क्यों नहीं दिलाते हैं ?

श्री लखपतराम शर्मा—

श्रीमन्, यह कोई छोटा मामला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

अब हो गया ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, पीतल चुराकर पाकिस्तान जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये ।

पूर्वी जिलों में सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्रीय अनुदान

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पटेल आयोग की संस्तुति के आधार पर केन्द्रीय सरकार से यातायात (सड़क) के मद में आजमगढ़, गाजीपुर, देवरिया और जौनपुर में अलग-अलग कितना-कितना रुपया मिला ? और अब तक कितना-कितना व्यय हो चुका है ?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

इस सम्पूर्ण त्वरित विकास योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से इकट्ठा धन मिलता है जिसको योजना के विभिन्न खंडों में आवश्यकतानुसार प्रति वर्ष वितरित किया जाता है। १९६४–६५ में इसके लिये कुल ४.०० करोड़ रुपये की धनराशि मिली थी जिसमें से २५.०० लाख रुपये सड़कों के विकास के लिये मिला। इस वर्ष ४.५० करोड़ रुपये देने का आश्वासन केन्द्रीय सरकार ने दिया है। इसमें से ७०.०० लाख रुपया सड़कों के विकास के लिये मिला। प्रति वर्ष उपलब्ध धनराशि का जिलेवार विभाजन विभिन्न कार्यों की प्रगति के अनुसार किया जाता है। दिसम्बर, १९६५ तक व्यय का जिलेवार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २६९ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, जो विवरण तालिका है उसको आप देखने का कष्ट करें। श्रीमन्, ६४–६५ में जो सामान्य योजना के लिये खर्चा मिला था वह १८.३०४ लाख है और खर्चा हुआ है १६.३४६, विकास योजना के लिये २५ लाख और खर्चा हुआ है २४.६६३ लाख, ६५–६६ में सामान्य योजना के लिये रुपया मिला था २४.१८६ लाख और खर्चा हुआ है ९.५०१ लाख तो मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से विभिन्न कार्यों के लिये इतना ज्यादा रुपया मिला है और खर्चा बहुत कम हुआ है, इसका क्या कारण है ? क्या सरकार सदन को जानकारी करायेगी कि किन कारणों से पूरा रुपया खर्च नहीं किया जा सका ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में बताया कि २५ लाख रुपया व्यय हुआ। जो १९६५–६६ का है उसके लिये ७० लाख रुपया खर्च करने का प्राविधान है। यह रुपया खर्च हुआ। यह जो

स्टेटमेंट दिया हुआ है जिस पर माननीय सदस्य को आपत्ति है; अगर गौर से देखा जाय तो जितना रुपया मिला है उसके हिसाब से, चूंकि यह जो सूची आपके सामने है १-४-६५ से ३१-१२-६५ तक की है। बाकी महीने बचते हैं। बाकी धन उसमें व्यय होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

१९६४-६५ में देखें, सामान्य योजना के लिये १८.३०४ है। खर्च कितना हुआ है—१६.३४६ त्वरित विकास के लिये मिला २५.०० और खर्च हुआ २४.६६३ यह कहते हैं कि सब खर्च हो गया। उन्होंने सब रुपया खर्च नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि जो रुपया खर्च नहीं किया गया है उसका कारण क्या है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह तो सड़कों का है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इसमें सड़कों का नहीं है। यह त्वरित विकास योजना और सामान्य योजना के लिये है। उसमें दिया हुआ है इतना रुपया इन योजनाओं के लिये दिया गया और इतना रुपया खर्च हुआ। तो इतना ही क्यों खर्च हुआ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, जो सूची दी गयी है उसमें वह खर्च है जो कर दिया गया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जो पटेल आयोग का रुपया आया उसमें से सरकार ने कितना रुपया अनुदान का सरेंडर किया जो व्यय नहीं हो सका?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मैंने निवेदन किया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग को २५ लाख रुपया मिला १९६४-६५ में और १९६५-६६ में ७० लाख रुपया मिला। यह खर्च हुआ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

सब खर्च हो गया? सरेंडर नहीं किया?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह नहीं कहा जा सकता।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, एक तो बड़ा भ्रम चल रहा है माननीय मंत्रियों के मस्तिष्क में कि पटेल आयोग की जितनी संस्तुति है बड़ी ईमानदारी और परिश्रम से लागू कर रहे हैं लेकिन जो आंकड़े दिये गये हैं उनसे पता चलता है, प्रत्येक जिले में पटेल आयोग की संस्तुति के अनुसार केन्द्रीय सरकार से जो रुपया प्राप्त हुआ है उसका ३३ परसेंट से अधिक उपयोग इन लोगों ने नहीं किया है। ६७ परसेंट रुपया वापस करने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि एक हाई लेविल इन्क्वायरी कमेटी बैठा कर ठीक ठीक जांच करवायेंगे कि कितना रुपया प्राप्त हुआ है उसमें कितना खर्च कर दिया है और बाकी खर्च क्यों नहीं कर पाये?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जो सड़कों के निर्माण की योजना बनी है वह ३८६.२२९ लाख रुपये की योजना स्वीकृत हुई है। उसके मुताबिक काम चल रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो सूची दी है उसको देख लें। आप कहते हैं कि १८.३०४ मिला और खर्च किया हमने १६.३४६ त्वरित विकास के लिये आपको मिला २५.०० और आपने खर्च किया २४.६६३। तो प्रश्न केवल यह है कि १८.३ मिला तो आपने खर्च किया १६.३ और २५ मिला तो उसमें खर्च हुआ २४.३ तो क्या कारण है कि आप पूरा धन खर्च नहीं कर पाये? बस इतना ही सवाल है, इतना बता सकें, तो बता दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, सन् ६५ तो बिलकुल गोल है, वह भी तो बता दें?

श्री अध्यक्ष—

आप ६५-६६ के लिये जो न दें, क्योंकि वह ३१ मार्च तक हो सकता है।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

जितना लक्ष्य निर्धारित किया जाता है उसमें काम करते-करते कुछ न कुछ तो रह ही जाता है।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पटेल कमीशन से यातायात के लिये सड़क बनाने के लिये जितना रुपया मिला चारों जिलों के लिये, उसमें से जिलेवार कितनी-कितनी सड़कें बनाई गयीं?

श्री अध्यक्ष—

यह तो उसमें दिया हुआ है।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पटेल-आयोग के इन चार जिलों के लिये जो धन केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुआ है, उस में से जैसा कि कृष्णानन्दराय जी ने कहा कि सिर्फ ३३ प्रतिशत का उपयोग हो पाया है और ६७ प्रतिशत का उपयोग नहीं हो पाया है, पटेल आयोग के अन्तर्गत, जो दो नये जिले बस्ती और बलिया लिये गये हैं, जिसमें अभी काम नहीं शुरू हुआ है, क्या उन दो जिलों के लिये भी उस रुपये का सदुपयोग करने की कृपा करेंगे जिस रुपये को आप केन्द्रीय सरकार को वापस करने जा रहे हैं?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

मेरे पास जो सूचना है, वह चार जिलों के संबंध में है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि आपसे ६५-६६ के बारे में कृष्णानन्द राय जी ने जो प्रश्न किया कि ३३ फीसदी खर्च हुआ—उसका सबूत यह कि २४ आपको मिला तो खर्च किया आपने ६, जब ६५ मिला तो आपने खर्च किया ४३। तो जो रुपया बाकी बचा उसको आप खर्च करने जा रहे हैं? यह प्रश्न है न आपका (श्री मैनेजर सिंह से)?

श्री मैनेजरसिंह—

इतना प्रश्न और है कि जो पैसा बचा है, उसको आप बलिया और बस्ती के पटेल आयोग के अन्तर्गत लिये गये दो नये जिलों पर खर्च करेंगे?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री उग्रसेन—

जब मैंने यह पूछा कि जिलेवार सड़कें बता दें, तो आपने कहा कि इसमें दिया है, लेकिन इसमें कहां दिया हुआ है ?

श्री अध्यक्ष—

सवाल तो चार जिलों का है।

श्री उग्रसेन—

देवरिया उन्हीं चार जिलों में से है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री राममूर्ति—

मेरा आपसे निवेदन है कि चूंकि माननीय सदस्य बहुत से डिटेल जानना चाहते हैं, जिसको हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब बता नहीं पा सके हैं, इसलिये इस प्रश्न को आज स्थगित कर दिया जाय, तो अच्छा हो।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा ठीक है।

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इसके लिये आप और तैयार होकर आइयेगा। इनकी ओर से जो केन्द्रीय सरकार को पटेल आयोग की संस्तुति की गयी है, तो संस्तुति कितनी सड़कों के लिये और कितने रुपयों के लिये की गयी थी और रुपया मिला वह उसमें खर्च हो गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग निर्माण कार्य के लिये जो अनुमान लगाता है उससे कई कई गुना खर्च बढ़ जाता है, लेकिन यहां पर उल्टा है जितना अनुमान लगाया है उससे कम खर्च हुआ है।

श्री बंशीधर पांडेय—

ठीक है, स्थगित है, फिर बताया जायगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

अभी मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि यह ब्योरा दिसम्बर तक का है और शेष बचा हुआ २–३ महीने में मार्च तक खर्च हो जायगा। तो मैं आपके माध्यम से यह मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार इस बात को जस्टीफाई कर सकती है कि १० महीने में तो सिर्फ वन थर्ड खर्च हुआ है और अब २–३ महिने में टू–थर्ड खर्च हो जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न स्थगित हो गया है। इसका जवाब बाद को आयेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

श्रीमन्, सरकार को आगाह किया जाय। यह सार्वजनिक निर्माण में मंत्री का सवाल है। उनको यहां पर जवाब देना था किन्तु क्या कारण है वह इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। वह आप की राय से अवगत हैं फिर भी वह सवालों के दिन गायब हो जाते हैं तो इस चीज को रोका जाय।

श्री अध्यक्ष—

वह स्थगित हो गया है।

विधान सभा कर्मचारियों को महानगर में क्वार्टर

*७--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों के लिए कुल कितने मकान सरकार ने महानगर योजना में नियत किए हैं ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

महानगर में क्वार्टर सचिवालय के कर्मचारियों के लिए बने हैं। विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों को भी इन मकानों के लिए सचिवालय के कर्मचारियों की ही तरह पात्र माना जाता है। अलग से न उनके लिए क्वार्टर सुरक्षित किए गए हैं और न किसी अन्य विभाग के कर्मचारियों के लिए।

*८--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त योजना में जो मकान विधान सभा सचिवालय के कर्मचारियों को दिए गए हैं वे क्या ज्येष्ठता के आधार पर दिए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? और किस के आदेश से ज्येष्ठता के आधार पर नहीं दिए गए, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ज्येष्ठता के आधार पर अभी तक मकान नहीं दिए गये ? उनको कब तक मकान दिलवाने की कृपा करेंगी ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

विधान सभा सचिवालय के जिन ९ कर्मचारियों के पास महानगर में मकान हैं, वे सभी सन् १९६१ के पूर्व आवंटित किए गए थे। उस समय तक इन मकानों का आवंटन प्रार्थना-पत्र देने की तिथि तथा आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर किया जाता था, ज्येष्ठता के आधार पर नहीं। सन् १९६१ के बाद से इन मकानों का आवंटन लगातार सेवा की अवधि के आधार पर किया जा रहा है। दिनांक ३१-१२-६५ तक विधान सभा सचिवालय के १९ कर्मचारियों ने मकानों के लिए प्रार्थना-पत्र दिए हैं। मकान उपलब्ध होने पर जब भी ये कर्मचारी निर्धारित नीति के आधार पर आवंटन के पात्र होंगे उन्हें मकान आवंटित किए जायेंगे।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय तक कितने मकान वहां बने हैं और आगे वहां कितने मकान बनाने की योजना है ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

अधीक्षक के क्वार्टर ६ हैं। प्रवर वर्ग के सहायकों के ९४ क्वार्टर हैं। अवर वर्ग के सहायकों के ९६ क्वार्टर हैं। इसके अलावा ५ अवर वर्ग के सहायकों के आवास के लिए महानगर में और बन रहे हैं। इनके निकट भविष्य में तैयार हो जाने की आशा है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे कि विधान सभा के थोड़े से कर्मचारी हैं तो उनके लिए उन मकानों में से अलग एक कोटा मुकर्रर कर दिया जाय ?

श्री रामकुमार शास्त्री--

इसमें कोई अन्तर नहीं है और भी मकान बनाए जा रहे हैं। बादशाहनगर में भी मकान बनाए जा रहे हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या माननीय मन्त्री जी को जानकारी है कि महानगर में जो मकान किराए पर दिए गए हैं तो जिनको किराए पर दिए गए हैं वह उनमें नहीं रहते हैं बल्कि उन्होंने अधिक किराए पर उन्हें उठा दिया है ? इसकी जांच करायेंगे ?

श्री रामकुमार शास्त्री---

मुझको इसकी जानकारी नहीं है। अगर माननीय सदस्य कृपा कर कोई पत्र लिखेंगे और ब्योरा देंगे तो अनिवार्य रूप से उसकी जांच कराई जा सकती है।

*९---श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)---

[७वें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या २४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१०---श्री झारखण्डेराय---

[७वें सोमवार के लिए प्रश्न संख्या ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*११-१३---श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)---

[५वें बुधवार के लिए प्रश्न संख्या ७०-७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

हैदरगढ़ तहसील में लगान माफी के लिए प्रार्थना-पत्र

*१४---श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)---

क्या यह बात सही है कि दिनांक १२ अगस्त, १९६५, को कोई पत्र मुख्य मन्त्री को मिला, जिसमें तहसील हैदरगढ़, जिला बाराबंकी, को अकाल-ग्रस्त घोषित कर सिंचाई, लगान आदि देय धनों को माफ करने और टेस्ट वर्क चालू करने की मांग की गई थी तथा जिसे राजस्व सचिव के पास कार्यवाही के लिए भेजा गया था? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

जी हां। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, बाराबंकी से प्रतिवेदन मंगवाया गया। अगस्त १२, सन् १९६५ के कुछ ही दिन बाद हैदरगढ़ तहसील के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा हो जाने से स्थिति में सुधार हो गया और टेस्ट वर्क्स आदि के चालू करने की आवश्यकता नहीं हुई।

*१५---श्री रामकिशोर त्रिपाठी (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस पत्र के अनुसार किन-किन देय धनों में किसानों को कितनी छूट दी गई और कितना धन वसूली का कितने समय के लिए स्थगित किया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वर्षा न होने के कारण तहसील हैदरगढ़ में मालगुजारी में २,४५,६४५ रु० ४६ पैसे, आपत्ति अधिभार में ६१,१६१ रु० ३० पैसे तथा २८२.५३ रु० लगान की वसूली स्थगित कर दी है। किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है।

इसके अतिरिक्त पिछली फसल में निम्नलिखित वसूली नवम्बर, १९६५ तक के लिए स्थगित रही :---

	रु०
मालगुजारी बकाया	५,५६,७२४
मालगुजारी हाल	७३,२५७
आपत्ति अधिभार	४,२४६
सिंचाई नहर	३८,४६५
तकावी ऐक्ट १२	५४,७३१
तकावी ऐक्ट १९	१७,१५८
पी० लोन	५४,१७६
एग्रीकल्चर सीड स्टोरज	१७,१६१

पे रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट का हिन्दी संस्करण

*१६—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पे रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट का हिन्दी संस्करण कब तक तैयार हो जावेगा ?

वित्त उप मन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—

पे रेशनलाइजेशन कमेटी की रिपोर्ट का हिन्दी संस्करण तैयार हो गया है।

*१७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर सम्बन्धित विभागों को राजाज्ञायें अभी तक जारी नहीं हुई हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—

जी हां। सम्बन्धित विभागों की राजाज्ञायें तैयार की जा रही हैं और शीघ्र ही जारी की जायेंगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो हिन्दी संस्करण है वह कितने दिनों के बाद छपकर तैयार हो पाएगा और सदन की मेंज पर कब रखा जायगा और कब उस पर बहस होगी ?

श्री जयराम वर्मा—

अंग्रेजी की रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद से ही यह कार्य शुरू हो गया था और अब वह छप कर तैयार हो गयी है। जो असंगतियां थीं उनके सम्बन्ध में तथा कुछ अन्य बातों के सम्बन्ध में भी कैबिनेट ने डिसीशन ले लिया है, उन रेजोल्यूशन्स की भी हिन्दी में प्रतियां छपवाई जा रही हैं। जैसे ही वह प्रतियां छप जायेंगी उनको तथा हिन्दी प्रति को इस प्रतिवेदन को, सब को सदन के समक्ष रख दिया जायगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या माननीय मन्त्री जी निश्चित आश्वासन यह देंगे कि इस सत्र में इस रिपोर्ट पर बहस कराई जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, इनका मतलब यह है कि हिन्दी का संस्करण तथा जो संस्तुतियां आदि हैं उनको इस महीने के अन्दर ही आप यहां सदन में रख दें, ताकि अप्रैल में किसी समय उस पर बहस कराई जा सके।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी से तो कुछ उत्तर दिलवाइए।

श्री अध्यक्ष—

आप दूसरा प्रश्न कीजिए।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उस दिन यहां सदन में माननीय मुख्य मन्त्री ने कहा था कि राजाज्ञायें आज शाम तक जारी हो जायेंगी, आज कहा गया कि छप रही हैं। तो कौन सा उत्तर सही है, माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करें ?

श्री जयराम वर्मा---

२८ तारीख को तो जो रेशोल्यूशन हुआ है, उसके आदेश जारी हो गए, उसके बाद अलग-अलग विभाग अपनी राजाज्ञायें तैयार करते हैं, वह फिर वित्त विभाग में एग्जामिन करने के लिए आती हैं। यह सब कार्य हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या माननीय मन्त्री जी इस सदन में स्पष्ट कोई आश्वासन देंगे कि इस वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिशों के आधार पर कर्मचारियों को पिछला बकाया वेतन ३१ मार्च, १९६६ तक अवश्य मिल जायगा और कोई ऐसा तरीका उन्होंने निकाला है कि जिससे जो राजाज्ञायें अभी तक जारी नहीं हुई हैं वे सब तुरन्त जारी हो जायं ?

श्री जयराम वर्मा---

इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि सभी बकाया वेतन इसी वित्तीय वर्ष में मिल जायें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

क्या वित्त विभाग की ये राजाज्ञायें जारी हो गई हैं ?

श्री जयराम वर्मा---

जो जारी हुई हैं वे मैंने पहले ही बता दी हैं।

श्री रघुनाथसिंह---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट की कितनी प्रतियां अंग्रेजी में छपीं और उनका क्या उपयोग हुआ ?

श्री जयराम वर्मा---

संख्या तो नहीं मालूम लेकिन बहुत से माननीय सदस्यों ने अंग्रेजी की प्रतियां चाहीं और उनको दी गयीं।

राधाकृष्ण समिति की सिफारिशें

*१८---श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार कृपया बताएगी कि शिक्षा सम्बन्धी राधाकृष्ण समिति की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें सरकार कब से लागू कर रही है ?

शिक्षा उप मन्त्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)---

राधाकृष्ण समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें अभी शासन के विचाराधीन हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राधाकृष्ण समिति की रिपोर्ट कब से सरकार के विचाराधीन है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

नवम्बर, ६५ से।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या वर्तमान सरकार इसकी सिफारिशों पर निर्णय लेकर उन्हें लागू करने में समर्थ हो पायेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

सरकार तो यही रहेगी और लागू भी करेगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या ये सिफारिशे ६७ के इलेक्शन से पहले नहीं लागू होंगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जैसे-जैसे आवश्यक समझा जायगा वैसे लागू होंगी।

श्री रघुनाथसिंह---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि सरकार तो यही रहेगी। तो क्या काल्पनिक उत्तर देना उचित है और आपके निर्णय में नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---

यह लोगों को अहंकार होता है, जो स्वाभाविक है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भवनों का निरीक्षण

*१९---श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई इमारतों का निरीक्षण करने के लिए १९५९ में प्राविधिक परीक्षक की नियुक्ति की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को देते हुए यह लिखा है कि पिछले चार वर्षों में निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भवनों में से लगभग ८० प्रतिशत घटिया किस्म के तथा दोषपूर्ण हैं जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपए की हानि हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस रिपोर्ट को सदन को मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---

जी नहीं। अतएव करोड़ों रुपये की हानि का प्रश्न नहीं उठता। चूंकि प्राविधिक परीक्षक की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, उस रिपोर्ट को सदन को मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

*२०-२१---श्री भीखालाल---

[६ठे शुक्रवार के लिए स्थगित किये गये।]

बालिका विद्यालय, गांधीनगर में बसें

*२२---श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय इन्टर कालेज (बालिका विद्यालय) गांधीनगर, जिला बस्ती, में नवम्बर, दिसम्बर, १९६५ में कितनी बसें और ड्राइवर वहां की लड़कियों को ले जाने और ले आने की सुविधा के लिए ही हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

२ बसें और २ ड्राइवर।

*२३---श्री सोहनलाल धुसिया---

दिसम्बर सन् १९६५ के अन्तिम सप्ताह में उस विद्यालय की कितनी बसें खराब रहीं जो चलाई नहीं जा सकीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

दोनों ही।

श्री सोहनलाल धुसिया—

उन बसों के चलाने में कौन सी दिक्कत है और सरकार उसे दूर करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसमें एक बेकार है जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अनुमति से बनने के लिए पड़ी हुई है। दूसरी आई, उसमें बैटरी नहीं थी। नई बैटरी जिस फर्म से आने को थी उससे नहीं मिल सकी। उसके बाद इंडस्ट्रीज डायरेक्टोरेट को लिखा गया कि दूसरे फर्म से खरीदने को अनुमति दी जाय। वह अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी। यह बड़े खेद का विषय है कि अभी तक नहीं चला पाये।

श्री सोहनलाल धुसिया—

क्या यह लोकप्रिय कहलाने वाली सरकार अपने घर की लड़कियों को पैदल इसी तरह चलाने में प्रसन्नता महसूस करती है और क्या छोटी-मोटी मरम्मत के लिए कंटिजेंट मनी स्कूल में रखने का प्रबन्ध किया जायगा?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अभी तो कन्टींजेंट मनी की व्यवस्था नहीं है। इसे देख लेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

गांधीनगर का ही सवाल नहीं है। गाजीपुर में भी रोज बसें खराब होती हैं। क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि बालिका विद्यालयों की बसें ट्रांसपोर्ट विभाग में मरम्मत कर दी जाया करें ताकि लड़कियों को दिक्कत न हो?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से ही होता है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या रोडवेज के कार्यालयों के इंचार्जों को ऐसे आदेश देंगे कि उनके यार दोस्त और मित्रों की गाड़ियां न बनकर, नयी बैटरियां और इंजिन बाहर न जाकर, सरकारी गाड़ियों में ही लगाए जावें ताकि वे चालू हालत में रहें?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

ये ऐसे चार्जेज हैं जिन्हें मानने से इन्कार करना पड़ता है और मैं समझता हूं कि ऐसी बात उचित नहीं है।

एटा जिले में पुलों का निर्माण

*२४—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सेतु निधि से जिला एटा की बुढ़गंगा नदी पर विकास खण्ड पटियाली में पटियाली से नरदौली जाने वाली सड़क पर तथा थाना दरियागंज रेलवे स्टेशन से बुढ़ौला को जाने वाले मार्ग पर पुल बनाने की व्यवस्था विभाग द्वारा करायेंगे? यदि हां, तो दोनों पुल कब तक बन कर तैयार हो जावेंगे?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उत्तर प्रदेश सेतु निधि से नये पुल के निर्माण की योजना अभी तैयार नहीं की गई है। अतः अभी यह नहीं कहा जा सकता कि इन पुलों का निर्माण उस योजना के अन्तर्गत करना सम्भव होगा अथवा नहीं।

श्री राजेन्द्र सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी योजना बनाते समय इस पुल को बनाने के लिये प्राथमिकता देने की कृपा करेंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

अध्यक्ष महोदय, इस पुल के निर्माण की योजना अभी नहीं बनी है। माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र सिंह जी, ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थायी समिति की गत बैठक में इस पुल के बारे में सुझाव दिया था। मुख्य अभियन्ता ने इसको नोट कर लिया था और सूचना दी है कि सेतु निधि से यह पुल बन सकता है लेकिन अभी इसको किसी योजना में शामिल नहीं किया गया। किस योजना में इसको शामिल किया जायगा, यह कहना अभी मुश्किल है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

जब इस फंड को यूटिलाइज करने का कार्यक्रम बनेगा तो क्या माननीय मंत्री जी इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान देंगे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

वह तो ध्यान रखा ही जायगा।

*२५—श्री कृष्णानन्द राय —

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

नवीन प्राइमरी स्कूलों के भवन

*२६—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने ऐसे प्राइमरी स्कूल चलाने की योजना बनी थी, जिसमें कुछ धनराशि शिक्षा विभाग को, कुछ सामुदायिक विकास विभाग को और कुछ ग्राम सभाओं को देनी थी और इस स्कीम के अन्तर्गत योजना को अब तक की अवधि में कितने विद्यालय निर्मित हो सके हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

तृतीय पंचवर्षीय आयोजनान्तर्गत २१,५०० प्राइमरी स्कूल खोलने की योजना थी जिनके भवन निर्माण हेतु १,००० रु० प्रति स्कूल की दर से शिक्षा विभाग द्वारा अनुदान दिया जाना था। योजना के कार्यान्वयन के समय यह प्रस्तावित किया गया कि उक्त अनुदान के अतिरिक्त सामुदायिक विकास विभाग द्वारा १,५०० रु० तथा स्थानीय जनता द्वारा ५०० रु० प्रति विद्यालय योगदान दिया जायेगा।

३१ दिसम्बर, १९६५ तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ४,३७५ स्कूलों के भवनों का निर्माण हो चुका है।

*२७—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राइमरी स्कूल चलाने की उपरोक्त योजना में शिक्षा विभाग ने कुल कितना रुपया अब तक क्षेत्र समितियों को भेजा है ? और उसमें कितना उपयोग में आ चुका है और जो धन शेष बच गया है उसका उपयोग क्यों न हो सका है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उक्त योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग द्वारा अब तक १,७८,५६,००० रु० स्वीकृत किया गया है जिसमें से ४३,७५,००० रु० व्यय हो चुका है। शेष धन निम्नलिखित मुख्य कारणों वश अनुपयुक्त है :—

(१) सामुदायिक विकास विभाग से अपेक्षित अंशदान का प्राप्त न होना,
(२) ग्रामों में उपयुक्त भूमि का न मिलना,
(३) भवन निर्माण सामग्री का सुगमता से सुलभ न होना।

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट है कि तीसरी योजना की एक महत्वपूर्ण स्कीम असफल हो गयी है। २१ हजार प्राइमरी स्कूलों में से केवल ४ हजार ही बन पाये। डेढ़ करोड़ रुपया जो प्रत्येक जिले में भेजा गया था वह ब्लाक्स में लाक्ड अप पड़ा रह गया। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सामुदायिक विकास खंडों ने अपने अंशदान को क्यों नहीं दिया जिसके कारण योजना असफल रही ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसके लिये वे प्रयत्नशील तो थे लेकिन बीच ही में पाकिस्तान की लड़ाई आ गयी और उस धन को खेती के उत्पादन में लगाना अधिक उचित समझा गया। खेती के ऊपर बिल्डिंग को प्रायोरिटी नहीं दी जा सकी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

जब प्रत्येक गांव समाज में ग्राम सभा की जमीन छूटी हुई है तब फिर माननीय मंत्री जी के यह कहने का क्या आधार है कि जमीन प्राप्त नहीं हो सकी, जब कि हर गांव समाज चाहता है कि उसके यहां स्कूल खोले जायं और उसके लिये उन्होंने प्रस्ताव भी पास किये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, सब जगह ऐसी बात नहीं है जो वह बता रहे हैं, जहां ग्राम सभाओं की जमीनें पड़ी हैं वह बस्तियों से दूर हैं और उपयुक्त नहीं हैं या कहीं उपलब्ध ही नहीं हैं।

देवरिया—फैजाबाद सड़क

*२८—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया से फैजाबाद तक वाया रुद्रपुर, हाटा, गोला, सिकरीगंज, धनघटा, कलवारी, छावनी होते गोरखपुर, बस्ती और देवरिया के पिछड़े इलाकों के विकास हेतु सड़क निर्माण हेतु जनता, विधायकों तथा जिला परिषदों की ओर से सुझाव १ जनवरी, १९६५ से १ जनवरी, १९६६ तक के बीच आये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। धनाभाव के कारण प्रस्तावित सड़क का निर्माण अभी तक सम्भव नहीं हो पाया है।

*२९—श्री राजेन्द्रसिंह—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३०-३१—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

नोट—तारांकित प्रश्न २७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*३२–३३—श्री कमलासिंह यादव तथा श्री मैनेजरसिंह—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३४—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*३५–३६—श्री रघुनाथसिंह, श्री रामसुन्दर पांडेय, श्री केशरीप्रसाद पांडेय, श्री उमाशंकर तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३७—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३८–३९—श्री रामसिंह (मैनपुरी)—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

वाराणसी में सड़कों व पुलों के निर्माण के लिए सुझाव

*४०—श्री ऊदल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री (रोडविंग) का पत्र नं०पी० एल० १० (२०)६५ नई दिल्ली, २४ मार्च, १९६५ सेक्रेटरी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, बिल्डिग ऐंड रोड ब्रांच, लखनऊ, को, इम्प्रूवमेंट आफ रोड कम्यूनिकेशन इन वाराणसी के विषय में मिला है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई? क्या उसमें कुछ सुझाव भी दिया गया है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी हां। उक्त पत्र के साथ भारत सरकार ने माननीय सदस्य के एक पत्र की प्रति भेजी थी जिसमें उन्होंने कुछ सड़कों और एक पुल के निर्माण का सुझाव दिया था। भारत सरकार ने इन सुझावों पर विचार करने तथा उनको चौथी योजना में सम्मिलित करने के प्रश्न पर विचार करने को प्रदेशीय सरकार से कहा था। इन सुझावों पर विचार किया गया और भारत सरकार तथा माननीय सदस्य को प्रदेशीय सरकार के निश्चय से अवगत करा दिया गया।

*४१—४२—श्री ऊदल—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४३–४५—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी गढ़वाल)—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*४६–४७—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

मालगुजारी की वसूली

*४८—श्री टम्बेश्वरप्रसाद, श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर), श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद), श्री बेदराम, श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश मालगुजारी अधिभार एक ही साथ पूरे साल का वसूला जा रहा है, इसका क्या कारण है तथा क्या मंत्री जी इसे तत्काल रोकने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मालगुजारी पर आपातिक अधिभार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक किश्त के साथ अनुपातत: वसूल हो रहा है। नियम के खिलाफ एकमुश्त वसूली की कोई शिकायत शासन को नहीं प्राप्त हुई है।

*४९--श्री टम्बेश्वरप्रसाद, श्री रक्षपालसिंह, श्री दयाराम शाक्य, श्री बेदराम, श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले--

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५०--श्री टम्बेश्वरप्रसाद, श्री रक्षपालसिंह, श्री दयाराम शाक्य, श्री बेदराम, श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले--

[६ठे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ५३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५१--श्री टम्बेश्वरप्रसाद, श्री रक्षपालसिंह, श्री दयाराम शाक्य, श्री बेदराम, श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री कल्याणचन्द मोहिले--

[५वें मंगलवार के लिये प्रश्न संख्या ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

छाता तहसील में सड़कों का निर्माण

*५२--श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा की छाता तहसील में छाता से गोवर्धन कोसी से शेरगढ़ सड़कें चौथी पंचवर्षीय योजना के किस साल में बन जावेंगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

सड़कों व पुलों की चौथी पंचवर्षीय योजना का आकार तथा रूपरेखा अभी तक निश्चित नहीं हुई है। अतः अभी यह कहना सम्भव नहीं है कि इन सड़कों को उस योजना में बनाना सम्भव होगा अथवा नहीं।

*५३--श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)--

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५४-५५--श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*५६-५७--श्री कल्पनाथ सिंह--

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

माध्यमिक शिक्षकों के लिए लाभत्रयी योजना

*५८--श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षकों के लिये स्वीकृत लाभत्रयी योजना के नियम विज्ञापित किये जा चुके हैं अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

श्री राममूर्ति--

लाभत्रयी योजना के नियम विज्ञापित किये जा चुके हैं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

*५९-६०--श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६१-६३--श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*६४-६६--श्री लखपतराम शर्मा--

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

प्रसूति अवकाश

*६७--श्री सोहनलाल धुसिया तथा श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि महिला राज्य कर्मचारियों को पूरे सेवा-काल में केवल तीन बार का प्रसूति-अवकाश मिलेगा ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--

जी हां, सरकार ने उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति की इस विषय पर की गई सिफारिश मान ली है।

*६८--श्री सोहनलाल धुसिया तथा श्री रामचन्द्र विकल--

किस उद्देश्य को सामने रख कर सरकार ने यह फैसला किया है तथा यह कब से लागू हो जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश--

सरकार ने यह फैसला परिवार नियोजन के विविध उद्देश्यों को सामने रख कर किया है। यह फैसला १ अप्रैल, १९६७ से लागू होगा।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

[६ठे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

राजाज्ञा को अंग्रेजी में जारी करने के संबंध में आपत्ति

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, आपके पटल पर माननीय काशीनाथ जी ने वह जी० ओ० जो अंग्रेजी में निकाला गया है दिया है, जिसमें कहा गया है कि वेतन के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारी इस इस तरह से काम करें। मेरा निवेदन है कि जब इस प्रदेश की राजभाषा हिन्दी हो चुकी है तब फिर यह वित्त विभाग की ओर से श्री दवे, स्पेशल सेक्रेटरी, ने अंग्रेजी में जी० ओ० क्यों भेजा है। अभी माननीय केशरी प्रसाद जी के व्यवस्था के प्रश्न पर आपने कहा कि प्रश्न कर लिया जाय। अब सवाल तो हो गया, जी० ओ० आपके पास पहुंच गया। अब आपको और सदन को, सरकार को अवगत कराना चाहिये कि जब यहां की राष्ट्रभाषा हिन्दी है तो यह जी०ओ० अंग्रेजी में क्यों निकाला गया, क्यों यहां के मंत्रिगण और सचिव, यहां की कार्यवाही अंग्रेजी में चलवाते हैं। मैं चाहता हूं कि इस पर आपकी राय आनी चाहिए और सदा के लिये इस चीज का फैसला हो जाना चाहिये। यह सरकार रोज बहानेबाजी करती है और यहां से अंग्रेजी हटाना नहीं चाहती है, अंग्रेजी फौरन हटाई जानी चाहिये, आज इसका पूरा निर्णय यहां होना चाहिये वर्ना यह अंग्रेजी की परम्परा दिन ब दिन बढ़ रही है। यह सरकार कोई सीमा निर्धारित करेगी, या नहीं कि कब यहां से अंग्रेजी का चलन समाप्त होगा ? पहले आप आज अपना फैसला दें, तब यहां की कार्यवाही चले।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, यह मुख्य सचिव, श्री के० के० दास, और श्री दवे ऐसे लोग हैं जो यहां अपनी चालबाजी और अफसरों को सांठगांठ से अंग्रेजी चलाना चाहते हैं और मैंने उनके खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। यहां पर इनके द्वारा हिन्दी के खिलाफ एक

षडयंत्र चल रहा है। मैं इस जी० ओ० को नत्थी करके विशेषाधिकार की अवहेलना का नोटिस दे रहा हूं। यहां की घोषित राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा हिन्दी है और इसे अंग्रेजी में निकाल कर इन दोनों महानुभावों ने राज्यभाषा का और सदन का घोर अपमान किया है। वह यहां अपना कुचक्र और षडयंत्र चलाना चाहते हैं। जैसा कि अभी पांडेय जी ने कहा, यह प्रश्न सदा के लिये इस सदन में अब तय हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, इस विशेषाधिकार के प्रश्न को मैं देख लूंगा।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, कई बार इस पर क्षोभ प्रकट किया जा चुका है और इससे हमारा सबका अपमान हुआ है।.....

श्री अध्यक्ष---

इसी नियम में यह है कि पहले से सूचना आनी चाहिये, सदन में उठाने से पहले ....

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

लेकिन यदि अवमान सदन के सामने हुआ है तब ?

श्री अध्यक्ष---

वह सदन में नहीं आया है, वह आप ले आये हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह---

आप तुरन्त इसको ले सकते हैं, वह कबूतरखाने में आ चुका है ...

श्री रामसुन्दर पांडेय---

आपका आदेश है। यह जी० ओ० हम सब को कबूतरखाने में और सदन के पटल पर मिला है, यह कोई नई बात नहीं है, यह हमको दिया गया है, सूचना आपको पहुंच गई, इसलिये अब किसी सूचना की जरूरत नहीं रह गयी है, हमें सब सूचित हो गया, कोई नई बात नहीं है। जहां तक सवाल करने की बात है, यहां सवाल और उत्तर सब पहुंच गया है। निश्चित चीज आपके सामने आ गई है कि यह जी० ओ० अंग्रेजी में निकला है, वह सदन के पटल पर आ चुका है। हम चाहते हैं कि आप सरकार से निश्चित उत्तर दिलायें कि यह हिन्दी की उपेक्षा क्यों है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

जो मेज पर रखा गया है .....

श्री अध्यक्ष---

एक प्रश्न हमारे सामने विशेषाधिकार के रूप में आया है। नियम यह है कि सदन की बैठक के पूर्व उसकी सूचना आ जानी चाहिये ताकि मैं स्वयं उसे देख लूं। जहां तक हिन्दी का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि यह सदन इस बात से अवगत है कि हिन्दी के प्रति आपके हृदय में जितनी भावना है उससे ज्यादा नहीं तो कम से कम उतनी ही भावना हिन्दी के प्रति मेरे हृदय में भी है तो आप यह क्यों सोचते हैं कि यह प्रश्न सदन में हमारे सामने नहीं आयेगा ? लेकिन इस समय आप इसको छोड़ें, फिर इस पर विचार कर लेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं लेकिन हमें महान कष्ट है कि हिन्दी के लिये आपकी इच्छा तो है लेकिन उस इच्छा का व्यवहार में कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। हमें इस बात की

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

तकलीफ है कि इच्छा रहते हुये भी आप सरकार को सचेत नहीं कर रहे हैं। श्री दवे ही जो विशेष सचिव वित्त विभाग में हैं वही सरकारी कार्य को हिन्दी में करने से रोक रहे हैं। यह सरकार हिन्दी की बराबर उपेक्षा कर रही है और इस प्रदेश में हिन्दी को चलने नहीं देना चाहती और इसीलिये उसने इस राजाज्ञा का प्रसार हिन्दी के बजाय अंग्रेजी में किया है।

(व्यवधान)

बिहार के शुधांशु जी ने अपने यहां अंग्रेजी विधेयक को सदन की पटल पर रखने तक नहीं दिया था। अब इस सदन की पटल पर उस राजाज्ञा को रखा गया है जो अंग्रेजी में है ....

श्री अध्यक्ष--

उसको सदन की पटल पर नहीं रखा गया है।

(व्यवधान)

सदन के पटल पर रखने का मतलब यह है कि सरकार द्वारा वह प्रस्तुत किया जायगा।

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय---

सरकार द्वारा हिन्दी के प्रति बराबर उपेक्षा हो रही है और आप इसको रोक नहीं पा रहे हैं, इसके विरोध में मैं ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(संयुक्त सोशलिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री बैजनाथसिंह बैद्य (जिला सुल्तानपुर)---

ये सब लोग अंग्रेजी के अखबार ही पढ़ते हैं, हिन्दी का अखबार कोई नहीं पढ़ता और यहां तक कि हिन्दी पिक्चर देखने के बजाय अंग्रेजी पिक्चर ही देखना ज्यादा पसन्द करते हैं।

श्री अध्यक्ष---

मुझे मालूम है कि यहां जो हिन्दी की मांग कर रहे हैं, हमारे यहां से मांग कर अंग्रेजी की प्रतियां ही ले जाते हैं, लेकिन यह होते हुये भी मैं समझता हूं कि सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह अंग्रेजी में किसी राजाज्ञा को छापे। लेकिन इस विषय को अब मैं इस समय नहीं बे रहा हूं।

कुंवर श्रीपालसिंह---

श्रीमन्, विशेषाधिकार के सम्बन्ध में मुझे कुछ निवेदन करना है। नियम ६४ के अन्दर जैसा कि आपने कहा उसमें यह दिया हुआ है कि इन इन तरीकों से वह प्रस्तुत किया जायगा। मगर उसके प्रथम परन्तुक में यह स्पष्ट है कि "यदि अवहेलना सदन के प्रत्यक्ष ही की गयी हो तो सदन बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा"। अब आप यह देखें कि जब हिन्दी में यहां राजाज्ञा रखनी चाहिये थी उसे अंग्रेजी में रखा गया है .....

श्री अध्यक्ष---

मुझे सूचना यह नहीं है कि उसे पीजन होल्स में रख दिया गया था। पीजन होल्स में हमारी अनुज्ञा के बिना कोई चीज नहीं रखी जानी चाहिये। तो यह जो कहा गया है वह बात ऐसी है जो जांच करने की है। .....

कुंवर श्रीपालसिंह---

अभी अभी खुद मंत्री जी ने भी कहा है कि राजाज्ञा अंग्रेजी में प्रसारित की गयी है और उसका हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है जिसके कारणवह सदन में अभी हिन्दी में प्रस्तुत नहीं

हो सका है। वे स्वयं यह कह चुके हैं। यह जो सदन का अपमान हुआ है इसके लिये पर्याप्त प्रमाण हैं।[1] इस से आपके आदेशों की भी अवहेलना हुयी है।

श्री अध्यक्ष--

अगर अंग्रेजी में छपी है तो मेरे द्वारा सदन में प्रस्तुत नहीं की जायगी और अगर वे (मंत्री) कुछ करते हैं तो आपके पास दूसरे तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपनी बात को यहां पर ला सकते हैं। यह अंग्रेजी की राजाज्ञा, इस सदन में प्रस्तुत नहीं होगी, ऐसा मेरा निश्चित आदेश है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह तो सही है कि कुछ माननीय सदस्यों को अंग्रेजी का अधिक ज्ञान है और प्रेम भी हो सकता है लेकिन माननीय अध्यक्ष भी कहते हैं कि बहुत से माननीय सदस्य मुझ से अंग्रेजी की प्रतियां भी ले जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपका दफ्तर अंग्रेजी की प्रतिलिपियों का स्टाक रखने के लिये है और आपको इन्हें मंगाने की क्या आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष--

यह विषय तो अब समाप्त हो गया है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

श्रीमन्, आपके द्वारा भी हिन्दी की उपेक्षा हो रही है। इसलिये हम सदन का त्याग करते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

अल्मोड़ा की सेटिलमेंट रिपोर्ट, १९६५

श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)--

अध्यक्ष महोदय, आपके कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ है कि टेहरी गढ़वाल आदि के बन्दोबस्त की रिपोर्ट की प्रतिलिपि पार्टी आफिस में रखी जायगी और एक प्रतिलिपि लाइब्रेरी में रखी जायगी लेकिन किसी माननीय सदस्य को नहीं दी जायगी। तो मैं प्रार्थना करता हुं कि इसकी एक-एक प्रतिलिपि माननीय सदस्यों को भी दिलाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

तो दिक्कत क्या है? जब हमारे पास प्रतियां आती हैं और वे इतनी पर्याप्त नहीं होती हैं कि सब माननीय सदस्यों को दे दी जायं तो, सब को उनसे लाभ उठाने के लिये हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है कि हम उसे पार्टी आफिस में भेज दें ताकि जो माननीय सदस्य देखना चाहें देख लें, और उसकी एक प्रति लाइब्रेरी में रखा दें।

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से जिला अल्मोड़ा की सेटिलमेंट रिपोर्ट, १९६५ को लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ९५-ए के अनुसार चर्चा के लिये सदन की मेज पर रखता हूं।

---

[1] छापी नहीं गयी

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५-६६ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५-६६ का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, १९६६ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १५ फरवरी, १९६६ की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक २२ फरवरी, १९६६ को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २८ फरवरी, १९६६ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) विधेयक, १९६६ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक १४ फरवरी, १९६६ को बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १७ फरवरी, १९६६ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति, दिनांक २८ फरवरी, १९६६ को प्राप्त हो गयी है और वह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा--

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्प कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ४ फरवरी, १९६६ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १४ फरवरी, १९६६ को बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २८ फरबरी, १९६६ को प्राप्त हो गयी है औरवह सन् १९६६ का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया ।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न माननीय सुखदेव प्रसाद ने दिया था, वह अस्वीकार हो चुका है । कारण वह देख लेंगे ।

राजाज्ञा को अंग्रेजी में जारी करने के सम्बन्ध में आपत्ति--(क्रमागत)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अध्यक्ष महोदय, हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है । १९५१ में हमारे सदन में भाषा अधिनियम पास हुआ और संविधान के अनुच्छेद २१० में से उत्तर प्रदेश के लिये और इस सदन के लिये अंग्रेजी शब्द सर्वदा के लिये निकाल दिये और हमारी सरकार हिन्दी देवनागरी लिपि में

हिन्दी भाषा के माध्यम से काम करे। तो मैं निश्चित व्यवस्था चाहता हूं कि जब यह अधिनियम, १९५१ में पास कर दिया गया और अनुच्छेद २१० में से उत्तर प्रदेश के राजकाज के लिये अंग्रेजी शब्द को निकाल दिया तब श्री दवे या चीफ सेक्रेटरी, श्री के० के० दास, अंग्रेजी में राजाज्ञा कैसे निकाल सकते हैं, अंग्रेजी में क्या प्रकाशित और प्रसारित करते हैं ? केन्द्र में हिन्दी अंग्रेजी साथ-साथ चल सकती है लेकिन इस प्रदेश में अंग्रेजी के लिये कहां स्थान रह गया, इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय वित्त मंत्री जी, आपको कुछ कहना है ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

श्रीमन्, हमारा यह प्रयास है कि सब काम हिन्दी में हो, उसके लिये हर तरह की कोशिश की जा रही है .....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

झूठ बोल रहे हैं आप ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

अध्यक्ष महोदय, ये शब्द वापस लिये जाने चाहिये, ये शब्द संसदीय नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष--

बिल्कुल ठीक । बीच में बार बार यह कहना कि आप झूठ बोल रहे हैं इस किस्म की जो बात करते हैं उनको यह खुद सोचना चाहिये कि इस से अपनी प्रतिष्ठा गिरती है और सदन के गौरव को गिराते हैं । वे समझते हैं कि इसमें बड़ी कारीगरी है ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य--

मैं विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देता हूं ।

श्री जयराम वर्मा--

माननीय सदस्य का ऐसा विचार है कि हम नेकनीयती से कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। जितने प्रदेश के कानून हैं सब का अनुवाद हिन्दी में हो गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि हम चाहते हैं कि सब कार्यवाही जल्दी से जल्दी हिन्दी में चले। लेकिन इस बात का खेद है कि अभी इस में पूरी सफलता नहीं मिली है और कहीं कहीं अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है। मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि जहां तक मेरा प्रश्न है मैं हिन्दी का पूरा प्रयोग करता हूं और सारे आदेश हिन्दी में ही देता हूं ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी सबेरे दारुलशफा के जो चौकीदार या फर्राश हैं उनको अंग्रेजी में आदेश मिले हैं कि तुम लोग पुरानी तनख्वाह लोगे या नई तनख्वाह लोगे। जो चौकीदार या फर्राश हैं वे क्या अंग्रेजी समझेंगे ? मैं चाहता हूं कि सरकार को अपने बिना पढ़े लिखे कर्मचारियों का खयाल करना चाहिये। जब वे बेचारे अंग्रेजी समझेंगे ही नहीं तो क्या जवाब देंगे, इस पर सरकार विचार करे ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

मैं, श्रीमन्, मंत्री जी ने जो कहा है उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं ....

श्री अध्यक्ष—

जो व्यवस्था का प्रश्न उठा है उसको तो खत्म हो जाने दीजिये ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

सारी अंग्रेजी में चिट्ठियां गई हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

मंत्री जो यह बता दें कि हिन्दी में यह राजाज्ञा क्यों नहीं प्रसारित की गई जिससे लाखों आदमी प्रभावित हैं । उनको इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है । मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दी में क्यों नहीं राजाज्ञा प्रसारित की और नहीं की तो उसे प्रस्तुत करेंगे या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—

सारी राजाज्ञायें अंग्रेजी में न निकलें, इसका प्रयास किया जा रहा है ।

कुंवर श्रीपालसिंह—

माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा कि इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि अंग्रेजी कम से कम काम किया जाय । मैं यह स्पष्ट जानना चाहता हूं कि नियमों के पालन में भी आधा पालन किया जाय और आधा न किया जाय, ऐसी भी कोई व्यवस्था हो सकती है । जब ५१ के अधिनियम के अनुसार हमने यह स्पष्ट घोषित कर दिया कि हमारी भाषा देवनागरी लिपि हिन्दी होगी और उस अधिनियम को पूर्णतया लागू करने में संविधान की धारा २१० आड़े आती थी परन्तु २६ जनवरी, १९६५ के बाद जब धारा २१० में से अंग्रेजी शब्द निकल गया तो १९५१ का भाषा अधिनियम पूर्णतया लागू हो गया और जब वह अधिनियम पूर्णतया लागू हो गया तो मंत्री जी जैसा जिम्मेदार व्यक्ति क्या यह कह सकता है कि हिन्दी लागू करने का प्रयास किया जा रहा है और क्या वह इस प्रकार अधिनियम को भंग नहीं कर रहे हैं और संविधान का अपमान नहीं कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

आप जो प्रश्न उठा रहे हैं उस सम्बन्ध में मैंने यहां व्यवस्था दी थी । यहां तक कि जो रिपोर्ट आडिटर जनरल की अंग्रेजी में आई थी उसको मैंने अस्वीकार कर दिया और अभिनवीकरण समिति का प्रतिवेदन भी मैंने सरकार को यहां नहीं रखने दिया । तो जहां तक इस सदन का प्रश्न है और सदन के अन्दर जहां मेरा अधिकार है, उसके मुताबिक मैं सदन के अन्दर उस बात को नहीं होने दूंगा । लेकिन अगर सदन के बाहर कोई बात होती है तो उसके लिये यही उपाय है कि हम अपना खेद प्रकट करें और कहें कि ऐसी बात नहीं होनी चाहिये और ऐसी बात होने से जो हमारे नियम और अधिनियम हैं उनकी अवहेलना होती है ।

अब सिर्फ माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने एक प्रश्न उठाया था मैं उनकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं :—

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

आपने मेरी बात नहीं सुनी ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, आप तो सुनना नहीं चाहते । आप तो अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं । मैं कह रहा था कि ३४८ और ३४७ जो अनुच्छेद हैं उसमें हमारी कठिनाई यह हो जाती है कि अब भी जो कोई राजकीय नियम या विनियम होते हैं उनका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में करना उनके लिये आवश्यक है । अनुच्छेद ३४८ कहता है :—

"इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे, तब तक—

(क) उच्चतम न्यायालय में तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां;

(ख) जो—

(१) विधेयक, अथवा उन पर प्रस्तावित किये जाने वाले जो संशोधन, संसद् के प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किये जायें उन सब के प्राधिकृत पाठ,

(२) अधिनियम संसद् द्वारा या राज्य के विधान मंडल द्वारा पारित किये जायें, तथा जो अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल या राजप्रमुख द्वारा प्रख्यापित किये जायें, उन सब के प्राधिकृत पाठ, तथा

(३) आदेश, नियम, विनियम और उपविधि इस संविधान के अधीन, अथवा संसद् या राज्यों के विधान-मंडल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन, निकाले जायें, उन सब के प्राधिकृत पाठ,

अंग्रेजी भाषा में होंगे।"

तो मैं तो निवेदन कर यह रहा था कि प्राधिकृत पाठ तो अंग्रेजी में करना अनिवार्य है हमारे संविधान के अन्तर्गत। जो प्रश्न उठाया गया है उस सम्बन्ध में मैं अपना अन्तिम निर्णय फिर दूंगा, अभी नहीं दे सकता।

कुंवर श्रीपालसिंह—

उसमें जिन चीजों को कहा गया है वे कागजात हाई कोर्ट से संबंधित हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब इसकी बहस आज समाप्त। इस पर अपना अन्तिम निर्णय फिर दूंगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, मेरा एक निवेदन सुन लें। माननीय शरण जी ने उस रोज रिपोर्ट देते हुये कहा था कि यह आवश्यक है कि हम हिन्दी का अंग्रेजी में अनुवाद करें। हमारी सरकार इसको उलट देती है। वह अंग्रेजी में बनाती है इसलिये हिन्दी भी गलत हो जाती है। आपने स्वयं इन भावनाओं का समर्थन किया है। संविधान में अंग्रेजी में अनुवाद आवश्यक है, बनाना नहीं। इस सदन में गलती से यह समझ लिया गया है कि सदन की भावनाओं का आदर करना केवल इस सदन के दायरे का काम है। ऐसी बात नहीं है। इस सदन ने सक्षमतापूर्वक यह निर्णय लिया है कि प्रदेश की राजभाषा हिन्दी है और अगर प्रदेश के किसी कोने में उसका अनादर होता है तो यह सदन का अनादर है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बहस क्यों कर रहे हैं?

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे जनसंघ के भाई साहबान जो इतना शोर मचा रहे हैं कि हिन्दी में होना चाहिये तो मैं आपके द्वारा अर्ज करूंगा कि जो उनका अखबार 'आर्गेनाइजर' अंग्रेजी में निकलता है, पहले उसे हिन्दी में निकालें।

कुंवर श्रीपालसिंह—

दत्त जी हिन्दी नहीं जानते इसीलिये उन्होंने 'पांचजन्य' का नाम नहीं लिया।

श्री रघुनाथसिंह—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। हिन्दी और अंग्रेजी के प्रयोग को लेकर जो बहस चली और उसमें बड़े विश्वासपूर्ण ढंग से आपने संविधान की धारा क उल्लेख किया; उसमें हिन्दी के अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ की बात कही गयी है। परन्तु यहां पहले अंग्रेजी में लिखा जाकर के हिन्दी में अनुवाद होता है। तो आप यह व्यवस्था दें कि क्या यह कार्य संविधान की उस धारा के मन्तव्य की हत्या नहीं है?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। एक मर्तबा नहीं, अनेक मर्तबा मैं कह चुका हूं कि डाक्टर साहब, यहां अंग्रेजी में पहले पाठ बनता है और हिन्दी में बाद में बनता है यह गलत तरीका है मैं कह चुका हूं। अब आप और क्या चाहते हैं?

रेवतीपुर गांव, जिला गाजीपुर में सिंचाई विभाग द्वारा रिंग बन्धा को अधूरा बना हुआ छोड़ देने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने माननीय कृष्णानन्द राय जी की सूचना को स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है कि "गाजीपुर जिले के सिंचाई विभाग द्वारा एक त्यन्त गलत रवैया बरतने के कारण उस जिले के रेवतीपुर गांव के १८ हजार जनसंख्या के सभी रास्ते अवरुद्ध हो गये हैं और गांव में मवेशियों का, अनाज का तथा जनता का आना जाना दूभर हो गया है। जिसकी वजह से प्रदेश के एक सब से बड़े गांव की आर्थिक जिन्दगी और स्वास्थ्य पर संकट आ गया है। सिंचाई विभाग ने गांव के चारों ओर बाढ़ से बचाव के लिये और वर्षा के पानी के निकास के लिये प्रदेशीय सरकार द्वारा स्वीकृत एक रिंग बन्धा बनान शुरू किया और चारों ओर गांव के मिट्टी का अव्यवस्थित ढूह लगा कर और दर्जनों पुल बना कर बिना मिट्टी या रास्ते को ठीक किये हुये उस बंधे को तैयार करने का काम छोड़ दिया है और लाखों रुपया जो कि विभाग के पास है उसे प्रयोग न करके इस महीने वापस करने जा रहा है। इससे गांव के सभी रास्ते अब हमेशा के लिये बन्द हो जा रहे हैं और गांव की जनता संकट में पड़ने जा रही है। अतः यह आवश्यक है कि इस बंधे को सरकार पूर्ण रूपेण पूरा करने का आदेश भेज दे जिससे कि इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धन व्यय हो जाय और गांव के आवागमन के रास्ते खुल जा। और जनता को त्राण मिले।"

अब इस पर कब बयान दिया जायेगा?

कृषि उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

श्रीमन्, १५ मार्च को।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

श्रीमन्, हमारा बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष—

आप जरा शान्त रहिये। माननीय मुकुटबिहारीलाल, हरिनाथ तिवारी, सूरजलाल गुप्त की सूचनाओं को मैं मंत्री जी के पास ध्यान के लिये भेज रहा हूं, शेष अस्वीकृत।

श्री दयाराम शाक्य—

अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत ही आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष—

अब आप मेरे कक्ष में मिल लीजिये।

१९६६-६७ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ११—गांव सभायें और पंचायतें

*सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—गांव सभायें और पंचायतें के अन्तर्गत १,६१,५५,१०० रु० की मांग वर्ष १९६६-६७ के लिये स्वीकार की जाय।

मान्यवर, पिछले सालों में ऐसा रिवाज रहा है कि पंचायत राज, सामुदायिक विकास और नियोजन के अनुदान एक साथ ही पेश किये गए हैं और पंचायत राज और सामुदायिक विकास का बहुत संबंध है, एक माने में चोली दामन का साथ है और एक दूसरे से ओत प्रोत है। यह भी सही है कि सामुदायिक विकास के जरिये से हम जन साधारण की उन्नति करना चाहते हैं उनकी हालत अच्छी बनाना चाहते हैं और इसके लिये सब से अच्छा माध्यम पंचायत राज ही हो सकता है। यह भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रदेश में पंचायत राज का श्री गणेश सबसे पहले हुआ। १९४७ में हमारे यहां एक बिल पेश किया गया और उसका अधिनियम तैयार हुआ और १९४९ से लेकर अब तक करीब तीन चुनाव भी हुये हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, शुरू शुरू में ग्रामीण जनता ने पंचायती राज में कम दिलचस्पी दिखायी। लेकिन उसके बाद उनकी दिलचस्पी बढ़ती गयी। दिलचस्पी न दिखाने की एक वजह यह भी थी कि चूंकि फ्यूडलिस्टिक आर्डर था, राजे महाराजे, नवाब, ताल्लुकेदारों का, लोग बड़े भयभीत थे। तो पंचायतों के जब चुनाव हुए तो पुराने लोगों ने बल के जरिये से आतंक फैलाया, लोग घबराए और ज्यादा हिस्सा नहीं लिया। लेकिन उसके बाद दो तीन चुनावों में बड़े व्यापक रूप से हिस्सा लिया और आंकड़े यह बताते हैं कि कितनी दिलचस्पी लोगों के अन्दर पैदा हुई। पहले चुनाव में प्रधान चने गये ३९ हजार ७ सौ ५५। बाकी लोगों ने परचे नहीं खरीदे। पिछले चुनाव मे ७१ हजार ९ सौ। करीब ७२ हजार गांव सभाएं हैं। उसके मानी यह हैं कि सभी लोगों को दिलचस्पी हुई। इसके अलावा इस बात की भी खशी है कि ७१ हजार ९ सौ में से ३२ हजार से ज्यादा प्रधान लोग बगैर मुकाबला के चने गये। हरिजन लोग शुरू में केवल ८०७ चुने गये। अब उनकी तादाद बढ़कर ३ हजार ८५ हुई? स्त्रिय थीं, उनकी तादाद बढ़ कर २१३ हुई। इस तरह से मान्यवर, इन पंचायत के चनावों में अब काफी लोगों को दिलचस्पी हो गयी है। हरिजन भाई हमारे काफी तादाद में आने लगे।

इसके साथ-साथ चुनाव की पद्धति का भी हमने तजुरबा किया और सहूलियतें निकलने की कोशिश। शुरू में हाथ उठा कर चुनाव हुआ। लेकिन शक्तिशाशी लोगों ने आतंक के जरिए दबाया। तो सरकार ने मुनासिब समझा कि चुनाव की पद्धति गुप्त रूप से की जाय। अब सारे प्रदेश में चुनाव सीक्रेट बैलेट से होते हैं। पंचायत के सदस्यों के बारे में भी सरकार ने तय किया है उनका चुनाव भी आगे सीक्रेट बैलट से होगा। इतना ही नहीं, यह भी हमारी नोटिस में आया कि चुनाव के समय अक्सर गांव सभाओं के अन्दर जो मतदाता सूची में हेरफेर करते हैं, यह नियम बनाया गया है आगे जो चुनाव होंगे जो असेम्बली की मतदाता सूची है उसकी बुनियाद पर चुनाव हुआ करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं यह भी बताऊं कि गांव पंचायतों का संगठन बहुत बड़ा है। इस प्रदेश में करीब ७२ हजार गांव सभाएं हैं। करीब ९ हजार के न्याय पंचायतें हैं। ८७५ क्षेत्र समितियां हैं। ५ सौ जिला परिषदें हैं। बार्डर के तीन जिलों को छोड़ दिया है। इस तरीके से यह संगठन बहुत बड़ा है इसलिए यह जरूरी है कि हम समय-समय पर देखते रहें कि किस तरह से काम चल रहा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राममूर्ति---]

१९४९ में जो हमारा पंचायत का अधिनियम बना उसके बाद सारे देश में पंचायती राज फैलाने की एक लहर दौड़ी। केन्द्रीय सरकार का ध्यान भी इस तरफ गया। एक भूतपूर्व गुजरात के मंत्री माननीय मेहता जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी, उसने सारे देशों का भ्रमण किया। प्रदेश प्रदेश में जाकर स्थान स्थान की पद्धतियों, रस्मों और परम्पराओं का अध्ययन किया और उसने देखा कि उनमें अलग-अलग क्या-क्या रस्में और परम्पराएं हैं। उन सबको लेकर तीन इकाइयों का एक तरीका निकाला गया, एक संगठन बनाया गया, जिसमें कि गांव सभाएं हुईं, क्षेत्र समितियां हुईं और जिला परिषदें हुईं। इसमें इतना ही भेद है कि पहले इस प्रदेश में जिला परिषद् और गांव सभाएं ही हुआ करती थीं, लेकिन अब सारे हिन्दुस्तान में तीन इकाइयों का संगठन चालू किया गया है, लेकिन आज भी यह संगठन एक रूप और शक्ल में सारे प्रदेशों के अन्दर वर्तमान नहीं हैं। हमारे प्रदेश में सन् १९६२ में क्षेत्र समिति आयी और सन् ६३ में जिला परिषद् आई। अभी भी समय बहुत कम हुआ है। इन दो सालों के दरम्यान काम करने में कठिनाइयां भी आयी हैं, और उनको दूर करने की कोशिशें भी की गयी हैं। थोड़े समय के काम को देख कर उनका मूल्यांकन करना कि वह कामयाब हुई है या फेल हो गई है, मुनासिब बात नहीं है। उनका मूल्यांकन करने के लिय काफी समय चाहिये।

अभी ऐसे कितने ही प्रदेश हैं, जहां पर अभी पंचायत राज अधिनियम भी नहीं बना है, जैसे वेस्ट बंगाल और बिहार। ऐसे प्रदेश भी हैं, जहां पर अभी कलेक्टर्स जिला परिषदों के चेयरमैन हुआ करते हैं, जैसा कि मैसूर और मद्रास में है। ऐसे भी प्रदेश हैं जहां पर जो काम करने वाली कमेटियां हैं, उनके अध्यक्ष कलेक्टर हुआ करते हैं क्योंकि वह जिला परिषदों के मेम्बर हुआ करते हैं, ऐसे प्रदेश उड़ीसा, आसाम और पंजाब हैं। ऐसे प्रदेश भी हैं जहां पर एम० एल० एज और एम० पीज को वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे प्रदेश में जिलाधीशों को इन बातों से अलग रखा गया है। यहां पर पार्लियामेंट के सदस्य और विधान सभाओं और परिषदों के सदस्य भी उसमें भाग ले सकते हैं। यह भी जरूरी समझा गया कि माननीय सदस्य जो लोक सभा या राज्य सभा या विधान मंडलों के सदस्य होते हैं---यहां के काम करने के तरीके दूसरे हैं, यहां बहुत तजुर्बेकार लोग बैठा करते हैं, यहां की पद्धतियां और परम्पराएं पहले से बनी हुई हैं, उनका फायदा भी छोटी इकाइयों के अन्दर पहुंचे, तो इसलिये हमारे मेम्बरों को भी उनके चुनाव में वोट देने का राइट है। इस तरह से धीरे-धीरे हमारा संगठन आगे प्रगति की दिशा में बढ़ रहा है, इसमें लोग दिलचस्पी काफी ले रहे हैं। जो दिलचस्पी है, उससे हमें आगे काफी उम्मीद है। कभी कभी यह शंकाएं भी की जाती हैं कि जो चुनाव होते हैं उनसे ग्रामीण जीवन में, ग्रामीण वातावरण में, विघटन और कटुता की भावना पैदा होती है। मेरा विचार है कि पंचायत राज की बुनियाद चुनाव है, क्योंकि इसके अतिरिक्त आदमी को अपनी स्वेच्छा जाहिर करने का अन्य कोई तरीका नहीं है। जब पंचायत राज नहीं था, राजाओं का राज्य था तो आदमी अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता था, तो वह विवश होकर हिंसा का सहारा लेता था। लेकिन यहां पर तो तर्क की बात है, उसके जरिये से लोगों पर अपनी बात का असर डाला जाता है। यहां पर इस पद्धति में कोई जोर-जबरदस्ती की बात नहीं है। इस व्यवस्था की कामयाबी इस बात में निहित है कि हम ज्यादा से ज्यादा दूसरे की बात को सुनें और इस बात का प्रयत्न करें कि दूसरे की बात को मान्यता दे सकें। जितनी ही वह भावना बढ़े, उतनी ही पंचायती राज व्यवस्था को सफलता मिल सकती है। जितना ही हम दूसरों के विचारों से समन्वय न कर सकें, उन्हें धैर्य से सुन न सकें और उन्हें बर्दाश्त न कर सकें उतनी ही इसके विकास के मार्ग में बाधा पैदा होगी।

इसके साथ-साथ हमने अपने प्रदेश के अन्दर पंचायत राज संस्थाओं को तरक्की देने के लिये यह भी तरीका निकाला है कि जो जिलाधीश हैं---जो क्षेत्रीय समिति स्तर के अधिकारी हैं, उनको भी उनके नीचे रखा गया है ताकि उनके जरिये से जो बड़ा कार्य होता है उसके कार्यान्वयन में सहूलियत हो और जो हमारे अध्यक्ष और सदस्य काम करते हैं उनकी दिलचस्पी भी ज्यादा होने लग जाय। हमारे यहां एक विशेष बात यह है जो और प्रदेशों में नहीं है कि जिला परिषद्

स्तर पर और क्षेत्र समिति के स्तर पर जो चुने हुये सदस्य हैं उनको हम प्रधानता देते हैं। उनके जिम्मे काम को देखना और उनके कैरेक्टर रोल को देखना लिखना यह सब ताकत उनको दी है ताकि जो कर्मचारी उनके नीचे काम करते हैं वह अपने सरकारी ढंग से उनकी बात मानें और जिम्मेदारी के साथ काम करें। इसके साथ ही जो हमारे चुने हुए सदस्य हैं उनके अन्दर यह भावना पैदा हो कि जिस तरह से प्रदेशीय स्तर पर या केन्द्रीय स्तर पर गवर्नमेंट में चुने हुए सरकारी लोग ह या गैर सरकारी लोग हैं, उन दोनों के अन्दर समन्वय पैदा हो जाय। यह पद्धति वहां जानी चाहिये। यह शक्ति हमने अपने लोगों को दी है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमारा तजुर्बा कम है और हमारी अभी आदत पुराने जमाने की चली आ रही है और जो हमको विरासत मिली है उसमें बड़े आदमी की तरह जल्दी गुस्सा आता है तो यह वातावरण वहां पर न बनने पाये लेकिन इस तरह से हम आगे बढ़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पंचायती राज को लोग समझने लगे हैं और इस तरह से हिन्दुस्तान के अन्दर पंचायती राज की जड़ मजबूत होगी। यह मैंने संगठन के बारे में जिक्र किया।

अब दूसरी जरूरी बात यह है कि जब हमने अपने यहां इस पंचायती राज को स्वीकार किया है तो हमको उन संगठनों को भी मजबूत करना चाहिये जो इससे मिले जुले हैं और जिनका इससे बहुत नजदीक का रिश्ता है। उनमें सब से अधिक प्राथमिकता हम कोआपरेशन को देते हैं। कोआपरेटिव डिपार्टमेंट उसमें सबसे प्रथम है क्योंकि हम अगर यह चाहते हैं कि पंचायती राज के जरिये से लोग फले-फूलें और असमानता दूर हो और बहुत बड़ा आदमी और बहुत छोटा आदमी न रहे और जरूरत इस पंचायती राज की न रह जाय और रूस और चीन की तरह से क्रान्ति करने की भी जरूरत न रहे तो हमको इसका सहारा लेना होगा। आज हमारी असेम्बली और पार्लियामेंट में इस बात की क्षमता है और इसका तजुर्बा भी देखा कि कानून के जरिये से संगठन और आर्गनाइजेशन को मजबूत कर सकते हैं। राज्य सभा, लोक सभा और विधान मंडल के लिये यह क्षमता है कि वह किसी भी कानून के जरिये से, किसी भी संगठन को खत्म कर सकते हैं। तो फिर इस बात की भी जरूरत नहीं है कि हम वह कदम उठायें जो कि क्रान्ति के जरिये से या खूंरेजी से उठाया जा सकता है। अब अगर हम पंचायती राज की भावना लोगों के अन्दर पैदा कर दें तो फिर पंचायती राज आगे बढ़ेगा बल्कि आर्थिक दशा सुधारने और आर्थिक दशा अच्छी करने की तरफ लोगों का रुझान होगा। इन दोनों का बराबर का दर्जा है। लेकिन जब तक आर्थिक दशा अच्छी नहीं करते तब तक उनकी आस्था पंचायती राज में नहीं बैठेगी। इसलिये हम पंचायती राज के द्वारा देश की गरीबी दूर करें। इस प्रकार के साधन जुटायें, अच्छा खाद, अच्छा पानी का अगर हम प्रबन्ध कर दें तो वाकई ज्यादा पैदावार होगी। ऐसे तरीके निकाले जिनसे खेती से अधिक पैदा हो। अच्छा पैसा लोगों को मिले। अगर हम जिम्मेदारी और लगन से यह काम कर पायें तो पंचायती राज की जड़ पूरी तरीके से मजबूत हो सकती है। जब पंचायती राज मजबूत हो जायगा तो हमें इस बात की जरूरत है कि हम लोगों को साधन बढ़ाने में मदद करें। जब तक पंचायती राज के साधन लोगों के पास नहीं होंगे तब तक वे जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं होंगे और हमारी गांव सभा कुछ नहीं कर सकती है।

मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि १५ साल के अन्दर हमारी गांव सभाओं ने करीब १६ करोड़ के टैक्स लगाया और उसमें से करीब १४ करोड़ के वसूल भी किया। इस तरह से एक गांव सभा को करीब डेढ़ सौ रुपये की आमदनी हुई। देखा जाय तो यह कोई ऐसी आमदनी नहीं है कि जिससे पंचायतें कोई बड़ा काम कर सकें। सरकार की इच्छा है कि उनको वह भी सहायता दे और उनकी आय के साधन भी बढ़ें।

मैंने और प्रदेशों में भी इनके कार्य को देखा। महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत सी योजनाओं को जिला परिषदों तथा क्षेत्र समितियों को ट्रान्सफर कर दिया जाता है। हमारी सरकार भी सोच रही है कि प्रदेशीय स्तर पर जो काम किये जाते हैं उनमें से कुछ कामों को हम जिला परिषदों और

[श्री राममूर्ति---]

क्षेत्र समितियों को ट्रान्सफर कर दें ताकि उनको भी अपनी जिम्मेदारी का अहसास हो और वे यह महसूस कर सकें कि हमारे प्रदेश में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो रहा है। जब किसी पर जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो वह उस पर विचार करता है और उसको निभाने की कोशिश करता है।

उनकी आय के साधन बढ़ाने का प्रश्न भी हमारे सामने है। हमारे यहां, माननीय शिक्षा मंत्री, श्री कैलाश प्रकाश की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी हुई है जो इस प्रश्न पर विचार कर रही है। उसने कुछ तरीके निकाले भी हैं और सरकार उन पर विचार कर रही है। रिसोर्सेज के सिलसिले में हमने एक बात यह भी की है कि हम गांव सभाओं की माली हालत को बढ़ाने के लिये उनको ऋण भी देते हैं। उनको तालाब आदि बनाने, मछली पालने, बागात लगाने, तथा अन्य छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के लिये सरकार सहायता देती है। ट्यूबवेल्स वगैरह भी वे लगा सकती हैं। इस समय हमारे प्रदेश में इसके द्वारा ३०-३५ धंधे अच्छी तरह से चल रहे हैं। चिनहट में कई प्रकार के काम हो रहे हैं। रायबरेली में भी तथा और कई जगह छोटे छोटे उद्योग चलाये गये हैं और उससे लोगों को रोजगार भी मिला है, उनको लाभ भी हुआ है। सरकार ऐसे उद्योगों को सहायता भी देती है। रायबरेली में इन उद्योगों में बच्चों को ट्रेनिंग भी निःशुल्क दी जाती है। हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र समिति के अन्तर्गत, जहां जो उद्योग मुनासिब हो, इस प्रकार के छोटे-छोटे उद्योग चलाये जायं। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां की माली हालत अच्छी होगी और सामान भी सस्ता मिलेगा।

पहाड़ी जिलों के लिये हमने ५० हजार का प्राविधान इसलिये भी किया है कि वहां की पंचायतें, जहां बन लगाना आवश्यक हो, वहां बन लगा सकें, ताकि वनों की संख्या बढ़े। हमारे प्रदेश में ९ हजार न्याय पंचायतें काम करती हैं पिछले १०-१५ सालों में करीब ३० लाख ७० हजार जिनमें मुकदमें भी इनमें दायर हुये हैं और जिनमें ३० लाख ५० हजार तय भी हुए। बाकी थोड़े एरियर्स में हैं। इन मुकदमों में १२ लाख मुकदमें सलाह समझौते के साथ तय कर दिये गये। बकियों में जो जुर्माने हुये या सजायें दी हैं, तो उन जुर्मानों की रकम के बारे में नियम बना दिये गये हैं कि जिस गांव का जुर्माना होता है उसकी आधी रकम उसी गांव सभा को दे दी जाय ताकि वहां के रचनात्मक कार्यों में लगाई जा सके।

हमारे यहां एक ग्राम रक्षक दल की भी बुनियाद डाली गई है और इस प्रदेश में करीब ७०-७२ लाख विलेज वालन्टियर्स हैं, हलका सरदार हैं और उनका भी एक संगठन बना हुआ है। बहुत बड़ी तादाद है लेकिन एक बात है जरूर कि यह कागज पर तादाद है। ये संगठन बहुत इफैक्टिव नहीं हो पाया है। अगर ७२ लाख व्यक्ति दिलचस्पी से काम में लग जायं तो बहुत हैं। मगर कम भी सही पर जैसा कि पिछली दफे एमरजेन्सी हुई उन्हीं में से हजार इन्सान निकल कर आये। पुलिस के लिये जो भी अफसर थे जो निजी तरीके से उपयुक्त समझे गये, वे रक्षा करने के लिये बहुत अच्छे साबित हुये। हमारा जो ग्राम रक्षक दल है, इसके जरिये से जो खेती की आज योजनायें चल रही हैं उनमें लोग ज्यादा हिस्सा लें, अच्छे बीज पैदा करने में, उनके बंटवारे में, खाद के बंटवारे में, कंम्पोस्ट के बनाने में या इस तरह के जो काम हैं इनमें ये लोग दिलचस्पी लें। कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां मुझे देखने का मौका हुआ कि ये जो हमारे विलेज वालन्टियर्स हैं इन्होंने सब्जी वगैरह के प्रचलन में बड़ी दिलचस्पी से काम लिया और इनका अच्छा प्रचार हुआ।

पंचायत राज की ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि आप सब को विदित है कि हमारे प्रदेश में शिक्षा भी बहुत कम है। बच्चों की शिक्षा की तो इसमें शिकायत नहीं है। क्योंकि पिछले दस पन्द्रह साल के अन्दर करीब करीब ८०-८५ या ९० फीसदी तक ६ से ११ साल के लड़के स्कूल जाने लगे हैं। लड़कियों भी ३५-४० फीसदी तक जाती हैं। लेकिन जो प्रौढ़ हैं उनकी शिक्षा बहुत कम है। जब शिक्षा नहीं है तो मालूमात भी उतनी नहीं हो पाती है। चाहे वे न्याय पंचायतें हों या गांव पंचायतें हों, हमने कितने ही कानून बनाये परन्तु जब तक उनको

जानकारी नहीं होती तब तक उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिये ट्रेनिंग के ऊपर भी हमने विशेष ध्यान दिया है। हमने ३५ ऐसे केन्द्र खोले हैं जहां पर गैर सरकारी आदमियों को ट्रेनिंग होती है। २० हमारे ऐसे ट्रेनिंग सेन्टर्स हैं, जहां हमारे विलेज लेविल वर्कर्स, ए० डी० ओज और बी० डी०ओज या और लोग हैं उनको ट्रेनिंग होती है। हमने जो ३५ गैर सरकारी लोगों को ट्रेनिंग के सेन्टर खोले हैं इनमें भी अच्छी तादाद में लोग नहीं आते हैं। सरकार उसका पूरा खर्च देती है परन्तु वह दिलचस्पी लोगों की पैदा नहीं हुई है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये से सभी माननीय सदस्यों से दरखास्त करता हूं कि वे अपने क्षेत्र में दौरा लगाया करें जहां वे और बातों का जिक्र करते हैं, वहां इस बात का भी जिक्र करें कि वहां के स्त्री पुरुष इस काम में दिलचस्पी लें और ट्रेनिंग भी लें। ताकि उनकी मालूमात बढ़ जायगी और उसके जरिये से काम भी अच्छा चलने लगेगा।

पंचायतों के अन्दर मंत्री एक माने में सरकारी नौकर नहीं है, यद्यपि हम उसको तनख्वाह देते हैं। बहुत से माननीय मित्रों ने इस बात का जिक्र किया है कि उनकी आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। आज भी कितने ही प्रदेश ऐसे हैं कि पंचायत मंत्रियों को आनरेरियम तरीके से गांव पंचायतें ही कुछ देती हैं लेकिन हम अपने यहां ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि पंचायतों के पास साधन नहीं हैं। फिर भी हमने ऐसा नियम बना दिया है कि ए० डी० ओज के पदों पर एक-तिहाई स्थानों पर पदोन्नति इन सेक्रेटरीज में से ही हो। इसलिये जो सेक्रेटरीज अच्छा काम करते हैं उनको हम ए० डी० ओ० बनाते हैं और इस प्रकार के कम से कम १२५ ए० डी० ओ० हैं। कुछ आनरेरियम पंचायतें भी इनको देती हैं। औसतन पंचायत सेक्रेटरी को ७०–७५ रुपया दिया जाता है। (एक आवाज––या तो इनको हटा दिया जाय या सबको बी० एल० डब्लू० बना दिया जाय।) उन सब को हटाना भी दुश्वार है और सब को बी० एल० डब्लू० बना देना भी मुमकिन नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तो उनमें से भी लेते हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)––

जितनी तनख्वाह आप उनको देते हैं, उतने पर ही आप उनको सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं मान लेते हैं?

श्री राममूर्ति––

इसमें दिक्कतें हैं। इससे सरकार पर भार पड़ जायगा और पेंशन आदि की और भी बहुत सी रेस्पांस्बिलिटीज सरकार के ऊपर आ जायगीं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)––

बलवन्त राय मेहता कमेटी ने कहा था कि इन सब पदों को हटा कर एक पद कर दिया जाय। ऐसा क्यों नहीं किया गया?

श्री राममूर्ति––

उस तरफ भी हमारा ध्यान गया। वहां मुख्यतः दो कर्मचारी हैं––पंचायत मंत्री और लेखपाल। शुरू में हमने यह कोशिश की लेकिन उसके वर्किंग में दिक्कत रही इसलिये उस काम को पूरा नहीं कर पाये लेकिन फिर भी सरकार के दिमाग में वह चीज है। इसी प्रकार के गन्ना के कामदार और कुछ कोआपरेटिव के हैं। इस प्रकार से एक बड़ी भारी फौज है। जब हटाने का सवाल आता है या एकीकरण का सवाल आता है तो प्रेशर में आकर माननीय सदस्य राय बदल देते हैं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम इस कोशिश में हैं और कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कमलासिंह यादव पीठासीन हुये।)

इस समय तो मैं केवल इतना ही कहूंगा। मैंने अपने प्रदेश और दूसरे प्रदेशों के बारे में थोड़ी-सी रूप-रेखा बतायी, वह इसलिये बतायी ताकि उसका तुलनात्मक अध्ययन हो सके। अब

[श्री राममूर्ति]

माननीय सदस्यों के जो विचार सदन के सामने आयेंगे उनसे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश की जायगी। हमारे विभाग के लोग भी इस बात की कोशिश करेंगे कि सब के विचारों को लेकर आगे बढ़ सकें। अधिष्ठाता महोदय, इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इस पर विवाद आरम्भ हो ताकि उससे फायदा उठाया जा सके।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ११ के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

कभी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्रीमन्, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया कि पिछले साल समन्वय और एकीकरण नियोजन तथा गांव पंचायतों की बहस एक साथ हुई थी लेकिन इस साल यह दोनों चीजें अलग रखी गई हैं। मैं, जिन चीजों के लिये रुपया लिया गया है यानी गांव सभाओं और पंचायतों तक ही सीमित रखूंगा और बाकी बातें तो माननीय मंत्री जी ने कही हैं या नहीं कहीं हैं उन पर मैं समय नहीं लूंगा। आज पंचायत राज व्यवस्था कायम किये जाने के संबंध में सारे देश में प्रयास चल रहा है उससे कांग्रस सरकार की ओर से तो सहायता करने की बात है ही लेकिन विरोधी दलों की ओर से भी जिला इकाइयों और गांव इकाइयों के संबंध में काफी सहयोग दिया जाता है और सब उनकी तरक्की चाहते हैं। हमारी गांव सभायें जो प्रारम्भिक इकाई हैं वह राज्य की मजबूत इकाई बन ताकि गांव के लोगों का उनमें विश्वास हो और उनकी दी हुई योजना को चलाया जा सक, सब से बड़े महत्व की बात यही है। आज सरकार को इस बारे में चिन्ता करना होगी कि पंचायत राज व्यवस्था के बारे में जितने भी हमारे काम हैं, जितनी भी हमारी योजनायें हैं उनमें आस्था और विश्वास जनता का बना रहे। लेकिन सरकार ने इस सिद्धान्त के विरुद्ध दो एक क म न कर के बड़ा अविश्वास पैदा करने का प्रयास किया है और वह है गांव सभाओं का निर्वाचन टाल कर। यह निर्वाचन २ मास पहले ही सन् ६६ में हो जाने चाहिये थे। उसके बाद जैसा कि ऐक्ट में प्राविजन है। समय एक स ल का बढ़ाया जा सकता है, जनवरी में चुनाव हो जाने चाहिये थे लेकिन जैसा कि सभा सचिव जी ने कहा कि जनरल एलक्शन के बाद नवम्बर, दिसम्बर, ६७ में निर्वाचन कराये जायेंगे। इसम कोई राजनीति की बात नहीं है। जहां प्रमुख इकाई की बात हो सब की राय है कि निर्वाचन स क्यों भय पैदा हुआ। कौंसिल के निर्वाचन होने वाले थे उस पर भी प्रभाव पड़ना कोई नई बात न हीं थी। इस तरह से बहाना लेकर चुनावों को टालना कोई अच्छी बात नहीं है। यह तो राजनीतिक दांव पेंच ही कहा जायगा। वह सम य पर ही होने चाहिये और इस तरह से समय बढ़ाने से निश्चित रूप से इन प्रारम्भिक इकाइयों के बारे में हमारे मन में सन्देह पैदा होता है और सोचन के लिये परिस्थितियां ऐसी हैं कि गवर्नमेंट द्वारा जो एक साल का समय बढ़ाने की व्यवस्था की गयी है, अधिनियम में तो ऐसी कोई चीज नहीं है अब मालूम नहीं माननीय मंत्री जो उसमें किस प्रकार का संशोधन लाते हैं और कैसी व्यवस्था करते हैं, वह तो अलग बात है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि नगरपालिकाओं की तरह से ही ऐसी बात सोच लें कि इनको भी समाप्त कर दिया जाय क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह सरकार कब क्या कर दगी। यह एक बड़ी विचित्र बात है कि सरकार को जो चीज नहीं करना चाहिये था वह उस ने कर दिया जिससे उन बातों के बारे म कुछ अविश्वास सा लोग करने लगे हैं। सरकार को निश्चित रूप से उनका चुनाव समय पर ही कराना चाहिये था।

आज पंचायत राज की जो व्यवस्था है वह कल्पना के ऊपर नहीं चलने वाली है। उसके लिये ए क आधार चाहिये और आधार होने के बाद ही जो योजनायें हैं उनको हम कार्यान्वित कर सकते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं। गांव पंचायत हमारी सबसे छोटी इकाई है। जिला परिषद् हमारे प्रदेश में केवल ५१ हैं जिला स्तर के ऊपर। वे आज इस स्थिति में नहीं हैं कि स्वयं अपना बजट बना कर, स्वयं एस्टीमेट करके अपने कार्य को चला सकें। जिला परिषदों के बारे में इस सदन में बार-बार इनकी स्थिति सुधारने के संबंध में प्रश्न पूछा गया है। उनके पास स्वयं का इतना पैसा भी नहीं है कि वे अपने कर्मचारियों को ५ रु० मंहगाई भत्ता या वेतन वृद्धि के रूप में ही दे सकें। कुछ जिला परिषदें ऐसी हैं जो स्वतंत्र रूप से इस कार्य को कर रही हैं। सरकार से जो भी धन आता है वह भिन्न-भिन्न कार्यों में खर्च होता है। आज स्थिति ऐसी है कि जब सरकार से जिला परिषदों को अनुदान जाता है तब वे मास्टरों को तनख्वाह दे पाती हैं। इस तरह से जिला परिषदें एक प्रकार से सरकार के ऊपर ही निर्भर हैं। सारा का सारा व्यय सरकारी धन से ही होता है। बहुत कम के यहां टैक्स लगाने की व्यवस्था है और जिनके यहां टैक्स लगाने की व्यवस्था है भी, वह उनके व्यय के लिये पर्याप्त नहीं है जिससे व स्वयं उनका संचालन करने में असमर्थ हैं।

क्षेत्र समितियों का उल्लेख करना तो बिलकुल निरर्थक है। जितना भी पैसा उनके लिये जाता है उनमें से एक पैसा भी उनको उपलब्ध नहीं हो पाता है। यह हमारी दूसरी इकाई है जिसके पास कुछ भी सोर्स इनकम का नहीं है। गांव सभाओं के पास पंचायतराज ऐक्ट के अनुसार केवल एक सोर्स है लगान में एक आना लेने का और उसी से पंचायतों की व्यवस्था चल रही है। गांव सभा ही एक एजेंसी है जिसके पास लैंड मैनेजमेंट का काम है जमीन को पट्टे पर देने का उसका काम है। एक विचार यह भी आया कि गांव सभाओं को बड़ा कर देना चाहिये। लेकिन मैं इस तर्क से असहमत हूं क्योंकि इसका नतीजा यह होगा कि गांव समाज की जमीन बड़े बड़े जमींदारों तथा प्रभावशाली लोगों के पास चली जायगी। पंचायत राज ऐक्ट में इस तरह की व्यवस्था है कि जो रेवेन्यू विलेज हों तथा जिनकी आबादी २५० से अधिक हो वहां गांव सभा बननी चाहिये। उससे दो फायदे हैं, एक तो यह कि गांव के रहने वालों को प्रतिनिधित्व उसमें मिल जाता है और वहां से उनके प्रतिनिधि क्षेत्र समिति और फिर जिला परिषदों में चले जाते हैं। जहां तक तीन गांवों को मिला कर एक गांव सभा बनाने की बात है, इसमें यह हो सकता है कि अगर जिला परिषद् का कोई स्कूल बनना हो तो संभव है कि जिस गांव का रहने वाला सदस्य हो, वह उसे अपने गांव में ही बनवाने की कोशिश करे या बनवा ले। तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखना चाहिये। इसके अलावा खड़ंजे, पुल आदि के लिये जो अनुदान मिलते हैं उनको भी इस तरह से खर्च करना चाहिये जिसका फायदा सब लोग उठा सकें। कई स्थानों पर यह भी शिकायत है कि जो टेरीटोरियल जुरिस्डिक्शन है वहां पर दूसरी गांव सभा का जुरिस्डिक्शन आ गया है तो मैं प्रार्थना करूंगा कि इसके बारे में चुनाव कराने के पूर्व उसका परिसीमन करने तथा कोई गड़बड़ी हो तो उसको ठीक करा देना चाहिये।

न्याय पंचायतें भी आपकी २ प्रकार की हैं। उनका क्षेत्र कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है। किसी में आबादी ४ हजार की है और किसी में १८ हजार की आबादी है। किसी में गांव सभायें ४ हैं और किसी में ५ गांव सभायें हैं तो मैं चाहता हूं कि उनकी जुरिस्डिक्शन, उनकी संख्या और आबादी को ध्यान में रखते हुये उनको ठीक से कर देना चाहिये। न्याय पंचायत के कानून के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन वहां पर केस वर्क कम होता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवस्था ठीक नहीं है।

चुनाव के बारे में एक बात जो यहां पर कही है, उसके बारे में मेरा निवेदन है कि चुनाव जहां पर अधिकारों को बनाने का एक कारण है वहां पर गांवों में एकता भंग होने में भी चुनाव एक कारण बने हैं। सरकार के चुनाव कराने की जो पद्धति है, उसमें परिवर्तन की अत्यन्त आवश्यकता है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे अवश्य करने चाहिये जिससे निर्विरोध चुनाव हो सकें। कोई न कोई प्रक्रिया अनुदान देने की या धन देने की की जानी चाहिये कि जहां पर निर्विरोध चुनाव होगा। वहां पर यह किया जायगा तो इससे निर्विरोध चुनाव को प्रोत्साहन मिलेगा।

[श्री रामपाल सिंह]

एक बात पिछले साल भी यहां पर कही गयी थी कि सब चुनावों में हम को फीस जमा करनी पड़ती है। जो आदमी चुनाव में जीत जाता है उसको वापिस हो जाती है और जो हारता है उसको वापिस नहीं की जाती है। यह तो ठीक है लेकिन फार्म के लिये केवल १५ या १२ रुपये हमसे लिये जाते हैं, जिसकी कीमत मुश्किल से १ या २ पैसे होती है। इसको हमारी सरकार को शीघ्र समाप्त कर देना चाहिये।

चुनाव के बारे में माननीय मंत्री जी ने जो बताया कि अभी तक जो प्रत्यक्ष चुनाव प्रधान के लिये होते थे, उसी प्रकार से सदस्यों के लिये भी चुनाव होंगे, यह अच्छी बात है क्योंकि अनेक स्थानों पर दबाव के कारण उनकी गिनती नहीं रहती थी और जो लोग चुने भी नहीं गये, वे भी चुन लिये गये। इसके बारे में जो गांव सभाओं के अन्दर सदस्यों के चुनने की जो आपकी पद्धति है, वह बहुमत के आधार पर है। वे बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं। यदि व्यापक रूप से सदस्यों की संख्या निश्चित हो जाय तो उससे यह समस्या हल हो जायगी। बहुमत के आधार पर यह होता है कि अगर बहुमत की संख्या ५१ हो जाती है तो जो बाकी लोग हैं उनका कोई सदस्य नहीं होगा। तो अच्छा यह ही होगा कि इसके लिय बहुमत का आधार न किया जाय। इससे सब क्षेत्रों के लोग सदस्य के रूप में पहुंच सकेंगे।

मतदाताओं के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा कि सूची के आधार पर होगा। इसमें यह होता है कि जो लोग रह जाते हैं, वे स्वयं चुनाव के एक, दो दिन पहले, एक या दो रुपया देकर ५०-५० नामों को लिस्ट में बढ़ा लिया जाता है। तो मेरा सुझाव है एक निश्चित समय पर आपत्तियां मांगी जानी चाहिये।

रिटिशन के संबंध में अभी तक व्यवस्था यह है कि हाकिम परगना का जो भी फैसला होता है उसकी हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। मै सुझाव देना चाहता हूं कि जो जुडिशियल आफिसर हो उसके रखने की व्यवस्था करनी चाहिये और साथ ही साथ उन के निर्णय की अपील सिविल जज को हो एस० डी० ओ० एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी है और वह चुनाव कराने के लिये भी अधिकारी होता है और कहीं-कहीं पर उसका साथ इधर-उधर हो जाता है। इस कारण से पेटीशन काम जो जुडिशियल काम है, किसी जुडिशियल अफसर द्वारा किया जाना चाहिये और साथ ही कम खर्च के अन्दर निर्णय होना चाहिये। मैंने अनुभव किया है कि ए० डी० ओ० ने पेटीशन दायर करने वाले से पूछा कि क्या उसने इसके संबंध में एक भी कागज कहीं पर दिये हैं, उस आदमी ने कहा कि नहीं दिये तो उस की पैटीशन सम्मेलरली रिजेक्ट हो जाती है। इसलिये अपील की व्यवस्था जिला स्तर पर की जानी चाहिये।

आर्थिक स्थिति के बारे में जो बात की गई तो सन्थानम कमेटी या बलवन्त राय कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं उन में से एक सिफारिश यह भी है कि लगान का एक निश्चित प्रतिशत गांव सभाओं को दिया जाना चाहिये और जब तक यह निश्चित प्रतिशत नहीं दिया जाता तब तक वह किसी प्रकार से चल नहीं सकती हैं। मैं कुरुक्षेत्र" अखबार पढ़ रहा था उस में अन्य अखबारों के विचार छपे है जिसमें लिखा है कि ऐसा होना ही चाहिये तो निश्चित भाग रेवेन्यू का गांव सभाओं को दिया जाना चाहिये। पारसाल पांडेय जी ने कहा था कि एक कमेटी हमने नियुक्त की है और अगर उस की सिफारिश आ गई तो हम करेंगे। मेरा निश्चित मत है कि जब तक मालगुजारी का भाग नहीं दिया जाता तब तक उन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी....

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक बात आप के ध्यान में लाना चाहता हूं। अभी माननीय अध्यक्ष ने सुबह कहा, और दवे जी की राजाज्ञा पर बड़ी बहस हो गई जो आंग्ल भाषा में निकली है कि हम इस सदन में नहीं बांटते। अभी सदन से एक किताब बटी है सूचना विभाग की "आर्थिक समीक्षा, उत्तर प्रदेश"। विधान सभा सचिवालय से बट रही है और कबूतर खाने में हमको मिली है। क्या सूचना विभाग हिन्दी में इस को नहीं लिख सकता है। ये लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, माननीय उग्रसेन जी को हिन्दी मीनिया तो नहीं हो गया है ?

श्री उग्रसेन—

जरा श्रीमन्, इन से पूछ लिया जाय कि मीनिया का क्या मतलब है ।

श्री अधिष्ठाता—

जो आपने कहा, तो माननीय अध्यक्ष ने यहां पर एक बात कही थी कि जो चीज सदन में प्रस्तुत की जाती है उसी को माना जाता है कि यहां रखी गई है । लेकिन कबूतर खाने की बात उन्होंने नहीं मानी ।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है । उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि कबूतर खाने में भी वही चीज रखी जायगी जिस की अध्यक्ष अनुमति देंगे, आप उन की रूलिंग देख लें ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं देख लूंगा । माननीय अध्यक्ष ने जो कहा है कि उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं, न मैं उसका पुनरीक्षण कर सकता हूं ।

श्री रक्षपालसिंह—

जहां पर आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये लगान के प्रतिशत देने वाली बात कही है उसी प्रकार से जनशक्ति योजना या श्रम बैंक कायम करने की बात भी कही गई है । यह निश्चित बात है कि संबंधित अधिकारी इस दिशा में जो प्रयास किया जाना चाहिये और जो सार्वजनिक निर्माण के कार्य होते हैं, उन की तरफ विशेष रुचि नहीं दिखायी जाती है जिस के कारण इन कार्यों में प्रगति नहीं हुई है । इसलिये उस योजना को उचित रूप से कार्यान्वित करने की बात की जानी चाहिये और लोगों के श्रम का उचित उपयोग करना चाहिये । गांव समाज की संपत्ति चाहे भूमि हो, या पेड़ हो, या अन्य प्रकार की हो, उसके बारे में कम से कम ५ साल में ऐसी जांच कर ली जानी चाहिये कि वह निर्वाचित प्रधान के द्वारा या लेखपाल के द्वारा कोई गड़बड़ी तो नहीं की गई है । निर्वाचन से पहले कितनी गांव समाज की संपत्ति थी और अब कितनी संपत्ति हो गई है । जांच करने के लिये रजिस्टर लोगों को मिलना चाहिये और लोग उसे देख कर निर्णय ले सकें क्योंकि नाजायज पट्टे हो गये हैं और भूमिहीनों को जमीनें नहीं मिल सकी हैं । इसलिये उसकी जांच होनी चाहिये ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं जैसा कहा कि नया कानून सरकार बनाने जा रही है तो पंचायत राज ऐक्ट कब बनेगा इसका उल्लेख नहीं किया गया । सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि पंचायत राज्य अधिनियम बनेगा और क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् ऐक्ट एक मिला-जुला ऐक्ट बनेगा । अगर वह नहीं बना है तो उसमें उन बातों की व्यवस्था करनी चाहिये । पिटीशन करने का उल्लेख मैं कर ही चुका हूं । कागनिजेंस की बात यह है कि जब से पंचायतों से सजा करने का हक ले लिया है और वे केवल जुर्माना ही कर सकती हैं तब से पंचायतों में कोई मुकदमें जा ही नहीं रहें हैं । साधारण से साधारण केस भी कोर्ट में जाता है । सस्पेंशन वाली बात पर यह विचार करने की बात है कि किस हद तक होना चाहिये और किस हद तक नहीं होना चाहिये । निर्वाचित आदमी को हाकिम परगना निकाल सकेगा, वह कोई उचित अधिकारी नहीं है । भले ही प्रधान को हटाने के लिये बहुमत का आधार अपना लिया जाय लकिन हाकिम परगना द्वारा जांच करने की व्यवस्था रखना उचित नहीं है । इतना ही मुझे निवेदन करना था ।

*श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे मित्र उग्रसेन जी चले गये । उनके नेता, डाक्टर राम मनोहर लोहिया चौखम्भा राज्य की बात करते हैं । माननीय राममूर्ति जी को मैं बंधाई देना चाहता हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

कि उन्होंने पंच खंभे राज्य की स्थापना कर दी और उसे अधिक सुदृढ़ बना दिया। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये हमको अपनी गांव सभाओं को, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों को अधिक मजबूत बनाना होगा। राममूर्ति जी मुझे क्षमा करेंगे, मुझे एक बात से बड़ा दुख हुआ। जब रिसोर्सेज के बारे में बात करने लगे तो उन्होंने यह कहा कि वह गांव सभाओं को ऋण दिया करते हैं जिससे वे कारोबार चलायें और ऋण के जरिये वह स्थानीय निकायों को मजबूत बनाना चाहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऋण की बीमारी इतनी खराब हो गयी है कि वह पंचखंभा राज्य को हिलाती जा रही है। आज स्थिति यह है कि गांव सभायें क्षेत्रीय समिति का मुंह ताका करती हैं कि कुछ अनुदान, ऋण मिल जाय। क्षेत्र समितियां जिला परिषदों का मुंह ताका करती हैं और जिला परिषद् राज्य का, राज्य दिल्ली का और दिल्ली दुनिया की समस्त राजधानियों का मुंह ताका करती है। तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी हमारे देश ने सारा दुनिया से ३,२०० करोड़ रुपया कर्ज ले लिया है। देश में से ६,८०० करोड़ रुपया कर्ज लिया है और जिला परिषदों ने हमारे राज्य से ११, १२ करोड़ रुपया कर्ज लिया है जो ऋण पर सूद देना होगा बहुत से राज्य सूद में ही बिक जायेंगे। जिला परिषदों का जो बजट बनता है उसमें साफ लिखा रहता है कि जो ऋण है उसका वे सूद भी नहीं दे सकतीं। तो यह बड़ी दुखद परिस्थिति है। जिस प्रकार से भारतीय संविधान के अन्तर्गत पार्लियामेन्ट बनी है, राज्य सरकारों की व्यवस्था बनी है उसी प्रकार से उसमें यह भी हुआ है कि राज्य का यह ध्येय होना चाहिये कि लोकल बाडीज की स्थापना करें। आज जो स्वायत्त शासन इकाइयां हैं ये भी हमारे संविधान के संकेत के ऊपर बनी हैं और मैं राज्य सरकार को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा रूप खड़ा किया है स्वायत्त शासन का। लेकिन वे यह भी करें कि एक फाइनेन्स कमीशन की स्थापना करें जोकि राज्य सरकार और लोकल इकाइयों के फाइनेन्स के बारे में निश्चित बंटवारा कर दे, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के फाइनेन्सेज का बटवारा फाइनेन्स कमीशन करता है।

हमारे देश में फाइनेन्स कमीशन बना है लेकिन वह ईमानदारी के साथ बंटवारा नहीं करता। आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि केन्द्र का फाइनेन्स कमीशन केवल ६० प्रतिशत का बंटवारा करता है और केन्द्र की सरकार ४० प्रतिशत अपनी जेब में इसलिये रखती है कि जिस राज्य सरकार से वह प्रसन्न हो उसे वह अनुदान दे, हालांकि संविधान में यह लिखा हुआ है कि जब तक कोई विशेष परिस्थिति न पैदा हो तब तक वह ऐसा न करे। हमारी राज्य सरकार ने पंचायती राज्य की व्यवस्था की, जिला परिषद् और पंचायती राज्य के ऐक्ट बना दिये, नगरपालिका और महानगरपालिका के ऐक्ट बना दिये, लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं बनाया कि प्रदेश के फाइनेन्सेज का राज्य सरकार और स्वायत्त शासन इकाइयों में बंटवारा कर दें। इस बंटवारे का एक स्टैटुटरी प्राविजन होना चाहिये जिससे कि हमको इस बात पर निर्भर न रहना पड़े। माननीय मंत्री जी प्रसन्न हों तो चिनहट में इतना बड़ा उद्योग खोल दें कि वह लखनऊ का एक मुहल्ला मालूम हो और, श्रीमन्, हमारा गांव ? वहां कोई उद्योग नहीं है। वहां जो बर्तन बनाने का काम होता था शायद वह भी समाप्त हो गया है। इसलिये जब तक गांव सभाओं को यह जानकारी नहीं हो जाती कि उनकी क्या आर्थिक स्थिति है तब तक पंचायती राज्य की व्यवस्था अधिक नहीं बढ़ सकती। वैसे मैंने पहले ही निवेदन किया कि माननीय राममूर्ति जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि वे नवयुवक हैं लेकिन बड़े पुराने मंत्री हैं, हर मंत्रिमंडल में वे मंत्री रहते हैं, लेकिन उनको जो विभाग मिला है वह काफी नया है। फिर भी पिछले ८–१० वर्षों में उन्होंने पंचायती राज्य को बहुत अच्छा रूप देने का प्रयास किया है। जहां हमारा प्रदेश देश के अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है वहां कम से कम पंचायती राज्य में हमारा प्रदेश अनेक राज्यों से अच्छा है। लेकिन जहां तक आर्थिक व्यवस्था का प्रश्न है, हमको इतनी जानकारी है कि मद्रास और आन्ध्र ऐसे राज्यों ने अपने यहां की गांव सभाओं को मालगुजारी का १/३ अंशदान के रूप में स्वीकार कर लिया है और बहुत सी गांव सभाओं को मालगुजारी की वसूली का काम दे दिया

है जिसका कमीशन उनको मिलता है। यह एक बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था की स्थापना हुई है लेकिन मंत्री जी अपने ही काल में इस बात को भी कर दें कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाय।

एक चीज और भी है और यह सही है कि बहुत थोड़ी सी आपके विभाग की जो खानापूरी रह गई है उसको पूरा कर देनी चाहिये। आप जानते हैं कि जिला परिषद् ऐक्ट के बने हुए ४-५ साल हो गये हैं लेकिन जो नियम बनने थे वह आज तक नहीं बन पाये हैं। इसके अलावा उनके कर्मचारियों के बारे में जो नियम रखे गये हैं उस सेक्शन को पढ़ने से मालूम नहीं होता है कि इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों पर नियंत्रण होता है या जिला परिषद के कर्मचारियों पर नियंत्रण होता है। इसलिये मैं कह रहा हूं कि माननीय राममूर्ति जी थोड़ा सा ध्यान दें तो जिस संगठन को उन्होंने एक सुन्दर और स्वस्थ ढंग से निर्माण किया है उसमें थोड़ी सी जान आ जायेगी और लोकतंत्र की नींव मजबूत होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस देश में जितनी जातियां, धर्म और भाषायें हैं, उनके जीवन का और उनकी आजादी की रक्षा का एक मात्र कवच पंचायत राज है। जब कि आज दुनिया में अफरीका और एशिया के सभी मुल्कों में उथल-पुथल चल रही है उसमें हम जिस तरह से भी अपने यहां पंचायत राज चला रहे हैं और इसको अगर अगले २५ साल तक चला सके तो मेरा खयाल है कि हमारा देश पंचायत राज के योग्य हो जायेगा। इसलिये हमें पंचायत की इकाई के ऊपर उदासीन नहीं होना है क्योंकि वह एक ऐसी बुनियाद है जहां हम जनता को पंचायत राज की ट्रेनिंग दे सकें। इसलिये जहां कहीं कमजोरी है उसको दूर करने में हम लोगों को लगना चाहिये।

पहली बात यह है कि ब्लाक और जिला परिषद् के अध्यक्षों का चुनाव इन्डायरेक्ट न हो, सीधा हो तो ज्यादा अच्छा होगा। इसका कारण यह है कि ब्लाक और जिला परिषद् के अध्यक्ष एक बहुत बड़ी एग्जीक्यूटिव अथारिटी हैं और उनको मेम्बरों के विश्वास और अविश्वास के चक्कर में पड़ा रहना पड़ता है। दूसरी परेशानी यह है कि इनके कर्मचारी भी राजनीति में पड़ जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है ब्लाक और जिला परिषद् के अध्यक्षों को जो कार्य वे करना चाहते हैं उसके लिये अनुरूप समय और अवसर नहीं मिलता है। इसलिये बेहतर होगा कि उनका चुनाव सीधे-सीधे जनता द्वारा होना चाहिये और बिना विशेष कारण के हटना न पड़े तो उसको कार्य करने में अधिक सुविधा होगी और आपका कार्य अच्छी तरह से चल सकेगा बजाय इसके कि उनके सिर पर हर साल अविश्वास की तलवार लटकी रहे।

दूसरा सुझाव यह है कि गांव सभा की इकाई को आप बड़ा बनाना चाहते हैं। यह गलत होगा। गांव सभा जिसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं अगर वह बड़ी इकाई बनेगी तो उसका मकसद फेल हो जायेगा। इसलिये छोटी इकाई रखने में कोई नुकसान नहीं है। गांव सभा का हर बालिग उसके काम में भाग ले यह तभी सम्भव है जब कम्पेक्ट इकाई कायम रख सकें। लेकिन आपने कई गांवों को मिलाकर एक गांव सभा बनाई तो यह ठीक नहीं होगा। ब्लाक को आप भले बड़े कर दें, जिले की सीमा भले ही बढ़ा दें लेकिन गांव सभा की इकाई को बड़ी न कीजिये इससे आपके काम में अड़चन पड़ेगी और जो आपने इसका मकसद रखा है उसमें जबर्दस्त बाधा पैदा हो जायेगी।

तीसरा मेरा नम्र निवेदन यह है कि अदालती पंचायतों को हटा लीजिये। चुनाव और न्याय दोनों विरोधी हैं। अगर आपको न्याय सुलभ करना है तो उसका दूसरा तरीका है। आप चुने हुए लोगों को १००-५० लोगों को चुनकर जो पढ़े लिखे भी हों, जिनकी ईमानदारी पर संदेह न हो, ऐसे लोगों की बेंचे कायम की जा सकती हैं। साल, दो साल के बाद बदल दीजिये जिससे

[श्री महादेव]
न्याय सुलभ हो सके। पंचायत का जो न्याय का ढंग है, यह गलत है। इससे न्याय तो मिलता नहीं। बल्कि पंचायतों में जो आज खराबियां हैं उसकी ५० फीसदी जिम्मेदारी न्याय पंचायतों की है। इसलिये रचनात्मक कामों को प्रेरित करना चाहते हैं तो न्याय पंचायतों को समाप्त कर दीजिये।

चौथा विनम्र सुझाव यह है कि पंचायती राज चलाने के लिये एक जगह अक्सर हम लोग गलती कर रहे हैं वह यह है कि हर व्यवस्था में किसी न किसी वर्ग का रक्षित स्वार्थ होना आवश्यक है। हमारे पंचायती राज में गांव के किसान और मजदूरों का स्वार्थ विशेष कर निहित है। देश के उत्थान का एक मात्र रास्ता है कि उसके बोट का अधिकार कायम रहे। उसको अपने अधिकारों का, भविष्य का भान नहीं हुआ। नौकरशाही की मशीन स्वभावतः एक टक्कर में है। पंचायती व्यवस्था के स्वभावतः इसलिये कह रहा हूं कि हर जगह जैसे ब्लाक में बी डी ओ और प्रमुख से जिले में अधिकारियों और अध्यक्ष से टक्कर पैदा होना स्वाभाविक है। उसके जरिये से तो जीवन दान नहीं दे सकते। खेतिहर वर्ग को अपने अधिकारों का मान नहीं। नतीजा यह है कि हर एक जगह, ब्लाक में बी० डी० ओ० ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। जिले में भी वही हालत है। नतीजा यह है कि जैसा कि देहात में मसल है महादेव का सांड़ मोटा हो गया और भवानी दुबली हो गयीं। हमारे नुमाइन्दे जो चुनकर आये हैं कई मानों में निम्न स्तर के साबित हो जाते हैं। उसका नतीजा यह है कि वह अपने अधिकार कार्यान्वित नहीं कर पाते।

मैं चाहता हूं कि एक प्लान आप और ले लें। अगले पांच साल के अन्दर हर ब्लाक में दो दो सौ ग्रेजुएट्स खेतिहरों को आप बैठाएं। एक निश्चित योजना होनी चाहिये। जहां आपने तमाम चीजें की हैं वहां यह काम होना जरूरी है। हर ब्लाक में दो दो सौ ग्रेजुएट्स को खेतिहर या इंडस्ट्रियलिस्ट्स के रूप में उनको कर्जा देकर, ट्रेनिंग दे कर बजाय नौकरी देने के गांव में उनको भेजने का सीधा सा मार्ग आपके सामने होना चाहिये। अगर इसमें आप कामयाब हो गये तो पंचायती राज्य को आपने जबर्दस्त नींव दे दी जिसकी फिर फेल होने की आशंका नहीं रह जायगी। इस तरह से जो ग्रेजुएट वहां जायगा उसका निहित स्वार्थ हो जायगा और वह ब्यूरोक्रेसी को हावी होने नहीं देगा। धीरे-धीरे वह परिपाटी बढ़ेगी तो देश के उत्पादन के साथ पंचायती राज भी सुधरेगा। इसलिये हमारा नम्र निवेदन है कि हर ब्लाक में पढ़े लिखे लोगों को नौकरी के देने के बजाए, उनके आवेदन पत्र तो अवश्य ले लिये जाएं और फिर उनसे पूछा जाय कि वह क्या काम करना चाहते हैं, यदि उस के हेतु उनके पास साधन हों तो ठीक है नहीं तो साधन देकर उन्हें १०-१५ हजार का कर्ज दिया जाय जिससे कि वह गांव में ही रहकर अपनी इंडस्ट्री स्थापित कर सकें। लेकिन उनको कर्ज बिना सूद के ही दिया जाए, जो कि १० साल में रिटर्नेबिल हो। ऐसा करने पर आप पांच साल में देखेंगे कि जो गांवों में ब्यूरोक्रेसी की शिकायत है, भ्रष्टाचार की शिकायत है वह दूर हो जाएगी। इन्हीं पढ़े लिखे लोगों के द्वारा इन बुराइयों पर कन्ट्रोल होगा। यह कन्ट्रोल गांव का अशिक्षित और बुद्धू किसान नहीं कर पाएगा। उस घोड़े पर वह लगाम नहीं लगा पायेगा। मैं चाहता हूं कि पांच साल के अन्दर सरकार वह तबका तैयार कर दे जो गांव की रीढ़ है, जो कि रचनात्मक नेतृत्व ग्रामीण जीवन को दे सके। रचनात्मक नेतृत्व जो दे सकें वोट और नौकरी का नेतृत्व नहीं। ऐसा तबका आपने अभी तक पैदा नहीं किया है। यह हमारी बड़ी भूल हुई है, यह पंचायत राज के विकास और प्रगति में बड़ी बाधा है।

एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि पंचायती दौलत जो बड़ी पवित्र और ईमानदार मानी जाती थी, लेकिन उसमें पंचायती व्यवस्था ने एक त्रुटि पैदा कर दी है। जाली बाउचरों को देने के चक्कर में हमारे ईमानदार प्रधान और सरपंच बेईमान हो रहे हैं। गांव सभा को ब्लाक से अनुदान मिलता है और उसमें गांव सभा को भी अपना कुछ हिस्सा जोड़ना पड़ता है, लेकिन उसको सिखा दिया जाता है कि इससे मतलब नहीं कि तुम खर्च करते हो या नहीं, बाउचर्स पेश कर दो। तो उसमें अब यह भावना पैदा हो गयी है जाली बाउचर्स पेश करने की। तो जो पंचायती पैसा एक पवित्र निधि समझा जाता था जिस को छन हराम समझा जाता था, उसकी भावना को हम तिरोहित कर रहे हैं। बजाय इसके कि हम गांवों का अनुदान उसमें शामिल करें, आप

डाइरेक्ट उसे दे दें। आप जो उसके साथ शर्त लगाते हैं वह उसे जाल करने के लिये प्रोत्साहित करती है। आप यदि किसी काम के लिये २०० रुपया देते हैं, तो खर्च उतना ही होता है, लेकिन वह दिखा ज्यादा देता है, जाली रसीदें दिखाकर और बाकी पैसा अपने हक में ले लेता है। सवाल पैसे का नहीं, मनोवृत्ति का है, जो हमारी बुनियादी चीज है, उसे हम बिगाड़ें नहीं। जब आप अनुदान दीजिये तो शर्त हटा दीजिये, यही मेरी आप से प्रार्थना है।

*श्री चन्द्र सिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं। इस अनुदान के सबंध में बहुत से विचार इस सदन में प्रस्तुत किये गये हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्यों से आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि पंचायतराज संस्थाएं भारतवर्ष के लिये कोई नई संस्थाएं नहीं हैं। हमारी सरकार द्वारा जो नई व्यवस्था पंचायतों को कायम करने की की गई, यह तो बहुत पुराने समय से जो इस देश में थ जिसकी चर्चा आज भी हमारे पुराने लिटरेचर में अंकित है। जिन संस्थाओं की तारीफ की गई उसके संबंध में दूरस्थ देशों ने भी बहुत कुछ प्रशंसा की है। आप लोगों ने कभी इस बात को देखने की कोशिश नहीं की, एक राजनीतिक दर्शन जो कि पंचायत की फिलासिफी के पीछे है, उसको हमने जानने की कोशिश नह क। हमारे देश के अन्दर बड़े तत्ववेत्ता रहे हैं, जिन्होंने भारतवर्ष के उस उजड़े हुए इतिहास के पत्थरों को उखाड़कर देखा है, उन्होंने समझा है कि भारतवर्ष अपनी हुकूमत को बार बार इसलिये खो चुका है, क्योंकि दिल्ली की तख्त पर जो लड़ाई होती थी, दिल्ली के हार जाने से सारा भारतवर्ष हार जाता था। इसलिये हमारे जानकार और इतिहासकारों ने एक नई बात ढूढ़ ाली कि मुल्क के अन्दर एक पंचायती राज का जाल बिछाया जाय। इसका परिणाम यह हुआ कि अगर दिल्ली की हुकूमत हार भी जाय तब भी हमारे देश के अन्दर यदि कोई पंचायत जिन्दा है भारतवर्ष कभी दिल्ली की, हार को हिन्दुस्तान की हार नहीं मान सकता।

हमारे भाई ने ५ खम्भों की बात कही। वह समझे नहीं हैं कि वास्तविकता कहां पर है। जैसे सारे मुल्क की हुकूमत दिल्ली में है और जिस तरह से हर स्टेट के अन्दर प्रान्तीय कैपिटल हैं उसी तरह से हर जिले के अन्दर जिला परिषद हैं। उसी तरह से क्षेत्र में गांव और गांव में यह गांव सभायें हैं। यह हुकूमत कायम की गई और जिस तरह से जो ताकतें और पावर दिल्ली को हिन्दुस्तान की मिली वही पा र और ताकत उत्तर प्रदेश ने लखनऊ क दी है। वही ताकत क्षेत्रीय समिति में वहां के क्षेत्र की है और गांव की गांव सभा को है। इसलिये केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही इस पंचायत राज के ऊपर विचार नहीं करना है। उसको नेशनल इंटिग्रेशन की दृष्टि से भी देखना है कि हम सब इस मुल्क को अपना मुल्क समझें कि यह मुल्क हमारा है और इस मुल्क के जर्रे–जर्रे में यह भावना और बिचार व्याप्त करें। उसी को मजबूत करने के लिये यह पंचायत राज चालू किया गया है। ये सामुदायिक विकास की योजनायें भी एक साधन हैं उस नेशनल इंटिग्रेशन की भावना को फैलाने का। वह इस भावना को मजबूत बनाती है और हमारे अ दर एक सामुदायिक विचार को पैदा करती है। इस दृष्टिकोण से इसको देखना चाहिये।

बहुत से हमारे भाइयों ने राजनैतिक अपने विचारों के आधार पर यह कहा है कि इसको छोड़ दिया जाय तो यह इस देश के लिये लाभदायक चीज नहीं होगी। देश की लड़खड़ाती हालत में वही एक ऐसी चीज है जो इसको मजबूत बना सकती है। यदि देश की जड़ को मजबूत करना है, भारतवर्ष की ताकत को बढ़ाना है और देश को नेशनल इन्टिग्रेशन की ताकत देना है। तो उसका एक ही रास्ता है कि अपने यहां इस योजना को मजबूत बना ें। इसमें चन्दखामियां हैं। सरकार ने काम करने के तरीके जो बनाये हैं वह बहुत अच्छे बनाये हैं परन्तु जो काम इस पंचायत राज के अन्दर होना चाहिये यह नहीं हो रहा है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

मंत्री महोदय ने खुद इस बात को कबूल किया है और करते हैं और सही भी है कि वहां जो पंचायती राज के माने हैं वह यह कि स्वतः लोग अपनी मर्जी से एक स्वस्थ इकानामी को प्रोक्लेम करें। अपनी बुद्धि से, अपने कारोबार से अपने घर को समृद्धिशाली बनाने की कोशिश करें। तो वह निश्चय ही पंचायती राज है लेकिन मैं सरकार को बतलाना चाहता हूं कि हमारी जनता के अन्दर जो इनिशियेटिव होनी चाहिये, स्वतः काम करने की जागृति पैदा होनी चाहिये वह पैदा नहीं हुई है। उसका कारण यह है कि बहुत से बादल हमारे मुल्क के ऊपर गरज गये और बहुत बड़ी मूसलाधार वर्षा हो गई।

यह सरकार लाखों रुपयों की सहायता के रूप में जो बरसा रही है, इससे वह लोगों को अपंगु बना रही है। इससे उन लोगों को ऊपर उठने की हिम्मत नहीं होती है। यह लोगों को निठल्ला बना देती है। मैंने चीफ मिनिस्टर को लिखा भी कि आप लोगों को जो मदद दे रहे हैं, इस तरह से आप उनको अपंगु बना रहे हैं, उनकी ताकत को कमजोर बना रहे हैं। मैं चाहता हूं सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और सहायता बन्द करना चाहिए।

श्रीमन्, आज सारा रुपया उनकी जेबों में सिमट कर चला गया है जो चतुर थे, जिनके पास कुछ बुद्धि थी। हम चाहते हैं सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि जनता का पार्टिसिपेशन उन एक्टीविटीज में हो जिनके द्वारा सरकार उनका उत्थान करना चाहती है। सरकार को ऊपर से कोई योजना नहीं थोपना चाहिए। आप विकास के कार्यों को अगर तीव्र करना चाहते हैं तो वह डिक्टेटरशिप द्वारा ही हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता—

आप का समय समाप्त।

*कुंवर तेजभानसिंह (जिला प्रतापगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय नियोजन मन्त्री से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। राष्ट्रपिता बापू ने गांव को स्वर्ग बनाने की जो कल्पना की थी, आज उसके विपरीत होकर गांव नर्क बने हुए हैं। इसका कारण क्या है? वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। गांव का प्रधान और सरपंच अगर सही रास्ते पर चले, ईमानदार और चरित्रवान हो, तो देहात से भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है और गांव स्वर्ग बन सकते हैं। किन्तु ऐसा न होने के कई कारण हैं। पहला मुख्य कारण तो यह है कि सरकार द्वारा, जिला परिषदों द्वारा जो सहायता मिलती है वह ऐसे लोगों को मिलती है जो हर वक्त ब्लाक प्रमुखों तथा जिला परिषदों के चेयरमैनों की खुशामद में लगे रहते हैं। जो लोग खुशामद पसन्द नहीं होते, स्वालम्बी होते हैं, ईमानदार होते हैं, लोक कल्याण के कार्य करते हैं उनको यह सहायता नहीं मिलती। दूसरा कारण यह है कि गांव पंचायतों की आमदनी बहुत कम है। जिनकी जो आय हो उसका कुछ प्रतिशत, वहां की जन संख्या के अनुपात में गांव को अवश्य मिलना चाहिए। इससे वहां की आर्थिक हालत सुधरेगी।

इसके अलावा जो वहां के मुख्य कर्मचारी हैं जैसे लेखपाल, पतरौल, पंचायत सेक्रेटरी, पुलिस कांस्टेबिल आदि उन पर उनके आचरण पर, निगाह रखने का कन्ट्रोल ग्राम पंचायतों का होना चाहिए। इनको उनके में दिया जाय। तीसरे, जो सिस्टम न्याय पंचायतों का है उसको खत्म किया जाय। जब तक न्यायालय ठीक से काम नहीं करेंगे तब तक गांव का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। पंचायती अदालतों द्वारा बहुत बड़ा भ्रष्टाचार गांवों में फैलाया जाता है वह किस प्रकार से फैलाया जाता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

कुंवर तेजभान सिंह—

मान्यवर, मैं न्याय पंचायत अदालतों के विषय में यह कहना चाहता हूं कि ये जो न्याय पंचायतें हैं इनको भंग कर दिया जाय। कोई भी न्याय पंचायत ऐसी नहीं है जो वहां की जनता को बढ़िया न्याय देती हो। अगर सरकार निःशुल्क न्याय देना चाहती है तो वह एक कार्य करे। वह कार्य यह कि पंचायती अदालतों को भंग करके ब्लाक के स्तर पर एक न्यायिक पंच मण्डल बनाया जाय और उसमें जिले भर के जितने विधायक हैं सर्वसम्मति से, अगर किसी भी पंच के विषय में सन्देह हो तो वह न चुना जाय, वे उसमें रक्खे जायं। इस न्यायिक पंच मण्डल में जिलाधीश या किसी सरकारी अफसर को चूं करने की इजाजत न हो। यदि ऐसे न्यायिक मण्डल की स्थापना की जायगी तब तो जनता सुखी हो सकती है और गांव से भ्रष्टाचार दूर हो सकता है, अन्यथा नहीं। यदि असल में बापू जी के स्वप्न को सार्थक आप बनाना चाहते हैं तो पंचायती अदालतों को भंग करके ब्लाक स्तर पर न्यायिक पंच मण्डल की स्थापना करें और उसके लिए यह न हो कि उन पंचों को केवल पांच या दस साल के लिए रक्खे, उनको आजीवन रक्खा जाय। अगर उनमें से कोई भ्रष्टाचारी या बेईमान होता है तो उन पर केस चलाया जाय, सरकार इस पर नियन्त्रण रक्खे।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जो पंच और प्रधान गांवों में हैं—मैं भी प्रधान हूं अपने गांव का जरूर—मगर मैं कहता हूं कि इन में ९९ फीसदी बेईमान हैं। गांव की जमीनें इन लोगों ने उठा रक्खी हैं और वे भूमिहीनों को नहीं मिलती हैं। विनोबा भावे ने भूदान में जमीन ली और इन लोगों ने उन्हें पैसे वालों को दिया। ग्राम समाज की सम्पत्ति पर सरकारी अफसरान बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। मैंने प्रतापगढ़ जिले में सरकारी अफसरों से कहा कि आप लोगों का खयाल अमीर लोगों के पक्ष में है जो ग्राम पंचायतों की जमीनों को हड़प रहे हैं प्रधानों को मिलाकर। भूमिहीनों को जमीन नहीं मिल रही है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि प्रधानों का दृष्टिकोण बदलने के लिए जिला पंचायत अफसरों को हिदायत दी जाय कि अगर ग्राम पंचायत के प्रधान की शिकायत हो तो उस पर वे विशेष ध्यान दें। मुझे मालूम है कि ३०,००० हजार रुपए की सम्पत्ति जो ग्राम की थी उसे एक प्रधान ने दूसरे के नाम पट्टा कर दिया। जब गांव की जनता ने अविश्वास का प्रस्ताव रखा तो पंचायत अफसर साहब के यहां दलाल लोग पहुंच गए। उसका नाम था शोभाराम.....

श्री अधिष्ठाता—

बस, अब आपका समय समाप्त।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय विकास मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

यह पंचायती राज का वरदान ऐसा है कि माननीय बांकेलाल को भी बुद्धि संगत बात कहने में भी हमारे मुकाबले का अवसर मिल गया। उसके लिए उन्हें पंचायती राज का मशकूर होना चाहिए। जब हम इस देश में स्वराज्य की लड़ाई लड़ रहे थे तो उसके पीछे समाज की नूतन रचना की कल्पना भी हमारे दिमागों में थी। जब हमें यह अवसर मिला तो हम उस ओर बढ़े। श्रीमन्, समाज की रचना की दो प्रधान एजेन्सियां आप भी मानते होंगे। एक तो

[श्री रामलखन शुक्ल]

उस संगठन के द्वारा जिसे शासन की सत्ता कहा जाता है और दूसरे हमारे और आप जैसे जन-सेवी और समाजसेवियों के स्वतः प्रयास के द्वारा। इन दोनों के प्रयास से जन-समाज का नूतन स्वरूप निखरता है। सरकार कानून के द्वारा यह काम कर सकती है। मैं बड़े फख्र के साथ निवेदन कर सकता हूं कि सरकार ने अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद, अपनी तमाम मर्यादाओं और सीमाओं के बावजूद, इस काम में जरा भी कोताही नहीं की। प्रारम्भिक शासन सत्ता ने क्षेत्र समितियों के द्वारा, जिला परिषदों के द्वारा, गांव पंचायतों के माध्यम से यह कोशिश की है कि शासन सत्ता नीचे के स्तर तक पहुंचे। यह कहां तक सफल हुए, यह विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन सरकार ने पंचायतों का और क्षेत्र समितियों का गठन किया और उनमें जनता की आवाज को प्राथमिकता दी। जब कभी कोई ऐसी बात सरकार के सामने उपस्थित हुई कि लोकतांत्रिक ढंग से इन इकाइयों के संगठन में अमुक कारण से बाधा पड़ती है, तो सरकार ने अविलम्ब उसका निराकरण किया। उदाहरण के लिए, जब यह आवाज उठी कि प्रधानों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा होना चाहिए अन्यथा उनके चुनाव में पक्षपात होता है तो सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए फौरन इसमें संशोधन किया कि प्रधानों का चुनाव गुप्त मतदान से होगा। उसके बाद यह आवाज आई कि सदस्यों का चुनाव भी गुप्त मतदान से होना चाहिए। इसे भी सरकार ने स्वीकार किया।

मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस चुनाव की प्रणाली में कुछ पैसा जमा कराने की बात है। उसमें कुछ संदिग्ध बात मालूम पड़ती है। कुछ तो ऐसा लगता है कि सरकार की धारणा यह है कि पंचायती राज के चुनावों के खर्चे के लिए ६ रुपया या १२ रुपया जमा कराया जाय। अगर ऐसी बात है तो मेरा निवेदन है कि जितना आवश्यक हो, उसी हिसाब से आप लें और उसमें सम्भवतः किसी को आपत्ति नहीं होगी। एम० एल० ए० को, पार्लियामेंट के सदस्यों को और जिला परिषदों के सदस्यों को यह सहूलियत है कि हारने पर सीक्यूरिटी वापस हो जाती है। पंचायतों के लोगों को भी यह अवसर मिलना चाहिए कि जीतने और हारने के बाद वह पैसा उनका वापस मिल जाय।

पंचायतों के निर्माण की सफलता की जांच के लिए हमें उनकी कार्य विधियों और उपलब्धियों की ओर ध्यान देना होगा। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तानी और चीनी युद्ध के समय उनकी परीक्षा का अवसर आया। उसके पहले हमें हमेशा शुबहा होता था कि जो अधिकार इन ग्राम सभाओं को दिए जा रहे हैं इनका दुरुपयोग हो सकता है बार-बार यह कहा जाता था। लेकिन जब युद्धकाल आया तो इन पंचायतों के समक्ष भी यह प्रश्न पैदा हुआ कि उत्पादन बढ़ावें और सुरक्षा कोष में पैसा जमा करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो योगदान पंचायतों ने इस दिशा में दिया वह किसी से छिपा नहीं है। इस वर्ष से पहले के वर्ष में आप देखेंगे कि इनका तमाम प्रयास उत्पादन बढ़ाने की ओर लगा और उसमें सफलता हुई। बड़ी दृढ़ता, चेतना और जागरुकता के साथ ग्रामीण पंचायतों ने ग्रामीण अंचलों में उत्पादन इस दृष्टि से बढ़ाया कि हमें युद्धकाल में स्वालम्बी होना है। लड़ाई जीतने के लिए ग्रामीण जनता क्या कर सकती है, यह इन पंचायतों ने सिद्ध कर दिया। बावजूद तमाम पार्टियों के और लोकतन्त्र की कमजोरियों के, जो डेमोक्रेसी के अन्दर दोष आ जाते हैं उनके होते हुए भी जो महत्वपूर्ण काम उनके सामने आया उसमें वे किसी से पीछे नहीं रहे।

पैसा और अन्न इकट्ठा करने में हमको अपने जिले का अनुभव है। गोरखपुर जिले ने अन्न जमा करने में लीड लिया। गोरखपुर, गोडा, बहराइच जैसे जिलों में अन्न जमा किया गया जहां अन्न की कमी है और जहां के लोग अन्न की राशन की दुकानों की मांग करते रहते हैं। लेकिन युद्धकाल में वहां के किसानों ने अन्न देने की बात सोची। यह इन पंचायतों की सफलता का उदाहरण है। हम सबको इसका अभिमान होना चाहिए।

श्रीमन्, अब मैं कुछ अनुदान के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि अनुदान कुछ ऐसे लोग ले लेते हैं जो ज्यादा चाक-चौबन्द होते हैं और ज्यादा होशियार

होते हैं। पहले ऐसा होता रहा होगा। अब तो जन-संख्या के आधार पर अनुदान बांट दिए जाते हैं, बिना किसी वोट या होशियारी की प्रतीक्षा किए हुए और पास-बुक में पैसा जमा हो जाता है। हमने आडिट रिपोर्ट पढ़ी १९६५ की। उसमें यह था कि १९५३-५४ से १९६३-६४ तक ९,०१,००,००० रुपए में से २.९४ करोड़ रुपया ऐसा रह गया जो खर्च नहीं किया जा सका और आगे कारण यह बताया गया कि जो जनता का कन्ट्रीब्यूशन था वह पूर्ण रूप से आया नहीं दूसरा कारण यह बताया गया कि वितरण भी कुछ गलत आदमियों को हुआ, ऐसे व्यक्तियों के नाम आ गए जिनका कोई अस्तित्व हीन था। मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी इस अनुदान प्रणाली में कुछ परिवर्तन करें खासतौर से पिछड़े हुए और बाढ़ वाले इलाके में कन्ट्रीब्यूशन की मात्रा में कुछ कमी कर दें ताकि सरकार का हिस्सा आसानी से इस्तेमाल हो सके।

पंचायत मन्त्रियों के सम्बन्ध में मन्त्री जी ने कहा कि न तो उनको निकाला ही जा सकता है और न सब को बी० एल० डब्ल्यू० के स्तर पर ही लाया जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि पंचायत मन्त्री विकास के कार्य की हमारी सबसे पहली कड़ी है, तथा वह देहात के ग्रामीण लोगों के स्वभाव से परिचित हैं। जबकि वी० एल० डब्ल्यू० पतलून पहनता है, पंचायत मन्त्री धोती पहनता है। पंचायत मन्त्री करीब-करीब वही काम करता है जो ग्राम सेवक करता है। इस लिए पंचायत मन्त्री को आप कुछ ट्रेनिंग देकर वी० एल० डब्ल्यू० के मुकाबले में कर दीजिए। एक ही गांव में दोनों को रखने की आवश्यकता नहीं है। अलग-अलग गांव दोनों को दे दीजिए। प्रतिस्पर्धा से दोनों स्थानों पर काम भी अच्छा हो जायगा।

एक बात और है कि आज कल कागजात की कार्यवाही बहुत हो गयी है जिनके भरने में बहुत समय चला जाता है। अगर आप उसको कम कर सकें तो अच्छा होगा।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, पंचायत हमारे ग्रामीण जीवन की रीढ़ है। पंचायतों की स्थापना हमारी इस लोकप्रिय सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि पंचायतों के गठन और विकास के लिए जितना कुछ सरकार को करना चाहिए था, उतना प्रयास नहीं किया गया। इसका एक यह कारण भी है कि हमारे इस विभाग का कोई अलग डायरेक्टर भी नहीं है वह पंचायत राज और कोआपरेटिव दोनों का डायरेक्टर है। ऐसा एक डायरेक्टर होना चाहिए था जो पंचायत राज को अच्छी प्रकार से देख सकता होता। इन १७ वर्षों में पंचायतों ने अच्छा कार्य किया है लेकिन शनैः-शनैः जो भावना पहले थी उसमें निराशा का वातावरण बढ़ता जा रहा है। इसका एक कारण तो यह है कि पंचायतों को जो सम्मान साधन और सुविधा दी जानी चाहिए थीं उनकी पूर्णतया उपेक्षा की गयी है, इसलिए पंचायतें अपने में विकास करने में असमर्थ हो रही हैं। यह सही है कि हमने जिला परिषद्, क्षेत्र समिति, गांव पंचायत और न्याय पंचायतों की स्थापना की है, लेकिन उसमें सुधार की आवश्यकता है, बिना सुधार के जनतन्त्र प्रणाली को बढ़ावा नहीं मिल सकता। देखा यह गया है कि इन संस्थाओं के ऊपर सरकार ने अधिकारियों का एक ऐसा जाल खड़ा कर दिया है जिससे विकास कार्यक्रमों को पूरा करने में बाधा पहुंचती है। अगर प्रजातन्त्र का विकास करना है तो पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा। उदाहरण के लिए जिला परिषदों के कार्यकारी अधिकारी जो बनाए वह डी० पी० ओ० को बना दिया। उनका सम्बन्ध सीधे डायरेक्टर से है और सामान्य प्रशासन विभाग से है और वह लोग जिला परिषद् की आज्ञाओं को कार्यान्वित करने में असावधानी बरतते हैं। हमारे फतेहपुर जिले की ऐसी हालत है कि वहां की जिला परिषद् के जो निश्चय होते हैं उनको कार्यान्वित करने में वहां के नियोजन अधिकारी का कोई सहयोग नहीं होता। जब स्वयं अध्यक्ष महोदय ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर जाते हैं जो यह जिला नियोजन अधिकारी उन के साथ जाने में अपनी तौहीन समझते हैं, वह समझते हैं कि हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं और यह कम पढ़े लिखे लोग हैं। इस तरह की स्थिति में सुधार की आवश्यकता

[श्री रामकिशोर वर्मा]

है और इन चीजों को ठीक करने में प्राथमिकता दी जाय। इस तरह से जिला पंचायत अधिकारी को सुपीरियर माना जाना चाहिए और जो स्थान बी० डी० ओ० को प्राप्त है वह क्षत्र समितियों में जिन्हें ए० डी० ओ० पी० बनाया गया है उन को मिलना चाहिए और डी० पी० ओ० तथा बी० डी० ओ० को इनके नीचे करना चाहिए। इससे पंचायतों का स्तर ऊंचा होगा जो आज इतना गिर गया है कि उन में विश्वास का वातावरण नहीं रहा है।

अब मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारी गांव पंचायतों की जो इकाई है उसमें सदस्यों की संख्या इतनी ज्यादा है कि बैठकों में कोरम पूरा होना कठिन हो जाता है, वह कभी पूरा नहीं होता और बैठकें नहीं हो पातीं। हमारे यहां ७२ हजार गांव पंचायतें हैं और उनमें से बहुत सी छोटी भी हैं और इन छोटी पंचायतों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है उनके पास साधन नहीं हैं और इस वजह से वह निर्जीव सी रहती हैं। एक हजार से कम की जनसंख्या को गांव पंचायत नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि जो छोटी पंचायतें हैं जो छोटे गांव हैं २५० की आबादी वाले उन को दूसरे पास के गांवों में सम्मिलित कर देना चाहिए, गांवों की संख्या घटाना चाहिए, जहां आबादी कम है या बिल्कुल ही नहीं है उन गांवों को पड़ोस के गांव में मिलाकर १ हजार की आबादी का एक गांव सभा का यूनिट बनाना चाहिए। इससे साधन जुटाने में भी उन को आसानी होगी और काम ठीक से चल सकेगा। इसी तरह से सदस्यों की संख्या भी दस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इतनी संख्या से हम अपने निश्चयों को आसानी से अमली जामा पहना सकेंगे। एक समस्या यह भी है कि गांव सभाओं के पास साधन नहीं हैं, अपने विकास के साधन नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि गांव पंचायतों के लिए ऐसे फार्म्स और रजिस्टर दिलाने की व्यवस्था करें कि जिनके द्वारा उनके पास पूरा रिकार्ड इसका रहे कि गांव समाज की सम्पत्ति क्या-क्या है, कौन से उन के खेत हैं, कौन से रास्ते उन के कब्जे में हैं। यह व्यवस्था होनी चाहिए।

माननीय मन्त्री जी का भाषण मैं सुन रहा था। गांव पंचयात में एक रजिस्टर सामान्य मतदान रजिस्टर भाग २ होता है उस के बारे में मैं क्या कहूं ऐसा मालूम होता है कि आप के विभाग में भी अकर्मण्यता की झलक आ गई। मैं चाहता हूं कि यह रजिस्टर दुरुस्त किए जायं और इन्हीं से चुनाव सम्पन्न कराया जाय। इसके अलावा मन्त्री जी ने बताया कि पंचायतों में प्रधानों के चुनाव वह सीक्रेट बैलट से कराना चाहते हैं। यह उचित न होगा और यह भी एक अकर्मण्यता की निशानी है। हाथ उठाकर प्रत्यक्ष चुनाव कराना ही उत्तम तरीका है। मैं भी गांव का रहने वाला हूं। मैं समझता हूं कि उससे एक निर्भीकता की भावना पैदा होती है और लोग जो झूठ बोल-बोल कर वादा करते हैं कि हम तुमको वोट देंगे हम तुमको वोट देंगे इस तरह से झूठ बोलन में कमी आएगी। इसलिए जहां आप प्रधानों की तरह से सदस्यों का चुनाव भी बैलेट बाक्स से कराने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि हाथ उठा कर उनका चुनाव कराइए। इससे लोगों में निर्भीकता आएगी और लोग झूठ भी नहीं बोल सकेंगे।

श्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। विकास मन्त्री जी ने जो अनुदान इस सदन के समक्ष पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और साथ ही साथ कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। इन पंचायतों की स्थापना सन् ५० में जिस समय हो रही थी, हमें याद है कि मैं कचेहरी में गया हुआ था, उस समय वकील मण्डल यह कह रहा था कि अब हमारे सामने कोई केस नहीं आएगा। उनको इस बात की बड़ी भारी चिन्ता थी कि अब हम क्या करेंगे। लेकिन उसके थोड़े ही दिन बाद, श्रीमन्, ऐसा ढांचा बदला कि अदालतों में कहीं बैठने की शरण नहीं रह गयी और जिलाधीश को पब्लिक को बैठने के लिए कई शेड्स बनवाने पड़े क्योंकि जब से पंचायतें आयीं तब से गांवों में पार्टीबाजी इतनी बढ़ गयी है जिसकी कोई हद नहीं है।

अब प्रश्न उठता है कि आखिर क्या होना चाहिए ऐसी बात तो हो गयी। श्रीमन्, अब क्या कहा जाय, किस प्रकार से इसे रोका जाय ? लेकिन एक सुझाव मैं आपको देना चाहता हूं कि एक चीज यह हो गयी है कि जहां पुराने जमींदार तबके के सभापति हो गए हैं वहां एक प्रकार से जमींदारी वापस आ गयी है, वहां पर यह होता है कि जब कोई सम्पत्ति खाली हुई तो कायदे के मुताबिक बजाय इसके कि वह भूमिहीनों को दी जाय प्रायः सभापति लोग अपने लड़के, भाई अपनी स्त्री या पोता के नाम उसे कर देता हैं। यह तो हो नहीं सकता कि अगर किसी के पास भूमि है तो उसका पोता भूमिहीन हो गया। होना तो यह चाहिए कि जिसके पास बल्कुल जमीन न हो उसके पिता या भाई के पास जमीन न हो उसे वह जमीन दी जाय। आपको चाहिए कि सभापतियों को बतला दें कि कानून के अनुसार भूमिहीन कौन-कौन लोग हैं। इस प्रकार से आप समझ लीजिए कि गांव समाज की सम्पत्ति का ह्रास हो रहा है। जहां कहीं तालाब है वहां के लिए तय यह था कि जिसने तालाब को बनवाया हो उसके खानदान के पास तालाब रहेगा लेकिन उस पर अधिकार गांव समाज का ही रहे। हमारे यहां तीन ऐसे तालाब थे जिनमें नाले निकाल कर जड़हन लग गया और तालाब के भित्ते पर जो पेड़ थे और जो ग्राम सभा के नाम पर थे उनको इधर-उधर के लोगों ने आपस में बांट लिया, कोई दो पेड़ ले लिया, कोई ४ पेड़ ले लिया और इस तरह से बहुत से फलदार पेड़ काट डाले गए जो गांव समाज की सम्पत्ति थी। जब हम कानूनी कार्यवाही करने की बात करते हैं तो सभापति के रजिस्टर को कौन देखे और कौन क्या करे ? लेखपाल आपका सेक्रेटरी है अब आप समझ लीजिए कि इस प्रकार से ग्राम समाज की सम्पत्ति का ह्रास हो रहा है और समझ में ही नहीं आता कि किस प्रकार से इस चीज को रोका जाय। मैं चाहता हूं कि लेखपाल जो आपका सेक्रेटरी है उसे फौरन हटा दिया जाय और पंचायत मन्त्री के जिम्मे ही सब काम दे दिया जाय ताकि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वह काम करे ? और जो इन्सपेक्टर है वही उसकी देख-भाल करे। जो आपने तहसीलों के जिम्मे कर दिया है वह ठीक नहीं है। इसलिये ग्राम समाज का नाम हटाकर ग्राम सभा कर दिया जाय।

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह यह है कि छोटी-छोटी जो हमारी ग्राम सभायें हैं, उनके पास बहुत कम रुपया पैसा है और वे अपना काम नहीं कर पाती हैं। जैसे किसी ग्राम सभा को आपने स्कूल के लिये रुपया दिया तो अगर ग्राम सभा को ५०० भी देना पड़े तो वे नहीं दे पाते हैं, नतीजा यह होता है कि जो रुपया सरकार की ओर से दिया जाता है वह ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। ऐसी ग्राम सभाओं को, आपको अधिक रुपया देना चाहिये।

यह भी देखने में आया है कि पंचायतों में टैक्स का पया बाकी पड़ा रहता है। केवल चुनाव के समय में वे लोग ही देते हैं जो कि चुनाव में खड़े होते ह। अगर यह बात वोटर पर भी लागू कर दी जाय कि जब तक वह पंचायत का टैक्स नहीं देगा उसे वोट देने का कोई अधिकार नहीं होगा, तो जो रुपया बाकी रहता है वह बहुत शीघ्र वसूल हो जायगा। दूसरी बात इसमें यह भी है कि जो वहां पर टैक्स वसूल करने वाला पंचायत का सेक्रेटरी होता है, भत्ता का जिसे ग्राम सभाओं से ही रुपया मिलता है, तो वह यह करता है कि जो उसको वसूली में मिलता है उसी को ले लेता है। नतीजा यह होता है कि एक भी रुपया वसूल नहीं हो पाता है। मैं यह सुझाव देता हूं, और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी कहा है, कि उसको सीधे सरकार को देना चाहिये। उसको वहां से लेने का कोई अधिकार न रहे। उस वसूली का बाकायदा हिसाब किताब रहे और रुपया उसकी पास बुक में जमा होना चाहिये वरना वह झंझट वैसे ही बना रहेगा।

ग्राम सभाओं में जो खास दिक्कत देखी गयी है वह यह है कि वहां पर कोरम नहीं हो पाता है। लोग परेशान रहते हैं। ज्यादातर हरिजन मेम्बर जो होते हैं, उसमें नहीं आते। उनके पास चुनाव के लिये पैसा नहीं होता और उनकी सीट खाली पड़ी रहती है। उनके पास फीस तक का पैसा नहीं होता है और जिसके पास होता भी है वे कहते हैं कि हमको कोई वहां पर नहीं पूछता है।

[श्री रामबली मिश्र]

जो बड़े-बड़े लोग चाहते हैं वे कर लेते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि सालभर अगर कोई मेम्बर पंचायत में उपस्थित नहीं होता है, उसकी सील समाप्त हो जानी चाहिये। ऐसा न हो कि सीटें खाली पड़ी रहें और कोरम भी पूरा न हो।

दूसरे यह भी देखा जाता है कि छोटी-छोटी पंचायतों के जो क्षेत्र समितियों के सभापति की हैसियत से उनके मेयर हैं, वे नहीं आ पाते हैं। उनका भी पूरा कोरम नहीं हो पाता है तो उनके सामने भी काम करने की समस्या हो जाती है। उस तरफ भी हमारी सरकार का ध्यान जाना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने जो सुझाव रखा है कि पंचायतों का आकार बड़ा होना चाहिय, यह बड़ा सुन्दर सुझाव है। पंचायतों के सदस्य जो प्रमुख होते हैं, वे क्षेत्र समितियों के सदस्य तो हैं लेकिन अपनी गांव पंचायतों के सदस्य नहीं होते हैं। विधायक भी अपनी ग्राम सभा के सदस्य नहीं होते हैं। क्षेत्र समिति के प्रमुख जिस गांव में रहते हैं और विधायक इन दोनों को गांव सभा का पदेन सदस्य होना चाहिये। उनको खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक आपकी ऐसी व्यवस्था नहीं है। प्रमुख और विधायक दोनों को होना चाहिये।

(इस समय २ बज कर ३५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुये।)

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हर एक गांव में गरीब छात्र होते हैं। अगर ग्राम सभा उस छात्र की सहायता भी करना चाहती है तो नहीं कर सकती है। तो अगर किसी ग्राम सभा में कोई तेजस्वी छात्र होना है तो उस ग्राम सभा को इस छात्र की सहायता करनी चाहिये। तो यह होना चाहिये कि वह अपने फंड से अगर चाहें तो उसको सहायता दे दें।

दूसरी बात यह है कि ये ग्राम सभायें शिक्षा के मामले में कोई सहायता नहीं करती हैं। अगर इनके पास रुपया है तो ये हायर सेकेन्डरी स्कूल जिसके गांव में है, अगर वहां पर उनकी सहायता की जरूरत है तो भी वह सहायता नहीं दे पाती हैं। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि गांव सभा का फंड अगर ऐसा हो कि वह अपने गांव के हायर सेकेन्डरी स्कूलों को सहायता देना चाहें तो उसको देसकें।

एक बात यह भी है कि टैक्स जो बकाया हो जाय उस बकाया टैक्स को बकाया मालगुजारी के रूप में वसूल करें क्योंकि देखा गया पूरा टैक्स अभी तक वसूल नहीं हो पाया। इसलिये उन टैक्सों को बकाया मालगुजारी की तरह से वसूल करें और उसका नतीजा यह होगा कि एक मर्तबा अगर अमीन वसूल कर लेगा सख्ती के साथ तो दूसरी मर्तबा गांव के लोग जरूर उस को दे देंगे। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, गांव सभायें जो हैं ये लोकतन्त्र में एक बुनियाद की हैसियत रखती हैं और सही मानों में नाप का अगर पैमाना मान कर के ग्राम विकास को नापा जाय तो इसकी तरक्की और तनज्जुली का सही अन्दाज हो सकता है। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं इस सिलसिले में मेरा खयाल यह है कि गांव पंचायतों की तरक्की के लिए जिलाधीश, अंतरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष, प्लानिंग अफसरों और ग्रामीण क्षेत्रों के जो नुमाइन्दे हैं इनको अगर एक कम्बाइन्ड कमेटी बना दी जाय और उनके जरिये से गांव पंचायत की तरक्की का काम किया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि ये मिल जुल कर ऐसे तरीके अपनायेंगे जिससे पहलू ब पहलू तरक्की होगी। ग्राम सभाओं और पंचायतों के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कोई आनरेरियम, भत्ता, दिया जाय जिससे उनको जो असुविधायें हैं उनमें कुछ कमी हो और उनको आसानी हो।

मान्यवर, गांवों में रोशनी का कोई इन्तजाम नहीं है। इस सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं कि कोई ऐसा आदेश सरकार दे और लाजिमी करार दे कि हर ग्राम पंचायत में कम से कम ४ लालटेनें जरूर लगाई जायं और इनके लिये मिट्टी के तेल का इन्तजाम यह विभाग करे। गांव सभाओं में जो जमीनें हैं उन जमीनों का प्रधानों को कोई पता नहीं है। उस के लिये भी कोई माकूल इन्तजाम हो जिस से उन को अपनी मिल्कियत का अन्दाज हो सके और गिरी पड़ी जमीनें हरिजनों को ही दी जायं और किसी को न दे दें। होता यह है कि अक्सर दूसरे लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं और दूसरों के नामों से पट्टे हो जाते हैं।

इसके अलावा यह भी मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह लाजमी करार दे दिया जाय कि हर गांव सभा में कुछ न कुछ दवाइयां जैसे अमृत धारा और कालरा मिक्चर आदि, जरूर मुहइया की जायं ताकि जो गरीब लोग हैं उनको फौरी तौर पर इमदाद मिल सके और दवा पा सकें। वहां पर फर्स्ट ऐड का भी थोड़ा सामान होना चाहिये।

यह आम खयाल था लोगों का कि अब किसानों को कुछ सुविधायें मिलेंगीं, आसानियां मिलेंगीं और वे ज्यादा खुशहाल होंगे और नया जीवन अपनायेंगे। यह सही है कि जमींदारों के चंगुल से देहात के आदमी छूटे लेकिन साहूकारों, महाजनों, नौकरशाही, लालफीताशाही के चंगुल में फंसते जा रहे हैं और आहिस्ता-आहिस्ता देहातों में गरीबी, बेरोजगारी तथा इसी किस्म की अन्य परेशानियां बढ़ती जा रहीं हैं तथा एक वक्त ऐसा आयेगा कि अगर यही ढील रखी गयी तो एक ऐसा ज्वालामुखी देहातों में फटेगा जो कि वक्त के फिरौनो को तबाह कर देगा।

जो न्याय पंचायतें हैं इनकी जब स्थापना हुई तो मतलब यह था कि गांव में रहने वालों को सस्ता और जल्दी इंसाफ मिल सके और वे कचेहरी की भागदौड़ से बच सकें और लूटखसोट है उससे भी बच सकें। और बचे हुये समय और पैसे को अनाज और दूसरी जरूरत की चीजों के उत्पादन के लिये लगा सकें। लेकिन दुख है कि उल्टा हो रहा है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

चौधरी अब्दुल हसीब खां--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जमींदारी खात्मा के बाद आम तौर से लोग यह समझते थे कि देहात के लोग प्रगति करेंगे लेकिन वे आज साहूकारों, महाजनों और रिश्वतखोरों के चंगुल में फंसे हुये हैं।

सरकार की तरफ से आज "जय जवान और जय किसान" का नारा बुलन्द किया जा रहा है, लेकिन किसान जय सरकार और जय अफसर का नारा बुलन्द करने पर मजबूर हो रहा है, इसलिये कि उसको कदम-कदम पर घूस और दूसरी कठिनाइयां हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अब मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री रघुवीरसिंह (जिला एटा)--

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विकास मंत्री ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। किसी भी पिछड़े हुये देश में विकास लाने के लिये योजनाओं की आवश्यकता होती है और इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हमारी प्रगतिशील सरकार योजनायें चला रही है। आजकल हम अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में चल रहें हैं। नियोजन विभाग बड़ी तत्परता और कर्त्तव्यपरायणता के साथ कार्य कर रहा है। उसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का आकार केवल ४९७ करोड़ का था जो अब बढ़ कर ५५५ करोड़ का होने जा रहा है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि सिंचाई, बिजली और शिक्षा, इन सब में सराहनीय प्रगति हुई है। साथ ही साथ उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी हुई है। इसका भी स्पष्ट प्रमाण यह है कि यदि यह नियोजन न लाया जाता तो पिछले दिनों में जो देवी आपदायें पड़ीं हैं उससे संभवतः यहां का जीवन संकटमय हो जाता।

यह सब कुछ होते हुये भी मैं अपने मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि उनके विभाग का दोष तो नहीं है, जैसा पैसा जिस कार्य के लिये उसको मिला उसी गति से उसने काम किया, परन्तु इसके बंटवारे में जरूर कोई खामी है जिससे कि हमारे एक वर्ग की, जिसकी आबादी करीब ८० फीसदी है, कोई तरक्की नहीं हुई। चूंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, यहां ८० फीसदी आदमी खेती करते

[श्री रघुवीरसिंह]

हैं, जब तक उदकी आर्थिक दशा नहीं सुधरेगी तब तक विकास सफल नहीं कहा जा सकता। और जब तक उस वर्ग की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जितने भी उद्योग आप बढ़ायेंगे उनके उत्पादन की खपत कौन करेगा। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि प्लानिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो कार्य आवश्यक हैं, जिनसे कृषक वर्ग को लाभ पहुंचता है उसका बंटवारा नियोजन की धनराशि में ८० परसेंट से कम नहीं होना चाहिये, अन्यथा इन वर्ग को राहत नहीं पहुंच सकती है।

अब मैं कुछ सुझाव ऐसे देना चाहता हूं जिनसे किसान का आर्थिक दृष्टि से विकास हो सके। कुछ गांव सभायें ऐसी हैं जहां बहुत ज्यादा ऊसर है। कोई-कोई गांव सभा तो ऐसी है जहां ५० परसेंट से ज्यादा ऊसर है और उसका प्रबन्ध इसलिये नहीं हो रहा है कि अब तक कानून यह है कि जो भूमिहीन हैं, अलाभकर जोतवाले हैं या हरिजन हैं, वे ही किसी भी भूमि का पट्टा ले सकते हैं। लेकिन यह साधनहीन लोग ऊसर की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। इसको तो साधन सम्पन्न लोग कर सकते हैं या ऐसे लोग कर सकते हैं जिनके पास ट्रैक्टर वगैरा हैं। यदि मेरा सुझाव उचित समझा जाये तो ऐसे लोगों को भी जिनके पास १२ १/२ एकड़ से अधिक भूमि है छूट दे देनी चाहिये और उस समय यह छूट होनी चाहिये जब कि अलाभकर जोत वाले, हरिजन या भूमिहीन लोग उसको लेने के लिये तैयार न हों तो जिनके पास साढ़े बारह एकड़ से ज्यादा भूमि है वे भी पट्टा लें सकें। इससे अन्न का उत्पादन बढ़ सकेगा।

श्रीमन्, गांव सभाओं को जो पैसा मिलता है उससे वे अपना काम नहीं चला सकती हैं। मेरा सुझाव यह है कि मालगुजारी में से आधा उनको विकास कार्य के लिये दिया जाय। विकास कार्यों को सरकारी कर्मचारियों द्वारा चलाया जाय लेकिन पैसा सरकार से मिलना चाहिये। कुछ लोग गांवों में ऐसे भी रहते हैं जो इतने निर्धन हैं कि वे अपना जीवन यापन भी नहीं कर पाते हैं। नियम यह है कि जब कभी गांव में खरन्जा या नाली बनाई जाती है तो हर आदमी को उसमें अपने हिस्से का पैसा देना पड़ता है। लेकिन ऐसे लोग विशेशकर हरिजन होते हैं वे आपने हिस्से का पैसा नहीं दे पाते हैं। ऐसी दशा में वहां खरंजे और नाली वगैरा नहीं बना पातीं। इस-लिये ऐसे लोगों के लिये भी कुछ प्राविधान रखना चाहिये। वैसे वास्तविकता यह है कि पिछड़े हुये लोगों के लिये ही यह सामुदायिक विकास योजना बनाई गई है और उन्हीं की उन्नति नहीं हो रही है तो मैं कहूंगा कि यह योजना सफल नहीं हो रही है बल्कि विफल हो रही है। गांव सभाओं की सीमा ठीक नहीं है, ब्लाकों का भी परिसीमन हो रहा है, इसलिये गांव सभाओं का परिसीमन ठीक कर दिया जाये जिससे आने जाने में आसानी हो और ब्लाकों के परिसीमन में भी सहायता मिले।

ग्राम सेवकों और सेक्रेटरीयों के क्षेत्रफल बहुत बड़े है कि उसमें वह सुविधा से घूम भी नहीं पाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन दोनों पोस्टस को एक में मिला दिया जाय और इनका क्षेत्रफल घटा दिया जाय जिससे ये लोग देहाती क्षेत्रों के लोगों से निकट सम्मर्क स्थापित कर सकें।

श्रीमन्, एक बड़ी कठिनाई में डालने वाली चीज देहात में हो रही है। चकबन्दी विभाग ने कुछ भूमि ऐसी छोड़ दी थी जो कि देहात के भविष्य के रहने सहने के काम में आती रहे। मौजूदा प्रधान अपने शासन काल में ही कुल जमीन को उठाना चाहते हैं। उससे नाजायज लाभ भी होता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय अवश्य नोट करें कि अगर इसी समय सारी भूमि का प्रबन्ध हो गया तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिये भूमि नहीं रहेगी। इसलिये प्रतिबन्ध लगा दिया जो कि मौजूदा प्रधान कुल भूमि का प्रबन्ध अपने ही शासनकाल में न कर सकें।

इसके अतिरिक्त, कोई ग्राम समाज जनसंख्या के आधार पर छोटा है और क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा हुआ है। कोई क्षेत्रफल में कम है और जनसंख्या में बड़ा हुआ है। रचनात्मक कामों में करीब-करीब बराबर पैसा लगता है। लेकिन जिस ग्रामसभा के पास पैसा कम है वह अपने क्षेत्र में आवश्यकतानुसार कार्य नहीं कर पायेगी, इसलिये बटवारा जनसंख्या के आधार पर न करें,

ग्राम सभाओं की इकाई के आधार पर बटवारा होना चाहिये जिससे सुचारु रूपसे रचनात्मक कार्य हो सकें। एक बात मुझे और कहनी है। ग्राम सभाओं में जो एलेक्शन होते हैं उनमें धांधली हो जाया करती है। उनको पेटीशन का अधिकार होता है। केवल एक अदालत होती है वह चाहे कुछ कर दे। मैं कहना चाहता हूं कि पेटीशन के निबटाने की अवधि छोटी रखी जाय ताकि जल्दी छुटकारा मिल जाय। साथ ही साथ उनको अपील करने का भी अवसर प्रदान किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त।

श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इसलिये नहीं कि हम हर एक मद का विरोध करते हैं। हम अच्छे कामों का समर्थन भी करते हैं और इससे भी ज्यादा धनराशि का समर्थन कर सकते हैं बशर्ते कि इस धनराशि का सदुपयोग किया जाय। मान्यवर पंचायतों का गठन हुआ। गांव में जनता में एक आशा बंधी। हम लोगों का भी विश्वास था कि गांव सभाएं अच्छी तरह से गांव की तरक्की के लिये कार्य कर सकेंगी। अपने गांव का बजट तैयार करने के बाद गांव में जिन्दगी की कितनी चीजों की जरूरत है, कौन गांव में पैदा हो सकती है, कौन दूसरी गांव सभाओं से लायी जा सकती है या कौन बाहर से लायी जा सकती है, लेकिन बिलकुल उल्टा नजर आया। सरकार की तरफ से जो अनुदान गांव सभाओं को मिलता है, हमने देखा है कि उसका बहुत बड़ा भाग मंत्रियों के स्कूलों के उद्घाटन, सड़कों के उद्घाटन आदि में खर्च हो जाता है, जो गांव सभाओं मे खर्च होना चाहिये। दो-चार साल पहले गांव सभा में कुछ काम हुआ। खड़ंजे लगे, मुर्गी पालन हुआ, कुछ फुर्वे और पुलियां तथा स्कूल बने लेकिन पांच सात साल से गांव सभाओं में क्या काम हो रहा है पता नहीं चलता। स्कूलों में दीवारें खड़ी हैं, लड़के पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ाई करते हैं। प्रधान से लेकर बी० डी० ओ० तक जो सरकार की फौज है वह ऐसा कब्जा किये हुये है कि गांव सभा का प्रधान और अदालती पंचायतों के सरपंच अपना काम नहीं कर पाते। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आजमगढ़ जिले में अभी-अभी चुनाव हुआ-एक महीने पहले वहां गांव सभा का चुनाव हुआ। दो आदमी परचा लेने गये। ए० डी० ओ० ने जानबूझ कर धक्का दे कर एक गरीब किसान को हटा दिया और एक भूतपूर्व जमींदार है उसको पर्चा देकर निर्वाचित घोषित करवा दिया जिसके खिलाफ एलेक्शन पेटीशन चल रहा है। एक रिट आजमगढ़ में दाखिल है। तो यह सरकारी शिकंजा जो जकड़ा हुआ है, ऐसा मालूम पड़ता है कि गांव सभाएं सरकार की एजेंसी हैं जो वक्त पर सुरक्षा फंड के लिये पैसा जमा कर सकें और मंत्रियों के दौरे का इन्तजाम करें और इसके सिवा दूसरे छोटे-मोटे काम करें। अदालती पंचायतों में भी कुछ मुकदमें शुरू हुये, लेकिन धीरे धीरे उनका रूप भी सरकारी अदालतों के अनुरूप बदलने लगा, और उनका भी प्रभाव खत्म हो गया। किसको इसके लिये दोष दिया जाये, लेकिन आज कल गांवों के आदमी का चरित्र गिरता जा रहा है। सरकारी अधिकारी घूस खोर हैं, उनका असर भी उन पर पड़ रहा है। यदि यह चाहें तो इस घूसखोरी और भ्रष्टाचार को रोक सकते हैं, लेकिन वह स्वयं इन बुराइयों में पड़े हुये हैं।

बहुत-सी गांव सभाओं को अनुदान दिया जाता है, लेकिन वह वहां तक नहीं पहुंच पाता है, काम पर नहीं लग पाता है, जिस से कि गांवों का कोई विकास नहीं हो पाता है। गांवों में चकबन्दी हुई, लेकिन उसके फलस्वरूप भूमिहीनों और हरिजनों को कोई जमीन नहीं मिल पायी जब कि उनको जमीन अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिये थी। जो उनके हिस्से के लिये भूमि अलग की गयी उसे बड़े-बड़े लोगों ने अपने बल से हड़प लिया। हमारे यहां आजमगढ़ के मोहमदाबाद तहसील के टिसौरा ग्राम में २०-२५ घर हरिजन हैं, लेकिन चकबन्दी के बाद भी उनको कोई भूमि नहीं मिली। वहां टिसौरा के प्रधान खेमचन्द्र ने सारी जमीन अपने चाचा, चाची और पिता के नामों से अलग कर ली और भूमिहीन भूमिहीन ही बने रहे। इसका भी मुकदमा चल

[श्री सुरजनराम विशारद]

रहा है। किन्तु उन बेचारों को २५-२५ मील तक जाना पड़ता है मुकदमे के लिये, वकीलों को मेहनताना देना पड़ता है, कोर्ट फीस आदि देनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है, तो वह गरीब मुकदमा क्या लड़ पायेगा ? उन बेचारों का हक मारा गया है। गांव समाज की जो जमीन है उसे भूमिहीनों में बांटने की व्यवस्था की जाए तो उनका बहुत कल्याण हो सकता है। गांव समाज के जो पोखरे हैं उन पर भी असरदार लोगों ने कब्जा कर लिया है। पोखरों की जमीन यदि भूमिहीनों को दे दी जाय तो अन्नोत्पादन में उस से बड़ी सहायता मिल सकती है। गांव के जो ताल और पोखरे हैं वह भी मछली पालने के लिये दे दिये, इस से गांव सभाओं की आमदनी बढ़ सकती है और उस पर यदि ठीक से नियंत्रण रखा जा सके तो उनकी हजारों की आमदनी हो सकती है।

श्रीमन्, माननीय मंत्री गेंदा सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी यह देखने के लिये कि गांव सभाओं की आमदनी क्यों नहीं बढ़ी और कैसे बढ़ सकती है। लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट का अभी तक पता नहीं चला है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनकी रिपोर्ट यहां पर पेश हो और उस पर बहस हो और रास्ता निकाला जाये कि कैसे वहां की आमदनी बढ़े। एक सुझाव मेरा और है कि गांव सभाओं के पास आज कोई आमदनी के साधन नहीं रह गये हैं। साधन हो सकते हैं, जब कि सही मानों में इस दिशा में वे सक्रिय हों और गांव सभायें सोसा-इटियां खोलें, उद्योग धन्धे खोले जायं। उद्योग धन्धों के नाम पर मखौल उड़ाया जाता है। जो इंडस्ट्री के लिये अनुदान है, यदि उसका फायदा उठाया जाये तो बहुत ही ज्यादा उनकी आमदनी बढ़ सकती है।

इन सुझावों के साथ मैं चाहता हूं कि मेरे सुझावों पर मंत्री जी विचार करने के उपरान्त उन्हें अमल में लाने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राजनारायणसिंह (जिला मिर्जापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का मौका दिया। जो अनुदान प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। श्रीमन्, जैसे हमारे यहां के भूमि सुधार से दूसरे प्रदेशों को रोशनी मिली और एक रास्ता दिखलाया उसी तरह से मैं साहस के साथ कह सकता हूं कि इस पंचायत राज के सिलसिले में हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है वह बहुत सराहनीय है। यह प्रजातंत्र को आगे बढ़ाने वाला है। मैं तो यह कहूंगा कि दूसरे प्रान्तों को इस से रोशनी मिली है और उन्होंने इसका अनुकरण किया है। पंचायती राज का कामयाब होना इस बात पर निर्भर करता है कि इसके पीछे जो संस्था हैं, क्षेत्र समिति और जिला परिषद्, ये उसकी रहनुमाई अच्छी तरह से कर सकेंगी। अगर ये क्षेत्र समिति के लोग और जिला परिषद् के चेयरमैन, सदस्य इसकी रहनुमाई अच्छी तरह से कर सकें तो मैं समझता हूं कि हरएक पंचायत बहुत कामयाबी के साथ काम कर सकती है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां ब्लाक जमालपुर में, जो कि परगना भुइली तहसील चुनार में पड़ता है, वहां पर ३०, ४० गांव की पानी समस्या ऐसी बनी रहती है जो बहुत परेशान किये हुये हैं। १६, १७ वर्ष से वहां पर वे गांव जल मग्न रहते हैं और कृषि उत्पादन के लिये वह समस्या बनी हुई है। इसके लिये वहां की क्षेत्र समिति ने प्रस्ताव पास किया है और जिला परिषद् ने प्रस्ताव पास किया है और गवर्नमेंट से भी लिखा-पढ़ी होती रही है लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

आज जब कि अन्न की समस्या विकट बनी हुई है तो मैं नहीं समझता कि यहां प्रान्तीय स्तर पर क्यों उस समस्या के प्रति उदासीनता है। यह मेरी समझ में नहीं आता। यदि आप ग्राम पंचायतों की मदद करना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता कि आप किस तरह से उनकी मदद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर सकेंगे और कामयाब हो सकेंगे । श्रीमन्, ३०, ४० गांवो में पानी भरे रहने की जो यह समस्या है यह बहुत आसानी से हल हो सकती है। गडई नदी पर वहां अहरोरा बांध बना हुआ है। उसमें बहुत कम पानी जाता है। लेकिन चूंकि बांध बनने के पहले से ३ रेगुलेटर गडई नदी पर बनाये गये हैं, जो बनारस जिले में स्थित है तो वह उन रेगुलेटर का मालिक बरसात में उनको बन्द कर देता है तो इससे ३०-४० गांव जलमग्न हमेशा बने रहते हैं । वह जमीन बहुत पैदावार की हो सकती है। अच्छी जमीन उपजाऊ जमीन है। अगर ग्राम सभा के इस प्रस्ताव के ऊपर विचार नहीं किया जायगा और इसके लिये छोटा-सा नाला बना कर पानी निकाला जायगा और उस वाटर लागिंग को दूर नहीं किया जायगा तो मैं नहीं समझता कि किस तरह से यह नीति गांव पंचायतों की मदद करने की रहेगी। और किस तरह से ये पंचायतें फूले फलेंगी और किस तरह से वे प्रोत्साहन ले कर आगे बढ़ेंगी और साहस पैदा करेंगी? इसलिये मैं विकास मंत्री जी से और सभा सचिव महोदय से अनुरोध करूंगा कि उन गांव सभाओं ने जो प्रस्ताव पास करके भेजे है उसके ऊपर विचार किया जाय और अन्न संकट के समय में इस जल-मग्न भूमि के सवाल को हल किया जाय और जल्द से जल्द इसको दूर किया जाये। वह सवाल आसानी से हल हो सकता है। अगर वह समस्या हल नहीं हुई तो उसके अन्दर निरुत्साह पैदा होगा। जब आसानी से वह समस्या हल हो सकती है तो क्यों नहीं हल की जा रही है? क्यों उनकी मदद नहीं की जा रही है? इसलिये मैं कहूंगा कि ब्लाक नारायणपुर जो चुनार के पास है वहां पर पक्की सड़क के पार लोगों की इस मुसीबत को दूर किया जाय। वहां पर चकबन्दी हो चुकी है। सोखर ब्लाक में बिजली लगाने के सम्बन्ध में सरकार से लिखा-पढ़ी उन लोगों की हुई है। वहां पर बिजली जरूरी है। बिजली की लाइन वहां पर गई है। वहां पर ट्यूब वैल छोटे छोटे लोग बनाना चाहते हैं तो उनको बिजली दी जाय लेकिन अभी तक कोई उसकी सुनवायी नहीं हो रही है। न जिलास्तर पर न प्रान्तीय स्तर पर, सरकार उसमें कोई मदद नहीं कर रही है। गांवों में लोगों को जो कुवें आदि बनवाने के प्रति उत्साह जाग्रित हुआ वह उस मदद के न मिलने के कारण खतम होता जा रहा है।

इसके अलावा मैं एक और चीज की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जिलास्तर पर जो रुपया दिया जाता है उस पर ठीक प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा जाता। जो रुपया हम देते हैं उसकी ठीक प्रकार से देख भाल नहीं होती। इसके कारण जिस लक्ष्य की प्राप्ति की और हम बढ़ना चाहते हैं वह हम प्राप्त नहीं कर पाते और यह पंचायतों के आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। रुपये का सही तरीके से न तो बटवारा होता है, न उसकी देखभाल होती है। श्रीमन्, विधान सभा में तथा उसके बाहर भ्रष्टाचार की बड़ी शिकायत भी की जाती है। इस बात पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी रुपया हम दें उसको एक एक पाई का सही उपयोग होता है या नहीं। अगर इस प्रकार की निगरानी में त्रुटि रहेगी तो हम कदापि अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते और इसी त्रुटी के कारण आज ३ पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति पर भी हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके हैं। गांव के लोग खूब अन्न उपजाना जानते हैं, वह लोग अपने कर्त्तव्य को भी अच्छी तरह समझते हैं और उनके प्रति वे जागरुक हैं। लेकिन कमी अगर है तो वह राजनीतिक दलों में है, चाहे वह इधर बैठने वाला दल हो या उधर बैठने वाला दल हो। यह दल वास्तविक पथप्रदर्शित नहीं कर पाते जिससे उन लोगों में जो उत्साह बढ़ना चाहिये वह नहीं बढ़ पाता। आज अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रथम आवश्यकता इस बात की है कि हम जो रुपया दें उसका सही सही निरीक्षण हो, उसका सही सही उपयोग हो, और सही तरीके से उसका वितरण हो। तभी हम अपनी योजनाओं में कामयाब होंगे ।

मैंने देखा है, श्रीमन्, हमारी जिला परिषदें जो गांव के लोगों की रहनुमाई करते हैं, पांच मिनट में, अपनी मीटिंग में तमाम केसेज पर विचार कर लेते हैं। तमाम आइटम्स ५ मिनट में समाप्त हो जाते हैं। यहां हर चीज पर जिस प्रकार विचार होना चाहिये, वह नहीं होता।

[श्री राजनारायणसिंह]

मैंने वहां पर इसके ऊपर आपत्ति भी उठाई। लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। अगर हमारे काम करने वाले लोग कुशल नहीं हैं, उनमें कुछ बुराई है, तो हम कितनी ही अच्छी योजना क्यों न बनायें, हम उस से सफल नहीं हो सकते। मेरा सुझाव है कि आपकी जो भी मशीनरी हो काम करने वालों की, वह ऐसी होनी चाहिये कि जहां जो भी कमी हो उसको वह कड़ाई के साथ दूर करे। जब ऐसा होगा तभी भ्रष्टाचार दूर हो सकेगा। दूसरे हमको बार-बार भ्रष्टाचार की चर्चा करना भी छोड़ देना चाहिये।

श्रीमन्, हमारे यहां हाई कोर्ट मुकरर की गयीं। बड़े बड़े जुर्मों के लिये सख्त सजायें रखी गयीं। तो क्यों न हम ऐसी एक ऐसी संस्था बनायें, एक एजेन्सी बनायें, जिसके समक्ष हम भ्रष्टाचार सम्बन्धी बातों को कह सकें और वह संस्था उसको डील करे? बार बार केवल उसकी चर्चा करने से जनता डिमारेलाइज होती है और अखबारों में पढ़कर इसका बुरा असर पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे जितने प्रचारक लोग हैं जो एक बुरा विचार कर लेते हैं और उसको ले कर खड़े होते हैं, अगर इसके समाधान के लिये नैतिकता और बुद्धि से कोई सोचकर आप ऐसा नियम नहीं बना देंगे कि जहां तक हो सके इस असेम्बली में किसी के भ्रष्टाचार की बात तब तक न कही जाय अगर वह प्राइमाफैसी बात न हो। अगर प्राइमाफैसी बात हो तो हम कहें। इसलिये हमारे समाज के अन्दर एक दंड विधान होना चाहिये कि अगर बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ भी बातचीत करना चाहते हैं तो उस मामले को वहां लाया जाय। बार-बार कहने से न कोई फायदा होता है और न हम उससे लाभान्वित होते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने विचार रक्खूंगा। मान्यवर, यह जो पंचायती राज और ग्राम सभाओं का अनुदान आज प्रस्तुत है, इसके सम्बन्ध में भारतीय परम्पराओं और विदेशी परम्पराओं में केवल इतना ही अन्तर है कि भारतीय परम्परा में तो जितना कहा जाय और जितना बोला जाय, उसे हम व्यवहार रूप में ला सकते हैं। विदेशी परम्परा में यह अन्तर है कि ढांचा बहुत लम्बा चौड़ा कर दिया जाय और चक्कर में समाज को डाल दिया जाय, यानी खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया, वाली मिसाल। इसका प्रमाण हमारे पंचायत राज से मिलता है जिसमें बहुमत के बल पर दल के आधार पर हर तरीक से सही बातों को दबाया जाता है। यही स्थिति हमें जिला बोर्डों और ग्राम सभाओं में भी देखने को मिली। मान्यवर, नकल तो आगें वालों की की जाती है और इसका असर गांवों में नीच तक पहुंचता है। गांव सभाओं और पंचायतों को अनियंत्रित अधिकार दिये गये जिसका यह प्रभाव पड़ा कि शान्तिमय जीवन बिताने वाले ग्रामवासी भी गलत रास्ते पर जाने लगे। इनके कानूनों में इतना ढ़ीलापन है कि चारों तरफ से गन्दगी निकल निकल कर ग्रामों के स्वर्गीय जीवन को भी नारकीय जीवन यापन के लिये प्रेरित किया गया है।

मान्यवर, ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं के लिये वकील नियुक्त हुये थे। उन्होंने ग्राम सभाओं की सम्पत्ति बचाई नहीं है बल्कि उसे लूटा है। उससे सारे तहसील के कर्मचारी भ्रष्ट हुये इनके कानूनों के गलत निर्माण के कारण। मान्यवर, बड़े-बड़े जबरदस्त लोग ग्राम सम्पत्तियों को हड़प कर बैठे और फिर उन सम्पत्तियों को हाई कोर्ट में जाकर लटका दिया। आज न जाने ग्राम सभाओं की सम्पत्तियों के कितने मामले वहां जैसे के तैसे पड़े हुये हैं। इस व्यवस्था को शीघ्र बदला जाय और व्यावहारिक दुनिया में उन्हें लाया जाय। मान्यवर, अब एक अपने क्षेत्र की बात करूंगा। मेरा क्षेत्र तहसील मन्झनपुर, तहसील इलाहाबाद में पड़ता है। वहां तीन चीजें ऐसी हैं जिनसे स्थानीय जनता को बहुत काम मिल सकता है और ग्राम समाज को भी आर्थिक लाभ हो सकता है। वहां एक अलवारा झील है जिसकी भूमि अभी तक नहीं निकाली जा सकी है। हमने सरकार को सुझाव दिया पर उससे कोई लाभ नहीं हुआ है।

मान्यवर, हमारे यहां पवोसा पहाड़ी है। उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया कि वहां पर ज्वार बाजरा होता है। लेकिन वास्तव में है पहाड़ी। अगर सरकार ग्राम समाज की ओर से उस पर काम चलवायें तो उससे बहुत सी गिट्टी निकल सकती है। लेकिन उसका मामला हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। उसको अगर ग्राम समाज को दे दिया जाय, तो जनता को काम भी मिल सकता है और सड़कों के लिये गिट्टी भी मिल सकती है। हमारे यहां एक ससुर खदेड़ी नदी है। उसमें कंकड़ भरा पड़ा है। वह क्षेत्र सूखा का क्षेत्र है। वहां लोगों को काम देने के लिये कंकड़ निकलवाने की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जहां साधन होंगे वहां उनका उपयोग किया जायगा, मैंने यहां साधन बताये हैं, उनका उपयोग करके जनता का कल्याण किया जाय और ग्राम सभाओं की आमदनी भी बढ़ाई जा सकती है। माननीय मंत्री जी नें अपनें प्रारंभिक भाषण में कहा कि ग्राम पंचायतों का तो शैशव काल ही है। अपने शैशव काल में ही जब यह जहरीला नाग बना हुआ है तो आगे चलकर जब इसकी जवानी होगी, तब क्या हाल होगा ?

हल्का सरकार और अवैतनिक सेक्रेटरी के बारे में बड़ी चर्चा की गयी। जिसको आपने अवैतनिक की संज्ञा दी है वह न जानें कितना अनैतिक कार्य वहां करता है। मेरा विचार है कि उसको अवैतनिक से वैतनिक कर दिया जाय और उस पर अंकुश लगाया जाय। अब इस हल्का सरदार का काम क्या है ? बस पड़ें रहना और वालीबाल खेलना। उनको ग्रामों में भेंज कर ग्राम रक्षा समितियां संगठित करानी चाहिये। हर गांव समाज को बन्दूकों के लाइसेंस देने चाहिये। अगर आपने ऐसा न किया तो यह दल एक बेकार का दल हो कर रह जायगा। मान्यवर, हमारे यहां ग्रामों में जो निर्णय लिये जाते हैं वे किसी की अनुपस्थिति में नहीं लिये जाते जब कि यहां पर अनुपस्थिति में भी निर्णय ले लिये जाते हैं और पीठ पीछे ही सजा दे दी जाती है।

सरकार का कहना है कि आबादी बढ़ाओ, न खाओ, न पियो और सो जाओ। हाथ कंगन को आरसी क्या। सारी चीजें ही दिखायी पड़ती जा रही हैं। अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि पंचायतों के चुनाव के पहले ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों की आमदनी की जांच करा ली जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह पंचायती राज विभाग एक ऐसा विभाग है कि उधर के बैठने वाले हमारे साथियों ने त्रुटियां निकालने की बड़ी कोशिश कीं। लेकिन मेरा अपना ऐसा खयाल है कि वे त्रुटियों को तलाश करने में बिलकुल असमर्थ रहे। पंचायत राज विभाग में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रही, त्रुटि केवल यह है एक सुधारवादी तरीके से धीरे-धीरे हम ऊपर को उठ रहे हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, यही अगर त्रुटि है तो वह है। जो कहते हैं कि हम यहां राम राज्य बनाना चाहते हैं और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं वही ऊब कर कहने लगते हैं कि बड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा बहुत हो ही जाता है। जो लोग इस विभाग की गति को समझते हैं वह जानते हैं कि यह चीज एक दम से करने की नहीं है, जनता में आहिस्ता आहिस्ता वह मनोवृत्ति पैदा होगी और पंचायतराज के बारे में उसके दिल दिमाग पर असर होगा, जनता अपने नफेनुकसान को समझेगी, तब वह उससे स्वयं ही लाभान्वित होने लगेगी। वस्तु स्थिति यह है। यह सिद्ध हो चुका है कि सब विभागों में यह एक अच्छा विभाग है और वैसे ही अच्छे इसके माननीय मंत्री भी हैं जो बहुत ही काबलियत के साथ, दत्तचित हो कर इस विभाग को संभाल रहे हैं, मुझे तो अनेक बार उनसे मिलने का अवसर मिला है। उनसे आप मिल लीजिये, नुकसान नहीं होगा और दोस्ती भी कर लीजिये तो कोई लाभ नहीं होगा। वह तो एक निश्चित दायरे में उसूल की पाबन्दी करते हैं और ठीक से सोचते और करते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। वैसे ही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]

कर्तव्यनिष्ठ उनके पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी हैं, श्री पांडेय जी, जो सुबह से शाम तक इस फिक्र में रहते हैं कि किस तरह से विभाग को कार्यक्षम्य बनाया जाय। यह कोई अतिश्योक्ति नहीं है और मैं इन दोनों महानुभावों को आपके द्वारा धन्यबाद दूंगा उनकी कार्यक्षमता के लिये।

यह पंचायत राज का कनसेप्ट जब से मनुष्य सामाजिक प्राणी हुआ है तब से मनुष्य ने अपने स्वभाव को एक पंचायती ढंग पर ढाला है। उसने पंचायतों की स्थापना की ताकि उसके सारे झगड़े, उसकी उलझनें, लड़ाइयां इन इकाइयों के द्वारा सुलझाई जा सकें। यह मनुष्य की प्रकृति बन गई है। गांधी जी ने इस देश की नब्ज को ठीक से पहचाना था और उन्होंने कहा था कि हमारे यहां पंचायतराज व्यवस्था ही सफल हो सकती है। इतने बड़े देश के लिये उन्होंने इसी स्वप्न को देखा था और उस समय इस देश में केवल ७–८ प्रतिशत ही पढ़ेलिखे लोग थे और उस वक्त यहां अंग्रेजी सरकार का दबदबा था। यहां के लोगों के दिलो दिमाग पर एक गुलामाना जहनियत छाई हुई थी और उस वक्त के जो सरकारी अधिकारी थे उनकी बात ही ब्रह्मवाक्य समझी जाती थी और राजा महाराजाओं और ताल्लुकेदारों की छाया से देश त्रस्त था उस जमाने में पंचायती राज की बात सोचना गांधी जी के लिये कोई मखौल की बात नहीं थी।

गांधी जी दूरदर्शी थे और वह समझते थे कि धीरे-धीरे ही इस देश में सुधार लाये जा सकते हैं। उनके सबसे पहले यह शब्द थे कि हम चाहते हैं कि इस देश में पंचायत राज हो, वह चाहते थे कि नीचे से ऊपर तक यही रूपरेखा हो। यहां तक कि वह चाहते थे कि देश का राष्ट्रपति भी एक किसान हो और हमारा समाज ऐसा संगठित हो और उसकी ऐसी कार्यक्षमता हो कि नीचे से ऊपर तक पंचायत राज की पूरी शक्ल आ जाय और रामराज्य की कल्पना गांधी जी के कहने के अनुसार कार्यरूप में परिणत हो जाय। वह कहते थे कि समय आ सकता है कि जब सरकार की ही आवश्यकता न रह जाय। अगर लोग स्वयं ही अपने झगड़े गांव में समाप्त कर लें, यह तहसील के काम, दीवानी के काम सब पंचायतों में ही तय कर लेते, अगर वह स्वयं ही कर लगाकर लगान और कर वसूल कर लेते हैं और सीधे अपनी एजेन्सी से वह जमा कर सकती है और देश की सुरक्षा गांव से बड़े-बड़े नगरों तक कर सकतीं है तो फिर सरकार स्वयं ही समाप्त हो जायगी। इतना बड़ा आदर्श पंचायतराज का है। उनका यह स्वप्न था कि जब हमारा पंचायतराज सफल होगा, जब हमारी पंचायती स्कीम सफल होगी तो हमारे देश में एक ऐसा स्टेज आ जायगा जब कि यहां सरकार का कोई आवश्यकताहा नहीं रह जायगी। हम देख रहे हैं कि हम उस तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं।

हमारे माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तारपूर्वक जब कि सन् ४९ से शुरुआत हुई तब से आज तक की सारी बातें उन्होंने अपने भाषण में कहीं। मैं उन चीजों को दोहराना कुछ मुनासिब नहीं समझता लेकिन यह बात सही है कि आज हमारे यहां ७२ हजार पंचायतें हैं जो गांव-गांव में फैली हुई हैं, उनके बारे में गांव का एक-एक बच्चा चाहे वह पढ़ा लिखा हो या अनपढ़हो, इनके कार्यों को अच्छी तरह से जानता है। आज लोग मामूली से मामूली बात को पंचायतों में बैठ कर तय कर लेते हैं। यह बात सही है कि जहां गुण होता है वहां अवगुण भी होता है, जहां उससे बहुत फायदे होते हैं वहां उससे कुछ नुकसान भी होता है। यह तो प्रकृति का नियम है, कुदरती निजाम है कि मनुष्य के साथ-साथ गुण और अवगुण लगा हुआ है। मनुष्य की प्रकृति में ऐसा लगा हुआ है कि जहां वह अच्छा काम करता है वहां थोड़ा बुरा काम भी कर देता है, जहां उसके अन्दर अच्छाई होती है वहां कुछ बुराई भा होती है। इसी तरह से पंचायतों में गुण जहां है वहां अवगुण भी है, वहां थोड़ी दलबन्दी भी है जहां नियम से आगे बढ़ कर पंचायतें काम करने लगती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि जो पंचायतें हैं उनमें अवगुण ही अवगुण है? यह तो मनुष्य की प्रकृति के अन्दर है। यह नारा देना कि पंचायतों में अवगुण ही अवगुण हैं, यह गलत है।

एक भाई ने कहा कि जब से पंचायतों का निर्माण होने लगा, गांव-गांव में दलबन्दी हो गयी। मैं उनसे कहूंगा कि इस प्रकार से वे पंचायतों को न देखें, दलबन्दी तो मनुष्य मनुष्य में है, मियां-बीबी

में है, भाई भाई में है, लड़के लड़के में है, इस तरह से मनुष्य की प्रकृति में दलबन्दी है और वह रहेगी ही। रामराज्य, कृष्ण राज्य से लेकर जितने राज्य रहे हैं सब में दलबन्दी रही है और आगे भी रहेगी। लेकिन हमें सोचना यह है कि इतनी दलबन्दी के होते हुए भी हमारे यहां की इन पंचायतों द्वारा ३२ लाख मुकदमें फैसल हुए। इसके लिये किसानों को न तो वकील रखने पड़ते हैं, न गवाहों के लिये किराये देने पड़ते हैं, न झूठ बोलने के लिये आना पड़ता है। गांव की पंचायतें गांव के लोगों की आंखों द्वारा देखी हुई बातों के आधार पर वहीं का वहीं तुरन्त फैसला कर देती हैं। अब यह भी सोचने की बात है कि अगर एक केस में १०-१० या १५-१५ रुपये के हिसाब से ही खर्चा लगावें तो इस तरह से करोड़ों रुपये का फायदा किसानों को हुआ। तो हम इस लाभ को भी देखें। अच्छे और बुरे बहुत आदमी होते हैं। जो अच्छा आदमी होता है वह अपने ऐबों को तथा दूसरों की अच्छाई को देखता है तथा उसकी कापी करने की कोशिश करता है और चाहता है कि उसकी अच्छाई को ग्रहण करें। लेकिन हमारे मित्र कुछ ऐसे हैं जो दूसरे के ऐबों को देखते हैं। मनुष्य जीवन के साथ अच्छाई और बुराई लगी हुई है, वे अच्छाई का न बयान करके बुराई का ही बयान करने लगते हैं। आखिर पंचायतों में काम करने वाले भी इन्सान हैं। उनमें भी बुरे लोग हो सकते हैं और अच्छे लोग हो सकते हैं और इस तरह से पंचायतें भी गलत काम कुछ करती हैं। लेकिन मेरा दावा है, सरकार के हर विभाग से इस पंचायत राज विभाग को सबसे ज्यादा सफलता मिली है और इससे ज्यादा से ज्यादा लाभ गांव के लोगों का हुआ है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

मेरा सुझाव है कि इस अनुदान पर अधिक वक्ता बोलने वाले हैं, इसलिये १० मिनट के बजाय अब ७-७ मिनट ही सब लोगों को बोलने का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रघुनाथसिंह के बोलने के बाद ७ मिनट का ही समय होगा।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गांव सभा और पंचायतों के ऊपर पिछले वर्ष कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए सारे सरकारी कागज-पत्र से गुणा भाग करके मैंने दिखलाया था कि कुछ मदों में एक एक पंचायत के लिये अठन्नी और चवन्नी तक की प्राप्ति नहीं होती है। इस वर्ष फिर से बोलने का मुझको मौका मिला है, मैं सोच रहा हूं कि माननीय मंत्री जी को कुछ अपनी भावनाओं का सहारा लेकर उनके दिल को कुरेदने का प्रयत्न करूं। हो सकता है कि इन भावों से उनके ऊपर कुछ असर हो और इस विभाग का कार्य प्रगति पर चले। माननीय मंत्री जी मैं आपकी भावना को जगाना चाहता हूं। वैसे मैं कोई कवि नहीं हूं फिर भी अपने मन के भाव आपके सामने कविता वद्ध करके सुनाता हूं, जिसका शीर्षक है :—

"ग्राम-जीवन का नव-निर्माण"

"अंग्रेजों के राज्यकाल से गांव हमारे उजड़ चुके हैं
गांवों के उद्योग, कला कौशल सारे हैं नष्ट हो गये
सारा भार पड़ा है आ करके खेती पर !
राष्ट्रपिता बापू ने आकर हमें उबारा
स्वतंत्रता-प्राप्ति की चिन्ता में रहते भी
उनका ध्यान लगा रहता था गांवों पर ही
भारत का दर्शन बापू ने हमें कराया—
"गांवों में अपना भारत है"
निर्माण करें बापू के सपनों के गांवों का
उनके हम सपूत बेटों की कर्मशीलता की गरिमा की
यही कसौटी !

[श्री रघुनाथसिंह]

बापू ने जो बीज कामना का बोया है
ग्राम भूमि में
उगकर विकसित होकर फूले-फले खूब वह
इसके लिये आर्थिक सुविधा का जल-सिंचन।
तथा समूह-विकास प्रविधि की ज्ञान-उष्णता
ग्राम-भूमि के लिए आज परमावश्यक है।
अपने पर पूरे निर्भर हों ग्राम निवासी
अपनी निर्णय-शक्ति और निर्माण-कार्य में
आत्म चेतना में स्वतंत्र हों--अपने उल्लास भरे मन की कहने-करने।
ग्राम्यजनों की क्रियाशीलता भावमयी हो, ज्ञानमयी हो
जिससे उनकी अभिव्यक्ति प्रेरणा उनके सारे व्यवहार-कार्य को
बना सके रोचक मंगलमय!!
जन-जन के मानस-प्रदेश में
बहे बसन्त बयार सामुदायिक विकास की।
नारी के भी हाथ लगें निर्माण कार्य में, उत्पादन में।
आंगन का 'गज-गमन' करे अब खेतों की मेड़ों को पुलकित!
पाकर नव सम्पर्क मुसुकुरा उठे खेत की सूखी माटी
नजराना में सोना उगले!
घर में कुटीर-उद्योगों पर उनकी चलें उंगुलियां
कला सजीव हो उठे हमारी।
भाग्यवादिता का, पर्दा का, भेद भाव का, जाति ढोंग का
गंवई गंवार के हीन-भाव का
होलिका दहन करके अब गांवों के नर-नारी
खुल कर खेलें फाग, आज राष्ट्रीय और जातीय भाव का
भारत के नभ-मंडल में ऐसी लहर भरे यह भाई-चारा!
आवे समाजवाद भारत में!!
देख हमारा सुखाचार अपना मन चाहा
राष्ट्रपिता की आत्म-तृप्ति
मुस्कुरा उठे प्रतिदिन पूरब की लाली में
ऐसा कुछ करना है हमको
हमें शपथ है राष्ट्रपिता की!
यह सुखद कल्पना जनमन की साकार बने
यह कैसे होगा?
इन गांवों को देख और पहचान लीजिए पहले--
जिन पर अज्ञान अभाव, निराशा दुश्चिन्ता का
निविड़ अन्धकार छाया है!!
पहले गांवों के सामाजिक जीवन को देखें
भौतिक वादी--कर्मशीलता के इस युग में
प्रगति होड़ जब मची हुयी है
गांवों में जो तथाकथित अभिजात्य-वर्ग है
उसकी सारी जन शक्ति.बनावट की गोदी में नष्ट हो रही!
बाबा मनु के बीते युग की काव्य-कल्पना
ब्रह्मा के मुख-कर-पद से पैदा होने की
बन कर के विश्वास बनी है इनके मन में

सारे ही व्यवहार-कर्म की वही कसौटी बनी हुयी है
ऊंची-ऊंची डिग्री वाले पढ़े-लिखे जो
इतिहास, प्राणि शास्त्र, समाज शास्त्र विषयों के
लेखक और प्रवक्ता हैं जो
वे भी इस लक्ष्मण-रेखा को लांघ न पाए !!
आधी के ऊपर जन-संख्या पिसी जा रही
पड़ी नीचता-निर्धनता के विषम पाट में
ऊपर से श्रम का शोषण तो जले हुए पर नमक-तुल्य है।
पंचायत-चुनाव का जब से ताल मिला है,
जातीयता नशे में होकर नाच रही है नंगी होकर
यह सब देख अचम्भा भारी हो आता है
कैसे यह जनतंत्र चलेगा?
* * *
अब इनकी निर्धनता और गन्दगी देखें
चालू गली, द्वार पर होकर घर का नाबदान बहता है
रात्रि-समय में अन्धकार में चलना दुस्तर।
खुली भूमि पर ऊंचे-खाले जहां कहीं भी
गांवों में ही और कभी दरवाजे पर हो
कूड़ा-करकट, राखी-पाती के ढेर लग गए
खेतों की यह खाद-व्यवस्था है किसान की!!
* * *
पनघट पर कीचड़, पोखर में फैली हुई सड़ी काई है!
और गांव का गोंइड़ तो है नरक हो रहा
सारा वातावरण घोर-दुर्गन्ध-युक्त है।
* * *
मन जो घबड़ा उठा, निकल चलिए अब बाहर
हरी-भरी सीवान देखकर मन बहला लें
अरे राम! खेतों में आकर पल्ले पड़ी निराशा भारी
बाढ़ और बर्षा से कट कर
ऊबड़-खाबड़, ऊसर-बांगर और बंगराहे
खेत पड़े हैं बौराये से!
युग-युग के ये भूखे प्यासे अब भी अपना भाग्य रो रहे।
* * *
गांवों का निर्माण-कार्य बस भाषण द्वारा कभी न होगा?
गांवों की यह घोर जहालत नई शहादत मांग रही है।
चक्रव्यूह के सात फाटकों का संगर है,
लड़कर हमें तोड़ना होगा।
यही देखना है बापू के हमसपूत सब
रखते हैं निर्माण आज कुछ या कोरे बरबादी है।
बापू की महिमा को पाल टंगी तरणी पर
जल-संतरण बहुत हो चुका अब तक।
अब तैराकी दिखलाना है हमको।।

जब तक हमारे मंत्री महोदय, नव निर्माण-सागर में यह तैराकी नहीं दिखला लेते तब तक मैं चाहूंगा साल पर एक रुपये से इस काम को चलायें। तैराकी दिखला लेंगे तो दुगना रुपया दिया जावेगा।

श्री वैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। यह विभाग ऐसा है जिस पर मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ जब मेरे विरोधी दल के साथियों ने इस पर भी कटौती का प्रस्ताव दिया। और मदों में तो कटौती करना, बड़ा सुन्दर था, उनकी वाणी को हम सब सुनते, लेकिन इस विभाग को तो अछूत छोड़े रहते क्योंकि इसका गांवसे सम्बन्ध है। गांव पंचायत के बारे में जितने साथी हैं उन सबका समर्थन होना चाहिए, हम भी यही अनुभव करते हैं। और मदों में विरोधी भाव लेकर हम अलग-अलग चलते हैं लेकिन गांव का नक्शा ऐसा है जहां हम सबका सहयोग होना चाहिए। गांव के उत्थान के बारे में, गांव की भलाई के बारे में चाहे जनसंघ हो, कम्युनिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, पी० एस० पी० हो, रिपब्लिकन हो, या कांग्रेस वाले हों, सब को मिल जुल कर, गांव की तरक्की की बात करनी चाहिए क्योंकि यही एक ऐसा स्थान है जहां से सब की प्रगति होती है, जिसकी बुनियाद पर हम सब लोग आकर के स्पीचें देते हैं। तो ऐसे विभाग पर यही अच्छा होता कि सब लोग इसका समर्थन करते और गांव की भलाई करते और जो मांग रखी गई है उसका समर्थन करते।

आज समूचा देश इस बात पर गर्व के साथ देख रहा है कि हमारी बुनियादी चीज जो फिर से आ रही है और जिसको कि मंत्री महोदय ने कहा शैशवकाल में है, तो वह शैशवकाल में नहीं है, बल्कि उसका बहुत पुराना काल है जो हमारी बुनियाद का स्रोत रहा है। गांव पंचायत के लिए गांव के लोग कहते थे पंच परमेश्वर। तो पंच परमेश्वर के तहत गांव की जनता बैठ कर अपने मसले को हल करती थी और वह निर्णय अकाट्य हुआ करते थे। अंग्रेजों के शासन काल में भी उनके निर्णय की तरजीह दी जाती थी। आज शैशवकाल में चलते हुए भी यह चीज एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है जहां सब छोटे बड़े मिल कर, जात-पांत का भेद मिटा कर, गांव की पुरानी परम्परा को लेकर बैठते हैं और अच्छी से अच्छी बात को लेकर अपनी मांग रखते हैं जिससे उनको प्रगति करने का अवसर प्राप्त होता है। यही वह स्थान है जहां सब लोग बिना किसी भेदभाव के एक मंच पर बैठ कर गांव की भलाई कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश के जो बड़े-बड़े विचारक हैं उनको गांव में जाकर रहना चाहिये। गांव जो उजड़े हुए हैं उनको वहां रह कर उनका विकास करना चाहिये, फिर से उसे समृद्ध बनाना चाहिये। शिक्षा तथा अन्य साधनों को वहां मुहय्या करना चाहिये ताकि गांव की भलाई हो सके और इसलिये मेरा निवेदन है कि इस मद का कतई विरोध नहीं होना चाहिये।

मैं कुछ कठिनाइयां भी गांवों के सम्बन्ध में सरकार के विचारार्थ रखना चाहता हूँ। छोटी ग्राम सभाओं को समाप्त करके बड़ी ग्राम सभाओं में मिला दिया जाय क्योंकि उनका विकास नहीं हो पाता है और उनका अंश उनको ही दे दिया जाय। 'चायत मंत्री की दयनीय दशा को देखते हुए उसके वेतन में बढ़ोत्तरी होनी चाहिये और उसके भत्ते में भी बढ़ोत्तरी होनी चाहिये। ग्राम सेवक और ग्राम सेक्रेटरी में नहीं पटती है तो योग्य सेक्रेटरी की नियुक्ति वहीं की जाय जहां ग्राम सेवक कार्य न करते हों और दोनों के कार्यों का बटवारा कर दिया जाय और मंत्रियों को इतनी सुविधा दी जाय ताकि वे अच्छे से अच्छे ग्राम सेवकों का मुकाबला कर सकें। इतना कह कर मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण अनुदान पर जो जनतन्त्र का मूल है, बोलने का अवसर प्रदान किया। ग्राम पंचायतें या ग्राम सभायें इस देश में जनतन्त्र के रूप में कहीं जायं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इनका विकास पूर्णतया हो, इससे भी कोई विरोध नहीं कर सकता। और यह परम्परा आज की नहीं, हमारी सनातन परम्परा है। मैं समझता हूं कि मनुष्य एक सामूहिक प्राणी है और उसने शुरू से ही आपस में मिलजुल कर अपनी समस्याओं को सुलझाने का कार्य प्रारम्भ किया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पंचायतों का कार्य भी इसी आधार पर आरम्भ हुआ। भगवान बुद्ध ने उस पंचायत का मतलब समझते हुए संघ के लिए कभी निर्देश किया था कि किसी भी राष्ट्र में जबतक आदमी आपस में मिलजुल कर अपनी समस्याओं को सुलझाते रहेंगे, अपनी परम्पराओं की रक्षा के लिए समुचित नियम बनाते रहेंगे, अपने सुन्दर स्थानों का आदर करते रहेंगे, नारियों का सम्मान करते रहेंगे, तबतक उस राष्ट्र का कभी भी पतन नहीं हो सकता। इतनी सैद्धांतिक बात का प्रारम्भ इस देश में हुआ। इसके लिए कोई भी आदमी यह नहीं कह सकता कि यह अच्छा काम नहीं है। लेकिन मान्यवर, इस कार्य को प्रारम्भ करने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए था। हर एक बात के पीछे कम से कम पांच बातें ऐसी जरूर हो जाती हैं जिनके पूर्ण होनें पर ही हम किसी बात के सफल परिणाम प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। और उसी आधार पर मैं यह कहूंगा कि जब तक हमारे गांवों में आप शिक्षा का पूरा प्रबन्ध नहीं कर पाते हैं तब तक इन ग्राम पंचायतों का इतना ज्यादा लाभ नहीं हो सकता। शिक्षा की कमी के कारण हमारी ग्रामीण जनता, जो इतनी सरल है, इस लालच के बल पर कि शायद प्रधान बन जाने पर उसे काफी लाभ होगा, दलबन्दी बनाता है और उसके कारण जो लाभ होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। शिक्षा की अगर कमी नहीं होती तो जैसा कि कहा गया है––

शिक्षा की यदि कमी न होती तो ये गांव स्वर्ग बन जाते।
अमीय सुधा रस में सन जाते।

दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज गांवों में सामन्तशाही का जोर है। वहां पर दो प्रबल व्यक्ति चुनाव के लिए खड़े होते हैं और वहां के गरीब आदमियों का बंटवारा करते हैं। वहां पर ऐसे दो पक्ष बनते हैं। प्रधान चुने जाने के बाद उनके कत्ल हुए, उनके घर बरबाद किए गए, उनके यहां डकैतियां डाली गयीं। और दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश अगर हरिजन वर्ग का कोई प्रधान बन गया, सरकार ने जिनके लिए पूरा मन्त्रालय खोल रखा है, उनमें से अगर कोई प्रधान बनता है तो सेक्रेटरी और दूसरे लोग नाना प्रकार से इस बात की कोशिश करते हैं कि वह ग्राम पंचायत जिसका प्रधान अनुसूचित जाति का है, सुचारु रूप से न चल सके। इसलिए सरकार कोई ऐसा नियन्त्रित रूप बनाए जिससे कि जनतांत्रिक परम्परा, जिसे पनपाने की आप कोशिश कर रहे हैं, वह पूरी सफल हो सके।

दूसरे जो जातिवाद की शिकायत पंचायतों से उठती है यह बहुत ही अशोभनीय बात है। मैंने ग्राम पंचायतों को देखा। वहां पर पंचायत के कक्ष में फर्श बिछती है। उसमें आधे लोग फर्श पर बैठते हैं और अनुसूचित जाति का कोई भी सदस्य उस फर्श पर नहीं बैठ सकता। आज भी यही हो रहा है। ककरौली एक गांव है। वहां एक सुसिंह पंच है। उन्होंने कहा कि जब वे जाते हैं तो फर्श पर नहीं बैठने पाते। वहां एक सेक्रेटरी है जैन। मैंने उनसे कहा कि आप सरकार द्वारा नियुक्त आदमी हैं इसलिये आपका यह कर्तव्य हो जाता है कि सरकार को कहें कि एक पंच का पूरा सम्मान नहीं हो रहा है। जिस पंच के रूप में हम परमेश्वर की भावना करते हैं, जिस पंच के रूप में हम राजा की भावना करते ह, उस पंच का इतना अपमान और निरादर हो इससे ज्यादा हमारे लिए शर्म और लज्जा की बात और क्या हो सकती है ? इस पर मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी ध्यान देंगे और आदेश देंगे।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मुझे बताइए कि क्या मैं नेता नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष––

आप दो मिनट में समाप्त कर दीजिए।

श्री खेमचन्द—

श्रीमन्, दो मिनट में नहीं हो सकता है। मैं निवेदन कर रहा था कि गांव सभाओं के सेक्रेटरी को सचत और सजग करें जिससे जो ड्यूटी उसको दी गई है उसको वह सुचारु रूप से कर सके। वे अपना कार्य ठीक तरह से कर सकें और ये अनियमितताएं जो वहां चलती हैं अधिक न चल सकें।

दूसरे कई बार सरकार को सुझाव दिया गया है कि जितना राजस्व वसूल होता है वह गांवों से ही आता है। गांव वालों के खून का ही राजस्व का पैसा आता है। लेकिन उसमें से कितना गांव सभाओं को दिया जाता है। यहां पर बार-बार कहा गया है कि राजस्व का २५ परसेन्ट भाग गांव सभाओं को दिया जा सके जिससे उनका उत्थान हो सके। सरकारी टैक्स जो वसूल किया जाता है उसमें केन्द्र से आपको भी पैसा मिलता है यानी प्रदेश को उसका एक अंश मिलता है। इसी तरह से राजस्व में से भी २५ परसेन्ट का अंश गांव सभाओं को दिया जाना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि कृषि गांवों की आत्मा है। गांव का सारा जीवन, आर्थिक और सामाजिक सबका विकास इसी पर निर्भर है। कृषि उत्पादन में गांव सभाओं का योग बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए और इसमें सक्रिय और सजग रहना चाहिए और जो हम नारा लगा रहे हैं उसके लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए पूरी-पूरी सहायता दें। गांव सभाओं में निश्चित जमीन रहती है और उसमें से जमीन उन्हीं को मिलती है जिनके पास जमीन होती है। परिवार में से एक आदमी को निकालकर भूमिहीन बना दिया जाता है और उसको जमीन दे दी जाती है। यह तो वही बात हुई कि एक आदमी ने अपनी जमीन में से एक टुकड़ा भूदान में दे दिया और अपनी पत्नी को वह टुकड़ा दिला दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप जल्दी समाप्त कर दीजिए।

श्री खेमचन्द—

मैं नहीं, समझ पाता कि क्या बात है? मैं भी नेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

जी नहीं, आप समाप्त कर दीजिए।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं और उसका विशेष कारण यह है कि आज जो अनुदान इस आदरणीय सदन में प्रस्तुत किया गया है वह पंचायत राज विभाग का है जो गांवों से सम्बन्धित है। इसके मन्त्री भी गांव के रहने वाले हैं, गांव की भाषा बोलने वाले हैं गांव की वेश-भूषा पहनने वाले हैं और गांवों की बातों से दिलचस्पी रखने वाले हैं। हमने जेल में भी देखा और बाहर भी देखा और अब भी देख रहे हैं। हमारे मन्त्री महोदय, पंचायत राज विभाग के लिए बहुत उपयुक्त हैं, गांव की हर बात से परिचित हैं। दुख एक बात का है कि इस पंचायत राज पर जिस पर गावों की सारी उन्नति निर्भर है उस पर विरोधी दल के सदस्यों को कटौती का प्रस्ताव लाते हुए हिचक नहीं हुई क्योंकि उन्हें कोई न कोई रास्ता अपनी बात कहने का निकालना था, लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें तो बहुत अच्छा है। जहां तक पंचायतों का सम्बन्ध है, हमारे प्रान्त को बहुत बड़ी उन्नति हुई है। कमियां वैसे हर जगह रहती हैं। सरकार के जितने विभाग हैं सब पंचायत राज पर निर्भर रहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब मैं मन्त्री महोदय से सुझाव के रूप में निवेदन करूंगा कि जब से पंचायत राज ऐक्ट बना इसमें जो चीजें रखी गयी थीं उनका पालन नहीं हुआ। प्रधानों ने भूमि का बटवारा अपने भाई बन्दों को कर दिया। कम से कम इसका सर्वे करवा कर एक लिस्ट मंगवा लीजिए तो पता चल जाय कि कितनी भूमि आपस में उन्होंने बांट ली और भूमिहीनों को इंच भर नहीं दी। एक बात। दूसरे, इसके अन्दर जो ब्लाक हैं इनमें हरिजनों का जितना प्रतिनिधित्व था आज जो चुनाव हुए उतना नहीं हो पाया। सरकार को उनकी सहायता के लिए जो कुछ भी हो सके करना चाहिए ताकि पिछड़ा हुआ वर्ग उन्नति कर सके। तीसरी बात यह है कि क्या कारण है कि पहले रिजर्वेशन था और अब रिजर्वेशन बन्द कर दिया। गांवों में छोटे वर्ग के लोगों का बहुमत होता है। लेकिन उसे आपने खत्म किया। आप कृपा करके ऐक्ट में संशोधन कीजिए या दूसरे तरीके से उनको प्रतिनिधित्व दीजिए जो अल्प मत में हैं। वैसे पंचायतें जो काम कर रही हैं वह बहुत बड़ा काम कर रही हैं। लेकिन हरिजनों के मोहल्ले से जितना उनका चन्दा जमा होता है उतना भी काम उनके मोहल्ले में नहीं होता है, कोई खड़ंजा नहीं लगता है। उनका कोई भी काम नहीं हो पाता है। इसके लिए या तो सरकार उनकी मदद करे या जितना उनका चन्दा आता है उसके हिसाब से उनके मोहल्लों में खड़ंजा लगाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो पंचायती राज विभाग उनके लिए बेकार है। पंचायत राज विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें सभी का हित है इसलिए कटौती के प्रस्ताव को माननीय सदस्य को वापस ले लेना चाहिए और इस पर कोई विवाद होना, मेरी समझ में नहीं आता है।

*श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)--

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि गांव सभाओं के चुनाव ड्यू थे और सरकार ने उसको बिना किसी कारण के पोस्टपोन किया है, इससे देहाती जनता में बड़ी बैचैनी है और उनमें एक भ्रम पैदा हो गया है। इसलिए उनके असन्तोष को समाप्त करने के लिए यदि अभी नहीं तो सन् ६६ या ६७ तक सरकार उनके चुनाव अवश्य करा दे।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि प्रमुख और अध्यक्ष जिला परिषद् के जो चुनाव सरकार कराती है वह जनरल इलेक्शन के बाद होने चाहिए। उसमें जो प्रमुख और अध्यक्ष आसानी से फायदा उठाते रहे हैं और प्रधानों को अपने काबू में करके बड़ी जिम्मेदारी के साथ संस्थाओं पर अपना कब्जा कर लेते थे और बाद में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आते थे इससे वह सब बीमारी दूर हो जायगी।

तीसरी बात यह है कि गांव सभाओं के जो प्रधान या सरपंच होते हैं उनके लिए एजूकेशन की कोई शर्त नहीं है, लिमिट नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में भी नहीं है। ऐसी कानूनी बन्दिश न होने के कारण प्रधान जो बे-पढ़े-लिखे हैं और जो प्रमुख बे-पढ़े-लिखे हैं, उनसे न्याय प्रदान करने में और सरकार चलाने में बड़ी दिक्कत होती है। न्याय पंचायत के सरपंच यदि बेपढ़े हो जाते हैं तो सेक्रेटरी वगैरह सारे काम करते हैं और वह कुछ नहीं करता है क्योंकि उसे करने की बुद्धि ही नहीं है। तो इससे कोई फायदा गांव वालों को नहीं पहुंच पाता है। इसलिए उनके लिए पढ़े-लिखे होने की भी किसी सीमा तक शर्त रखी जानी चाहिए।

कानून में यह है कि सभी के साथ समान व्यवहार --व्यवस्था होनी चाहिए। किन्तु जो शहरी इलाके में क्राइम्स होते हैं, उसमें तो मुलजिम वकील की सहायता से अपने आप को बचा सकता है, लेकिन यदि न्याय पंचायत के अन्दर कोई व्यक्ति कोई जुल्म करता है तो बेपढ़ा-लिखा वह आदमी अपने को डिफेंड नहीं कर पाता है, वह वकील या पैरवीकार की कोई मदद नहीं ले सकता है। मैं यह नहीं कहता कि उसमें वकील जा सकें, लेकिन इन्साफ के लिए इतना अवश्य होना चाहिए कि वह अपने पैरवीकार को या बेटे को जो पढ़ा-लिखा हो, सहायता के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरवरप्रसाद]

खड़ा कर सके । इसका प्राविधान होना चाहिए । न्याय पंचायतों के अन्दर एक दिक्कत और गौर करने की है कि यदि उनके अन्दर फौजदारी का मुकदमा है तो मुल्जिम की गैर हाजिरी में भी सरपंच या पंच अपना फैसला दे सकता है, जुर्माना कर सकता है, लेकिन जो शहरी इलाके हैं, जहां पर आदमी अपने को डिफेन्ड भी कर सकता है, वहां पर मुल्जिम की गैरहाजिरी में कोई फैसला नहीं हो सकता है । इसके अन्दर सरकार कोई समुचित व्यवस्था करे और कानून को अमेन्ड करके यह प्राविधान करे कि न्याय पंचायत के अन्दर मुल्जिम की गैर हाजिरी में कोई मुकदमा नहीं कर सके। ऐसा होता है कि मुल्जिम को पता नहीं चलता है और उस पर जुर्माना कर दिया जाता है। न्याय पंचायतों के अन्दर अब जुर्माने की लिमिट ५०० रुपया तक बढ़ा दी गयी है। यानी जो डिग्री खफीफा की अदालतें बिना दस्तावेज के नहीं दे सकती थीं वह डिग्री अब हमारी न्याय पंचायतों को देने का अधिकार दे दिया गया है कि वह बिना दस्तावेज के कर सकती हैं । तो इसमें संशोधन करके आपको गरीब आदमी को न्याय पंचायतों से न्याय दिलाने के लिए उनके अत्याचार से छुटकारा दिलाने के लिए कदम उठाना चाहिए ।

ब्लाकों में बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० जो रखे जाते हैं, वह डेवलपमेंट के लिए रखे जाते हैं । इसलिए मेरा सुझाव है कि उनको ऐसा काम सौंपा जाय जिससे खेती की तरक्की हो सके, फलदार वृक्ष लगायें और गांव की तरक्की के लिए कोई काम करें । उसके लिए अगर सरकार मुनासिब समझे तो बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० उन लोगों को रखा जाय जो एग्रीकल्चर से अच्छी जानकारी रखते हों।

एक सुझाव यह है कि पंचायतों में जो बैठक के लिए लोग जाते हैं उसमें मुख्तलिफ प्रतिनिधि होते हैं उसमें वही सरपंच बैठता है जो उस पंचायत का सरपंच होता है, मैं चाहता हूं कि उसमें हर सरपंच को बैठने का अधिकार होना चाहिए । ऐसा आदेश सरकार की तरफ से होना चाहिए । अब सरकार ग्राम सभाओं के ऐसे नियम बनाने जा रही है जिससे उनकी तादाद बढ़ रही है । मेरा सुझाव है कि सालिम गांव की एक अपनी पंचायत होनी चाहिए। चाहे वह गांव छोटा हो या बड़ा हो उसकी अपनी अलग एक पंचायत होनी चाहिए । जितने भी वहां पर झगड़े होंगे वे सब तय हो सकते हैं । लगान में हिस्सा ग्राम सभा को मिलना चाहिए जिससे उन संस्थाओं का भी लाभ हो सके । जो टैक्सेज हैं वे भी ग्राम सभा के द्वारा वसूल किए जाने चाहिए।

बहुत से ऐसे अनुदान हैं हरिजनों के लिए जो हरिजनों की अज्ञानता और कमजोरी के कारण उनको नहीं मिल पाते हैं । सरकार इसकी देख-रेख करे । यह भी निवेदन है कि पंचायती अदालतों की देख-रेख के लिए और नियम बनायें । २ या ३ महीने के अन्दर बी० डी० ओ० का निरीक्षण होना चाहिए ताकि सेक्रेटरी वहां पर अपनी मर्जी के अनुसार सारा काम न कर सके। यह देखा गया है कि जो जुर्माने होते हैं उनका इन्दराज १५ दिन बाद किया जाता है । सरकार इस नियम को बहुत माकूल समझता है कि सरकारी कर्मचारियों का तबादला कर देता है । अगर बी० डी० ओ० या ए० डी० ओ० उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो उनको उसी क्षेत्र में रखना चाहिए। अगर वह उसी क्षेत्र में रहेगा तो वहां पर वह रिश्वत नहीं ले पाएगा लेकिन होता इसके विपरीत है । वहां से उस आदमी को बदल दिया जाता है और दूसरी जगह पर वह आदमी फैल हो जाता है ।

श्री मैनेजरसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत विभाग के प्रस्तुत अनुदान पर बोलने की मेरी इच्छा नहीं थी किन्तु कई माननीय साथियों ने जिक्र किया और कुछ ऐसी बातों का भी जिसकी वजह से मैं आपके सामने कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अभी हमारे साथी हरिसिंह जी ने कहा कि ग्राम सभा और पंचायती राज विभाग की ऐसी धनराशि है कि उस पर विरोधी पक्ष को कटौती का प्रस्ताव नहीं रखना चाहिए था। मान्यवर मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कटौती हो नहीं बल्कि इस अनुदान को

बजट से निकाल देना चाहिए। शासन इस प्रदेश में पंचायती राज को पंचायती राज के नाम पर उसी तरह समाप्त कर दिया है। जिस तरह से नकली सोने के कारण बाजार से सोना गायब कर दिया है। आज से दो साल पहले मैंने कष्ट के साथ इसी सदन में कहा था कि हमारे वर्तमान पंचायत राज निदेशक इस प्रदेश के आखिरी पंचायत राज निदेशक होंगे। आज मैं देखता हूं बड़े कष्ट के साथ कि अब वही सत्य होने जा रहा है। आज हमारा पंचायत राज निदेशालय स्वतन्त्र नहीं है। पंचायत निदेशक का कार्य रजिस्ट्रार कोआपरेटिव के मातहत कर दिया गया है। सरकार खुद देखती है कि इस निदेशालय को समाप्त कर दिया गया है। इस तरह से पंचायत राज की दुर्गति हो रही है।

पंचायत मन्त्रियों की चर्चा हुई उनकी भी बड़ी दुर्दशा है। दूसरे सहायक पंचायत अधिकारी हैं क्लर्क के नीचे कर दिये गये हैं। वह सहायक पंचायत अधिकारी डी० पी० ओ० के मातहत कर दिए गए हैं। उनको हेड क्लर्क के भी अधिकार नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी का रवैय्या ठीक नहीं है। जहां अन्य प्रदेशों में पंचायत का वजूद नहीं था वहां पर पंचायतों को मान्यता दी जा रही है और अधिकार दिए जा रहे हैं। हमारे प्रदेश में आज पंचायतों को कमजोर किया जा रहा है, उनको अपमानित किया जा रहा है। गांव पंचायत के प्रधान तथा सरपंच की क्या स्थिति है? जब आपके कानूनगो, ए० डी० ओ०, बी० डी० ओ०, या कोई भी छोटा कर्मचारी जाता है तो वह कुर्सी पर बैठता है और प्रधान या सरपंच उसके सामने खड़ा रहता है। यह इज्जत है आपके प्रधानों की। यदि आप चाहते हैं कि यह अनुदान बजट में रहे, तो आप पंचायतों की प्रतिष्ठा को अपने राज्य में कायम रखें। आज जो आप सत्ता का विकेन्द्रीयकरण कर रहे हैं उससे नीचे के स्तर तक राजनीति आ गयी है यह बड़ी गलत बात है। देश की चार प्रमुख विरोधी पार्टियों ने इस बात का फैसला किया था कि पंतायती चुनाव में पार्टी आधार पर भाग न लेंगे। मगर उसके अनुसार काम नहीं हुआ। जिला परिषदों में कई पार्टियां बनी हुई हैं। २-३ जिला परिषदों को छोड़ कर सभी जगह शासक दल का बहुमत है और उसी का राज्य है। पंचायतों में यदि आज राजनीति आयी है तो उसकी जिम्मेवारी कांग्रेस दल की है। जिला परिषदों आदि में जब आपका शासन है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप वहां राजनीति न आने दें। श्रीमन्, जिला परिषद के अध्यक्षों को टिकट पार्टी के नाम पर ही दिया जाता है। यदि आप पंचायती राज्य अपने यहां सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो आपको उनको राजनीति से अलग रखना पड़ेगा।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि आपने पंचायतों को कोई साधन नहीं दिये हैं। सन् ४७ में आपका पंचायतीराज्य कानून बना। आज तक आपने एक पैसा भी लगान का पंचायतों को उनको नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के भी माननीय सदस्यों ने उसके लिए सरकार से मांग की कि लगान का कुछ हिस्सा पंचायतों को दिया जाय। मगर सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बराबर कहा गया कि पंचायत मन्त्री का वेतन सरकार दे। उस पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आपको चाहिए कि आप पंचायत मंत्रियों को भी सरकारी कर्मचारी घोषित करें। आपको चाहिए कि आप पंचायत मन्त्री तथा ग्राम सेवकों को एक कर दें। उनके एकीकरणसे काफी लाभ होगा। इसके अलावा मैं यह भी चाहता हूं कि पंचायत विभाग का निदेशालय भी स्वतंत्र एवं सुदृढ़ किया जाय। पंचायतराज विभाग में काम करते हों, और जिनको इस विभाग का तजुर्बा हो, उनके ही इस विभाग का निदेशक नियुक्त किया जाय। सेक्रेटरीएट में डिप्टी सेक्रेटरी के स्थान पर किसी पंचायत अधिकारी को वहां रखा जाय। आपके बाहरी अधिकारी उस पद पर रखे जाते हैं उनका दिमाग पंचायती राज्य के अनुकूल नहीं होता। उन्हें उसका कोई तजुर्बा नहीं होता। इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। जिनको पंचायती राज्य में आस्था हो, विश्वास हो, और जिन्हें उसका तजुर्बा हो, उनको पंचायती विभाग का उच्च पद मिलना चहिए। आप जो अनुदान पंचायतों को देते हैं उसको बन्द कर दें और उसकी जगह लगान का पर्याप्त हिस्सा दें।

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि हमने तो चौखम्बा राज्य की मांग की थी, पर उनकी सरकार ने तो पंचखम्बा राज्य की स्थापना की है। इसके लिए मैं निवेदन कर दूं श्रीमन्, एक जन्तु है जिसकी संख्या मेरठ में ज्यादा है। आप पशुगणना की किताब देखें। मेरठ

[श्री मैनेजरसिंह]

के उस अक्लहीन जन्तु, जैसा ही पंचखम्बा राज आपका है। इसमें अकल लगी ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी एक कमेटी जैसा कि केन्द्रीय सरकार ने ग्राम सभाओं के विषय में छान-बीन के लिए कमेटी बनाई है। क्या यह सम्भव नहीं है कि आप भी ऐसी ही एक कमेटी बनायें जो यह देखे कि हमारी पंचायतें कैसी हों और उनकी कठिनाइयां क्या हैं हमारी अदालती पंचायतें कैसी हों। मान्यवर, हमारे यहां एक पंचायत इब्राहीमाबाद उपर बार है ६ मील में, उसमें आठ पुरवे एक हजार से ज्यादा आबादी के हैं। आप सोच सकते हैं कि वे आपस में कैसे बैठेंगे। वहां एक भी मीटिंग विधिवत नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि इन पंचायतों के गठन में क्षेत्रफल के हिसाब से दोबारा विचार होना चाहिए। इस पर भी विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी शीघ्रातिशीघ्र बनाई जाय जो पंचायतों की समस्याओं पर विचार करे और एक ऐसी संस्तुति आपके सामने प्रस्तुत करे जिससे पंचायतों के सम्बन्ध में सुधार किया जा सके।

श्री रक्षपालसिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो अनुदान सदन में प्रस्तुत हुआ और जिसके सम्बन्ध में मैंने कटौती का प्रस्ताव रक्खा, उसमें श्रीमन्, लगभग २० सदस्यों ने भाग लिया और यहां पर जो भी उनके अनुभव थे, उन अनुभवों के आधार पर अपने सुझाव देते हुए उन्होंने इस विभाग की कमियों को दूर करने के लिए तथा उनके द्वारा जो अच्छे कार्य हो सकते हैं, उसके सम्बन्ध में कहा। श्रीमन्, जितनी भी बातें मेरे द्वारा प्रारम्भ में रक्खी गई थीं उनमें से अनेक बातों का समर्थन अनेक सदस्यों द्वारा हुआ, चाहे वे कांग्रेस दल के हों, चाहे विरोधी पक्ष के रहे हों। एकाध सदस्य ने असहमति प्रकट की कि ग्राम सभाओं का क्षेत्र बड़ा हो। चूंकि यह वितरण की एजेन्सी मात्र है इसलिए छोटी इकाई होनी चाहिए। दूसरों के भी इस प्रकार के विचार रहे। पंचायत मन्त्री के विषय में मन्त्री जी ने पहले ही उल्लेख कर दिया था। सदस्यों ने भी उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया। श्रीमन्, मेरी भी मांग यह है कि पंचायत मन्त्री का जो पद है वह सरकारी पद घोषित किया जाना चाहिए। उनको ग्राम सेवक स्तर का वेतन और सब प्रकार की सुविधायें दी जानी चाहिए। एक बात सरकार कहती है कि हमारे पास इसके लिए पैसा नहीं है। उनको ६५ या ७० रुपया तनख्वाह मिल पाती है। उसको १०० या ११० रु० करने में इतनी बड़ी धनराशि की बात नहीं होगी। वह क्या नहीं की जा सकती है? इस अनुदान में ऐसी बात है भी कि लगभग तीस लाख रुपया सरकार ने ले रक्खा है चुनाव कराने के लिए। जैसा मैंने उल्लेख किया था कि चुनाव कराने की योजना है नहीं। वह तीस लाख रुपया ट्रांसफर होगा ही। और अगर सरकार विभाग में ही खर्च करना चाहे तो वह वेतन देने में खर्च कर सकती है। श्रीमन्, आज जो पंचायत मन्त्री का कार्य है, यह बात सत्य है कि उस पर जिम्मेदारियां कम हैं, कहीं-कहीं पर उसको हाजिरी देने की जरूरत नहीं पड़ती, परन्तु यह कोई अच्छी बात नहीं है। एक आदमी का जब समय लिया गया है तो उसकी जिम्मेदारी बतानी चाहिए। यदि सम्भव हो तो उसकी सेवाओं की शर्तें किसी नियमावली के अनुसार की जा सकती हैं।

एक बात और है जिसकी मांग करनी है कि पंचायत मंत्री, लेखपाल, ग्राम सेवक, अमीन इस प्रकार के और कहीं कहीं पर तो सिंचाई विभाग में काम करने वाले इन्हीं के समान कार्यकर्त्ता तक ऐसे स्थान हैं जहां पर इनके समन्वय और एकीकरण का कार्य नीचे की इकाई से प्रारम्भ कर सकते हैं वहां तो न ऊपर मंत्रियों के विभागों में मेल हो पाता है और न अन्य कहीं पैदावार बढ़ाने के लिये डायरेक्टर स्तर पर थोड़ा प्रयास किया गया है। परन्तु निम्न स्तर से यह प्रयास किया जा सकता है और अमीन, लेखपाल, ग्राम सेवक और पंचायत मंत्री को अगर २ या ३ न्याय पंचायतों के बीच में वितरित कर दें, तो इनका कार्य क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। एक आदमी को एक गांव में या २ गांव सभाओं में जिम्मेदारी ठहराई जा सकती है। वह उसके कागज भी लिख सकता है और अगर व्यवस्था की जाय तो वसूली भी कर सकता है। एकीकरण के सुझाव पर सरकार को बिचार करना चाहिये।

हरिजनों की स्थिति के बारे में भी कुछ उल्लेख हुआ। मुझे भी पिछले साल एक सभा में जाने का अवसर मिला। जिला ब्लाक की तरफ से गांव सभा की मीटिंग की गई थी। उसका प्रधान एक हरिजन था। जिला परिषद् के अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्त्ता वहां गये हुए थे। जैसे ही जिला परिषद् के अध्यक्ष ने उनसे, प्रधान से कहा कि प्रधान जी आप आकर बैठिये-वहां तख्त इत्यादि पड़े हुए थे-तो आप सुनकर आश्चर्य करेंगे कि जैसे ही प्रधान उस तख्त पर बैठने के लिय आये सारे के सारे सवर्ण जाति के लोग खड़े होकर एक तरह से प्रदर्शन करने की बात थी लेकिन प्रयत्न करके वह मीटिंग सफल कराई गई। लोग कहते थे कि मालूम नहीं, प्रधान के ऊपर क्या होगा, हालांकि मेरे सुनने में तो कुछ आया नहीं। सरकार को सोचना चाहिये कि हरिजनों के कुछ प्रधानों के स्थान सुरक्षित करने की बात पर विचार करे। उनकी जन संख्या हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो गांव के स्तर पर सुधार होने वाला नहीं है। डाइरेक्ट अनुदान की व्यवस्था ठीक है। अन्य किसी माध्यम से देने की व्यवस्था का कम से कम मैं तो विरोधी हूं।

सम्पत्ति के बारे में भी कहा गया। गांव समाज की संपत्ति का प्रति पांच साल में चुनाव कराने के पहले, एक रजिस्टर बन जाय। इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन १९६५ के खण्ड १४१ पर गांव सभाओं के बारे में कहा गया है कि ८०,९९५ गांवों का लेखा परीक्षा करने की बात थी लेकिन ३७,८७४ का लेखा परीक्षा नहीं हो पाया। इसमें कुछ खामियां भी बताई गई हैं जिन्हें सरकार को दूर करना चाहिये।

अन्त में मैं फिर सब माननीय सदस्यों को जिन्होंने इस प्रस्ताव पर अपने बिचार प्रकट किये हैं, धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राममूर्ति—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि गांव सभाओं और पंचायती राज का जो आज यहां अनुदान प्रस्तुत है इस पर जितने भी माननीय सदस्य बोले सबकी स्पीचेज बहुत अच्छी हुईं। डाक्टर रघुनाथ सिंह जी चले गये, मुझे खास तौर पर उनकी सराहना करनी है कि उन्होंने बड़ी अच्छी कविता कही जिससे हृदय पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। ज्यादातर सदस्य ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। हमारे प्रयत्नों के बावजूद और दुनिया की जो तरक्की हो रही है उसे देखते हु आज भी जो शहरी हालात हैं उनके मुकाबले में ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत पिछड़ी हुई हालात रह रहे हैं? और यह भी बिलकुल सही बात है कि हर गांव कितने ही हिस्सों में बंटा हुआ है। खासतौर से उनमें हरिजनों की हालत, यद्यपि पहले से अच्छी हुई है, लेकिन जिन बातों का जिक्र किया गया है वे बातें बहुत हद तक सही हैं। डाक्टर रघुनाथ सिंह ने जिक्र किया कि मंत्री जी इन कमियों को ठीक कर देंगे। मैं अपने अन्दर तो इतनी काबिलियत नहीं पाता कि उन सब खराबियों को ठीक कर दूं लेकिन मुझे इतना विश्वास जरूर है कि जितने असेम्बली और कौंसिल में माननीय सदस्य हैं वे अपने-अपने इलाकों में दौरा करते रहते हैं। अगर हम सब लोग इस बात का प्रयत्न करें कि हमारी पंचायती राज व्यवस्था अच्छी हो जाय तो हमारी हालत जरूर अच्छी हो जायगी। कानून कितने ही क्यों न बनाये जायं लेकिन उनसे सारी समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि आपने देखा होगा कि इन १८ सालों में कितने ही कानून बनाये गये हैं और हर साल बहुत से नये कानून बन जाते हैं। इन कानूनों का अपनी जगह पर प्रभाव पड़ता है लेकिन नयी हालत और स्थानीय समस्याओं को देखकर और पुरानी परम्पराओं के बदलने का प्रयास जो जनता की ओर से होता है, उससे ही वास्तव में समस्या का हल हो सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राममूर्ति]

इंगलैन्ड भी एक दिन पिछड़ा हुआ मुल्क था। अमेरिका जो आज इतना प्रगतिशील देश है, सन् १४ में मफरूज था। टेनेसी वैली स्कीम में जब अमेरिका के देहातों में बिजली लगायी जाने लगी तो १००-१००, २००-२०० आदमी बंदूक लेकर आ गये। लोगों को मारने लगे बिजली के तारों को काटने लगे। जब फर्टीलाइजर चले तो उसका भी वहां विरोध किया। लेकिन समय आया जब लोगों ने उन चीजों के लाभ को समझा और आज वह इतना समृद्धशाली देश हो गया है। इसलिये हमें यह सोचना है कि किन हालात में हमारे लोग काम करते हैं। चाहे हम सरकारी हों या गैर सरकरी हों, दोनों को हमें अपने भेदभाव कम करने ही होंगे। सब में तो नहीं लेकिन सरकारी नौकरों में प्रायः इस प्रकार का भाव पाया जाता है कि ३० तारीख के बाद तो हमें तनख्वाह मिलेगी ही। लेकिन एक जनसेवक जो गांव में काम करता है वह कुछ न कुछ करना अपना कर्त्तव्य ही मानता है। अतः हमें देखना है कि किन हालात में हम काम करते हैं, किस प्रकार की जनता से हमारा वास्ता है।

हमारे यहां केवल १६-१७ प्रतिशत ही तालीम है। छोटे बच्चों की तालीम प्राइमरी और सेकेन्डरी स्कूलों में भले ही बहुत ज्यादा बढ़ी हो लेकिन प्रौढ़ शिक्षा १५-१६ प्रतिशत ही है। हम लोग पुरानी ग्राम सभाओं का जिक्र करते हैं लेकिन उस समय तो फ्युडल आर्डर था, सारा समाज जातियों के आधार पर फंक्शन करता था। बढ़ई-बढ़ई की पंचायत, चमार-चमार की पंचायत, कहार कहार की पंचायत आदि। लेकिन आज दुनियां जरा सी हो गयी है। मुंह से आवाज निकली नहीं कि सारी दुनियां में पहुंच गयी। कोई चीज एसी नजर नहीं आती कि एक जगह होती है और उस का असर दूसरी जगह नहीं होता। आज सारी दुनिया में कीमतें बढ़ी हैं और गिरानी है, सब जगह आबादी बढ़ रही है और समस्या बन गई है। आज दुनिया जरा सी हो गई है। हर जगह विचारों की उथलपुथल है, विचारों का संघर्ष हो रहा है। आप दुनिया के किसी भी पिछड़े हुए क्षेत्र में चले जायं वहां भी यही बात है। यह नहीं हो सकता कि देहात के हालत का असर शहरों पर न पड़े, गांधी जी ने यह कहा था। एक दूसरे पर असर पड़ेगा। आज की वेश भूषा लीजिये। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे जमाने में गांव में बड़े आदमी साफा बांधते थे और कोई भी ऐसा नहीं होता था कि जो टोपी न पहनता हो। लेकिन आज कोई भी साफा नहीं बांधता और टोपी भी हम जैसे थोड़े से लोग लगाते हैं और अगले लोग तो शायद टोपी भी नहीं देंगे। आज भी बहुत से नहीं लगाते। यह असर किस तरह से पड़ रहा है, यह सोचने की बात है। चीजें अपने आप स्थान लेती चली जा रही हैं। पुरानी चीजें हट रही हैं, छुआछूत खत्म हो रहा है। आज हम किस तरह से सब के यहां खाने पीने लगे हैं। हमारे रिश्ते भी जहां नहीं बनते थे वह बनने लगे हैं, अन्तर्जातीय और अन्तरप्रदेशीय विवाह होने लगे हैं। लेकिन फिर भी यह सब होने के बावजूद जाति पांति का असर है। तो यह बड़े काम और बड़े रिवाज एक दिन में नहीं पड़ते। आहिस्ता आहिस्ता समाज में एक रिवाज हटता है और उसकी जगह दूसरा लेता है, सुधार भी होता है और वह हो रहा है। सामाजिक प्रवृत्ति के बदलने में समय लगेगा।

हमारे भाई श्री खेमचन्द जी चले गये। उन्होंने कहा कि अगर प्रधान हरिजन होते हैं तो उनको बैठने की उचित सुविधा नहीं दी जाती है। हो सकता है कि कहीं ऐसा हुआ हो लेकिन वह जानते होंगे कि अब चुनाव में जब २ जातियों के लोग बड़ी कहलाने वाली जाति के लोग लड़ते हैं तो वह किस तरह से छोटे कहे जाने वाले लोगों के यहां जाते हैं और उनसे चाहे कोई आदमी किसी हैसियत या जाति का हो वोट के लिये कहते हैं और अपने साथ बिठाते हैं, यहां तक कि मेहतर, चमार कोई भी उसके दरवाजे पर जाकर बैठते हैं। चाहे १२ महीने में या ५ साल में ही सही एक बार तो हम वहां जाकर बराबर में बैठते हैं उस छोटे कहे जाने वाले आदमी के पास तो इस तरहसे कुछ तो गाड़ी आगे बढ़ी ही है औप अब हम उनको अपना समझने लगे हैं। पहले यह बात भी कहां थी? आज हमारा यह फर्ज होना चाहिये कि मेहतर हो या किसी भी छोटी कौम का आदमी हो उसको बराबर इन संस्थाओं में चुनने और हर स्थान पर बिठाने

का अवसर मिलना चाहिये। आज हरिजन भी हमारे अध्यक्ष और सरपंच बनें, बिरादरी की बिना पर उनको न चुनने देना आज के जमाने में गलत चीज होगी। यह चीज हो रही है, वह लोग चुने जा रहे हैं और किसी हद तक यह समस्या हल हो रही है। यह पंचायत राज का जो ढंग है यह कोई रिवोल्युशनरी तरीका नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हम एक दिशा में चल रहे हैं और आगे प्रगति कर रहे हैं और चीजें बदल रही हैं।

एक बात का जिक्र हुआ, पहले सवाल भी हुआ था और मैंने उस वक्त ब्योरेवार बताया भी था लेकिन आज फिर जिक्र हुआ कि कांग्रेस सरकार पंचायतों के एलेक्शन टाल रही है और किसी निजी स्वार्थ या हित की वजह से ऐसा किया जा रहा है। मैं बड़े अदब के साथ इस बात को अर्ज करूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। बात केवल इतनी है कि क्षेत्र समितियां सन् १९६१ में चुनी गई थीं और यह जिला परिषदें कायम हुयीं सन् १९६३ में। अब अगर हम चुनाव करा दें तो यह क्षेत्र समितियां वैसी ही बनी रहेंगी और सभापति वही बैठे रहेंगे और एक क्राइसिस खड़ा कर दिया जायगा कि यह कब से प्रमुख बैठे हैं, नये चुनाव का अवसर नहीं दिया। इसलिये दोनों चीजों को एक लाइन में लाने के लिये हमारे लिये जरूरी हो गया कि अगले साल जनरल इलेक्शन के बाद नवम्बर, दिसम्बर में हम इन चुनावों को करायें। अगर उस वक्त हम उस जगह चले जायं और आप इधर आ जायंगे तो आप भी यही करेंगे। मैं उन लोगों में से हूं जो सब के साथ बराबरी का व्यवहार रखना पसन्द करते हैं। अगले साल में इसका दो साल हो जायगा, जिला परिषदों का ४ साल हो जायगा और क्षेत्र समितियों का ५ साल हो जायगा, और गांव पंचायतों का अगर एक दो साल और बढ़ जायगा तो इसमें कौन सा नुकसान हो जायगा ? जहां तक इसमें हमारे किसी स्वार्थ का सवाल है, इससे न हमें कोई फायदा है न नुकसान है, इसलिये स्वार्थ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप को मैं बताऊं कि जिस पंचायत क्षेत्र की यह बात है वहां न कोई दलबन्दी है और न कांग्रेस पार्टी की ओर से वहां कोई चीज पहुंचती है। वहां तो लोग आजादी से चुनाल लड़ते हैं, कोई किसी टिकट पर चुनाव लड़ता है, इसलिये इसमें कोई स्वार्थ की बात नहीं है।

एक बात का और जिक्र किया गया कि आज जो हमारी गांव सभायें बनी हैं वे २५० की आबादी से लेकर २० हजार तक आबादी वाले गांवों में बनी हैं। कुछ ऐसे गांव हैं जो काफी बड़े बड़े हैं। जैसे गाजीपुर में एक गांव की आबादी २० हजार है, मेरठ, मुरादाबाद, बुलन्दशहर, आदि जिलों में १०-१५ हजार तक की आबादी के कई गांव। तो अब सवाल यह है कि गांव पंचायत की बहुत छोटी ईकाई होती है और उसके लिये कोई निश्चित धन नहीं होता, इसीलिये अब हमने सोचा है कि अगली ग्राम पंचायतें १ हजार की आबादी को लेकर बनायी जायं। अब इसमें १००-२०० की कमी बेशी भी हो सकती है, इससे यह होगा कि एक तो हमें इकट्ठा धन मिल जायगा ....

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या आप कैबिनेट स्तर पर भी विलेजेज का कोई रेवेन्यू यूनिट बनाने का विचार रखते हैं ?

श्री राममूर्ति—

इस तरह की एक विचारधारा है, लेकिन उस के लिये अभी कोई स्कीम चाक आउट नहीं की गयी है। इसलिये अभी उसका डिटेल में बतलाने में असमर्थ हूं। जब वह चीज हाउस के सामने आयेगी तो उस पर यहां डिटेल में चर्चा होगी। इससे यह होगा कि पंचायतों को पैसा भी मिल जायगा और लोगों का एक सामाजिक जीवन भी बन जायगा।

एक इस बात का भी जिक्र किया गया कि हाकिम परगना का सम्बन्ध इनसे हटा दिया जाय और इनकी जगह किसी दूसरी अथारिटी को रखा जाय। मैंने उस रोज भी अर्ज किया था कि शुरू शुरू में यह सवाल पैदा हुआ कि जो हमारे गांवों के प्रधान हैं, उनके ऊपर नियन्त्रण और छानबीन का काम जिला परिषदों को सौंप दिया जाय जिसे डी० पी० ओ० करेंगे, चाहे

[श्री राममूर्ति]

बी० डी० ओ० करेंगे लेकिन मुझे यह खयाल अच्छा नहीं लगा क्योंकि आज की राजनीति में गांव सभाओं का भी सम्बन्ध क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों तक हो सकता है और फैसले के वक्त में या पैसे की गड़बड़ी के मामले में उन पर कुछ दबाव पड़ सकता है और जो बात होनी चाहिये वह नहीं हो सकती है, इसलिये हमने ए स० डी० ओ० को रखा है ताकि वह निष्काम भाव से उस मामले को देख सके।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)——

हाकिम परगना पर ही अधिक दबाव पड़ता है।

श्री राममूर्ति—

मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि हर एक बात का सही जवाब दूं लेकिन जहां तक हाकिम परगना का संबंध है, वह एक ऐसी अथारिटी हैं जिनके ऊपर आम आदमियों का दबाव नहीं पड़ पाता है और इसलिये वे निष्पक्षता के साथ और पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं। हाकिम परगना की एक बड़ी अथारिटी है। हमने तो उसे सरकार की परिधि से भी निकाल रखा है। अगर हमारे पास सभापति के बारे में कोई शिकायत आती भी है तो उसे भी हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास भेज देते हैं ताकि वे सम्बन्धित हाकिम परगना से जांच करा लें। जहां तक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का ताल्लुक है, अभी तो हमारे यहां पर जुडिशियरी और एक्जीक्युटिव अलग अलग नहीं हुयी ह। हाकिम परगना की जगह अगर मुन्सिफ को इस काम के लिए कर भी दें तो फिर ५–५ साल कैसेज चला करेंगे। तो इसलिये इसको मुनासिब नहीं समझा गया है और जो मौजूदा स्थिति है उसी को चलने दिया है।

माननीय कृष्णानन्द राय जी जिक्र किया कि हमारे श स देमें कर्जे की बीमारी बहुत चल गयी है। ३२ सौ करोड़ के करीब केन्द्रीय सरकार बाहरने ले चुकी है। हमारी केन्द्रीय सरकार बाहर से ५ या साढ़े पांच हजार करोड़ कर्जा ले चुकी है और करीब करीब ४ १/२ हजार करोड़ मुल्क में से ले चुकी है। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि दुनिया के जितने भी प्रगतिशील मुल्क हैं वे सब कर्जा लेते हैं। कर्जा लेना कोई बुरी चीज नहीं है अगर वह उत्पादन के काम में लगाया जाता है। अगर वह रुपया प्रोडक्टिव एक्टीविटी में लगाया जाता है तो कोई नुक्सानदेह नहीं है। इससे गरीबी दूर होती है लेकिन अगर कर्जा इन कामों में लगे जिनसे हमें कोई पैसा न मिले तो फिर गठरी बांध कर रखने में तो देश की दशा खराब ही होगी। इसलिए मेरा कहना है कि कर्जा लेना बुरा नहीं है लेकिन वह गलत काम में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इन कर्जों के जरिये से ही हम कुएं बनवाते, ह ट्यूबवेल बनवाते है, नालियां बनवाते है और खेती के काम में लगाते है। हमने यह भी नियम बना रखा है कि जो हम से कर्जा लेते हैं अगर वह किसी उत्पादन के काम में नहीं लगता है तो पूरा एक दम वसूल कर लिया जाता है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं आंकड़े भी दे सकता हूं कि कितने केसेज में हमने रुपया तुरन्त रिकवर कर लिया है। इस मायने में कर्जे की जो पद्धति है उसके जरिए अरबों रुपया लोगों के पास पहुंचना चाहिए जिससे वे प्रोडक्शन बढ़ा सकें और मुल्क में गरीबी दूर हो, बीमारी दूर हो, और देश उन्नति करे और देश से भुखमरी भी दूर हो।

माननीय महादेव प्रसाद जी ने जिक्र किया कि जो हम इन्डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, वे मुनासिब नहीं हैं। आप में से बहुत से माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि १९४८ में जब हमारे यहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चल रहे थे एक नियम हमने बनाया था कि जो चेयरमैन का चुनाव हो वह डायरेक्ट इलेक्शन से हो और मेम्बरों का जो चुनाव हो वह भी डायरेक्ट पद्धति से हो लेकिन वह बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ है। आज हमारी जनता के अन्दर कौंशसनेस नहीं है। उनके मस्तिष्क की रचना परिपक्व नहीं है। वह इम्मेच्योर हैं। हुआ यह कि चेयरमैन कहीं पर किसी विचारधारा का हो गया और बाकी सदस्य किसी और विचारधारा के। एक

अजीब स्टैलमेंट होने लगा। तो यह सोचा गया कि जो लोग भी चुने जायं वे अपने चेयरमैन को चुनें। चाहे कांग्रेस टिकट दे। चेयरमैन के डायरेक्ट इलेक्शन का जो हमने तजुर्बा किया वह ठीक साबित नहीं हुआ। दूसरी बात एक और है। अगर हम डायरेक्ट चुनाव सदस्यों और प्रेसीडेंट के करायें तो वह एक दूसरा आम चुनाव हो जाता है। इतना खर्च होता है डायरेक्ट इलेक्शन के अन्दर कि जिस स्तर पर हम उस काम को करना चाहते हैं वह पंचायती राज के लिये भारी हो जायगा और पैसा काफी खर्च होगा।

पंचायती राज के जो हमारे निर्माता हैं उनमें हमारे आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी भी हैं, उनका तो यहां तक खयाल है कि विधान मंडल और लोक सभा के चुनाव भी डायरेक्ट नहीं होना चाहिये इनडायरेक्ट होना चाहिये। क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन में करप्शन बढ़ता है, पैसे का खर्च होता है। इसलिये जिस स्तर पर हम काम करना चाहते हैं वहां पर अभी डायरेक्ट चुनाव सम्भव नहीं है। पंचायती राज को चलते हुए अभी ३, ४ साल हुए हैं इतने कम समय में उसका इवेल्यूएशन कर लेना काफी जल्दी है। जितने कानून इस सम्बन्ध में बने हैं उन में जो कमियां हैं उन को दूर करने के लिये थोड़ा सा वक्त ट्रायल के तौर पर होना चाहिये। जब थोडा वक्त गुजर जाय तब तजुर्बे के आधार पर तब्दीली ला सकते हैं।

हम सब लोग चाहते हैं कि विकेन्द्रीकरण हो और पंचायतों, क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों के पास करोड़ों रुपया जाना चाहिए और जो काम अभी सरकारी स्तर पर होते हैं उन को वहां दे देना चाहिये, लेकिन साथ ही साथ यह भी सुनते हैं कि सभापति जी ने ३५ रु० निकाल लिए, क्षेत्र समिति में गबन हो गया, यह रुपये का दुरुपयोग हो रहा है। तो इन दोनों बातों के बीच में समन्वय नहीं होता है। जब भी विकेन्द्रीकरण करेंगे तो इतनी क्षमता पैदा करनी पड़ेगी कि अगर कोई गड़बड़ भी है तो उस को हम देखें और आहिस्ता आहिस्ता उसको ठीक करें। हमें भी जब तक स्वराज्य नहीं मिला था अंग्रेज समझते थे कि हम सब नाकाबिल हैं। लेकिन हमारे पास चीज आ गई है तो आहिस्ता आहिस्ता हम उस को कर रहे हैं। इस माने में अगर हम विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं तो हम को अपने अन्दर वह क्षमता पैदा करनी चाहिये और समझ लेना चाहिये कि जैसे कोई हमारे बच्चे गलती करते हैं तो इसके यह माने नहीं है कि उसको दुरुस्ती नहीं हो सकती,। यही आदत हमें समें डालनी चाहिये और समझ लेना चाहिये कि गलतियां तो शुरू में होंगी ही। यह बात जरूरी है कि इन गलतियों को दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिये, पर साथ साथ इस विचार को भी छोड़ देना चाहिये कि लोगों से गलती नहीं होगी। वह तो होगी ही और खास तौर से ऐसे लोगों से जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं हैं। जब यह सब चीजें दिमागों के अन्दर भरी हुई हैं तो यह कमियां चलती रहेंगी, लेकिन ज्यों-ज्यों हमारी हालत अच्छी होगी त्यों-त्यों पंचायती राज हमारा बढ़ेगा, तजुर्बा हमारा बढ़ेगा और साथ साथ सब चीजें अच्छी होंगी। इसलिये इन चीजों के बारे में संतोष के साथ कदम उठाना चाहिये।

श्री राजेन्द्रसिंह—

न्याय पंचायत के पंचों का चुनाव कैसे होगा ?

श्री राममूर्ति—

वह एक सोचने की चीज है, उनका इलेक्शन भी कराया जा सकता है, लेकिन चूंकि अभी इसके बारे में नहीं हो रहा है, हमारे यहां विचार हो रहा है, अगर कोई नक्शा बन कर सामने आया तो उस को आप के सामने रखेंगे कि उस के बारे में क्या करना चाहिए।

श्री रघुनाथसिंह—

जो आप ने चुनाव टाल दिया है तो जो आप कह रहे है कि कुछ करना चाहिये तो कुछ करने की बात कैसे करेंगे।

श्री राममूर्ति—

जो हम कमियां देख रहे हैं चुनाव के सिलसिले में जैसा मैंने जिक्र किया पहले यह हुआ करता था कि चुनाव का वक्त आया तो होशियार लोग सौ-सौ, डेढ़-डेढ़ सौ मेम्बर बढ़ा लिया करते थे। अब जो असेम्बली का रोल बनेगा उसी रोल की बुनियाद पर चुनाव कराया जायगा। तो जो चीजें अनुभव में आयेंगी उन को कानून की शक्ल देंगे। बहुत सी बातों का यहां जिक्र किया गया जिनका इतने समय में मेरे लिये जवाब देना मुमकिन नहीं है लेकिन उनको मैंने नोट कर लिया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

चौथाई मालगुजारी देने के बारे में आपने क्या सोचा है ?

श्री राममूर्ति—

यह सोचने की बात है। अगर हम चाहते हैं कि पंचायत राज की इकाइयां मजबूत हों तो आज नहीं तो कल विकेन्द्रीकरण उस पैसे का करना ही होगा और उनको ज्यादा पैसा देना होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

हर बार आप यही कहते हैं।

श्री राममूर्ति—

अगर मैं न भी कर पाऊं और आप बार-बार कहते हैं, मैं बार-बार कहता हूं तो हम लोग एक माहौल बनाते हैं उस तरफ जाने के लिये। यह माहौल उसमें मददगार ही होगा, कमजोरी नहीं लायेगा।

श्री मैनेजरसिंह—

हम चाहते हैं कि आपको ही श्रेय मिले।

श्री राममूर्ति—

इसमें क्या फर्क है। किसी न किसी को तो मिल ही जायगा।

फ्लडेड एरियाज हैं या बैकवर्ड एरियाज हैं उन्हें सहायता देने के लिये कांट्रिब्यूटरी अनुदान की जो शर्त है उस पर हम सोच रहे हैं। चौधरी रघुबीर सिंह जी ने ऊसर के बारे में जिक्र किया। नियम यह है कि पट्टा उन्हीं को दिया जाता है जिनके पास जमीन नहीं है, या कम है।

श्री कृष्णानन्द राय—

कुछ समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

५ मिनट का समय बढ़ाया जाता है।

श्री राममूर्ति—

मैं ऊसर के बारे में सलाह कर लूंगा और मैं इसे ठीक समझता हूं कि जिनके पास साधन हैं उनको तोड़ने के लिये वह दी जाय लेकिन ५ साल के बाद जो खर्चा हो वह पैसा निकाल कर उस के वितरण पर फिर से विचार किया जाय।

जितनी बातें यहां और कही गयीं सब अच्छी हैं। गलत चीजों को ठीक करने के लिये या समाज के अन्दर से गलत बातों को ठीक करन के लिये यहां जो बातें कही जाती हैं उन पर विचार किया जायगा। जमानत के रुपये के बारे में जो जिक्र किया गया, वह इतना कम रुपया है कि मुनासिब नहीं मालूम होता। इलेक्शन कमीशन ने विधान मंडल के सदस्यों पर बजाय ढाई सौ के १ हजार रुपया कर देने की सिफारिश की है।

श्री रामसुन्दर पांडेय––

जो जीते उसका रुपया वापस कर दिया जाय ।

श्री राममूर्ति––

यह बहुत छोटी चीज मालूम होती है और ठीक नहीं मालूम होती। सब लोगों ने जो बातें कहीं में और मेरा विभाग उससे फायदा उठाने की कोशिश करेगा। इन शब्दों के साथ मेरा अनुदान स्वीकार किया जायगा ।

श्री मैनेजरसिंह––

माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया कि पंचायतों की कुछ बातों पर गौर किया जायगा, तो क्या सरकार उनके सम्बन्ध में एक हाई पावर कमेटी बिठाने पर विचार करेगी जो इन सभी समस्याओं पर विचार कर सकें और अपनी सिफारिश दे सकें ?

श्री उपाध्यक्ष––

सुखरामदास जी, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सुखरामदास––

मैं यह पूछना चाहता हूं कि गांव सभाओं के प्रधान अपने परिवार के नाम गांव समाज की जमीन कर लेते हैं। पहले नियम यह था कि वे अपने परिवार के नाम नहीं कर सकते थे। अब वे जमीनें गरीब लोगों को नहीं मिलती हैं। तो क्या सरकार पुराने नियम को फिर से लागू करेगी ?

श्री राममूर्ति––

यह समस्या हमारे प्रदेश में बड़ी गम्भीर हो गयी है और इसकी तरफ सरकार का ध्यान है। अक्सर यह शिकायतें आयीं कि पिछले जमाने में प्रधान वगैरह ने पेड़ कटवा लिये, जमीनें ले लीं तो इस पर ला डिपार्टमेंट में भी विचार हो रहा है और हमारे विभाग में भी विचार हो रहा है।

श्री राजेन्द्रसिंह––

ग्राम सेवक, पंचायत मंत्री और लेखपाल, ऐसे ८–८, १०–१० कर्मचारी ग्राम सभाओं में काम के लिये हैं। तो उनको छुट्टी को एमलग्मेट करने पर मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री राममूर्ति––

उसमें दिक्कत यह है कि जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ओवरलैपिंग काम की है लेकिन यही तो ज्यादा सरकारी कर्मचारी हैं। अब इनको अगर कम करते हैं तो मुश्किल है और अगर रखते हैं तो आखिर कहीं न कहीं तो रखना ही पड़ेगा इसलिये ओवरलैपिंग होती है ।

श्री अध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान [संख्या १३ के अधीन मांग को राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य––विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११––गांव सभायें, और पंचायतें के अन्तर्गत १,६१,५५,१०० रुपये की मांग वर्ष १९६६–६७ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं और १० तारीख को ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २ मिनट पर बृहस्पतिवार, १० मार्च, १९६६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊः
४ मार्च, १९६६ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न से ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०० पर)

पटेल आयोग की संस्तुति के आधार पर सड़कों के विकास के लिए उपलब्ध धनराशि तथा उस पर व्यय

जिला	१९६४–६५ में उपलब्ध धनराशि		१९६४–६५ में व्यय		१९६५–६६ में उपलब्ध धनराशि		१-४-६५ से ३१-१२-६५ तक व्यय	
	सामान्य योजना के लिये	त्वरित विकास योजना के लिये	सामान्य योजना पर	त्वरित विकास योजना पर	सामान्य योजना के लिये	त्वरित विकास योजना के लिए	सामान्य योजना पर	त्वरित विकास योजना पर
१	२	३	४	५	६	७	८	९
आजमगढ़	३.१६८	१९.२५०	७.२८८	१९.२५८	३.२७०	३४.०००	१.३६५	३१.५६७
देवरिया	४.१८१	०.७५०	५.४७१	०.७५७	७.६८९	८.०००	२.०१३	१.१६१
जौनपुर	४.४०९	२.०००	१.६१७	२.०२२	२.१३०	१३.०००	१.४१०	४.४७६
गाजीपुर	६.५४६	३.०००	१.९७०	२.६२६	११.०९७	१०.०००	४.७१३	६.२५६
	१८.३०४	२५.०००	१६.३४६	२४.६६३	२४.१८६	६५.०००	९.५०१	४३.४६०
सर्वेक्षण, उपकरण तथा संयंत्र इत्यादि विविध मद ..	..	..	..	..	..	५.०००	..	०.१९७
योग ..	१८.३०४	२५.०००	१६.३४६	२४.६६३	२४.१८६	७०.०००	९.५०१	४३.६५७

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—२३६ एल० ए०—१९६६–८६२ ।